राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १७ वां दिवस [संख्या १३

बुधवार ४ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

लोसल के वैद्य श्री मोतीलाल के विरुद्ध शिकायत

२८५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय, लोसल के वैद्य श्री मोतीलाल योग्यता न होने पर तथा आयुर्वेदिक विभाग के नियमों के विपरीत एलोपैथिक इलाज करते हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उनके ऐसे इलाज से उनके कम्पाउन्डर की मृत्यु हो गई ?

(ग) क्या यह सही है कि जनता ने उनके इस कार्य के विरुद्ध शिकायतें की तथा तारीख १०-३-५७ को इसके प्रमाण में उनकी हाथ की लिखी हुई १० पर्चियां निरीक्षक, आयुर्वेदिक विभाग के समक्ष पेश की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) क्या यह सही है कि जनता के एक व्यक्ति दुर्गादत्त ने भूख हड़ताल की थी और सरकार के इस आश्वासन पर कि उक्त वैद्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी वह हड़ताल तोड़ी गई ?

(ङ) वह वैद्य वहां कितने दिनों से है तथा उसका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जाता ?

उप मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। शिकायतें संचालक आयुर्वेदिक विभाग के सामने प्रस्तुत होकर उसकी विभागीय जांच निरीक्षक आयुर्वेदिक विभाग जयपुर द्वारा कराई जाने पर वे तथ्यहीन सिद्ध हुई हैं।

Page No 2

(श्री भीखाभाई)

(घ) यह सही है कि श्री दुर्गादत्त ने भूख हड़ताल की थी, किन्तु वैद्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाकर उनकी भूख हड़ताल खुलवाने की कोई जानकारी सरकार को नहीं है।

(ङ) वह वैद्य लोकल के सार्वजनिक औषधालय में पूर्व से कार्य करता था। दिनांक ६–६–५७ से यह औषधालय राज्याश्रित किया गया, तब ही इनको वहीं रखा। इनका कार्य सन्तोषजनक होने से स्थानान्तरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : जो दस पर्चियां पेश की गई थीं, वे वैद्य मोतीलाल के हाथ की लिखी हुई थीं।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कौनसी पर्चियां ?

श्री भैरोंसिंह : प्रेसक्रिप्शन पर्चियां, जो शिकायत के साथ पेश की गई थीं, क्या वे मोतीलाल के हाथ की लिखी हुई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह शिकायत तथ्यहीन साबित हुई, यह जानकारी मेरे पास है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा दूसरा प्रश्न है। जो पर्चियां पेश की गई, उसके हाथ की लिखी हुई थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे कागज मैंने देखे नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने कैसे कह दिया कि जांच करने के बाद मामला तथ्यहीन पाया गया। सही जानकारी के लिये यह जरूरी है कि वे पर्चियां उनके हाथ की लिखी हुई थीं या नहीं, यह जांच की या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर्चियों में क्या लिखा हुआ था, यह सवाल है नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन पर्चियों में एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्रेसक्राइब किया हुआ था और वे पर्चियां बीमारों को दी हुई थीं और उन पर्चियों को साथ में लगाकर निरीक्षक, आयुर्वेदिक विभाग के पास शिकायत की थी कि उक्त वैद्य एलोपैथिक ट्रीटमेंट करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई इमरजेन्सी का केस होगा, इसकी शिकायत हुई, इसकी जांच की गई और वह शिकायत तथ्यहीन साबित हुई।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस आधार पर हुई, क्या पर्चियों को तसदीक किया गया या जिसने पर्चियां पेश की उनका स्टेटमेन्ट लिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर्चियों में क्या लिखा हुआ था, यह मैं नहीं कह सकता, इसकी डिटेल्स मेरे पास है नहीं, लेकिन उस आधार पर जो जानकारी हमने की उससे यह साबित हुआ कि वह शिकायत तथ्यहीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह सही है कि उक्त वैद्य ने एक कम्पाउन्डर का ऑपरेशन किया था और उससे उसकी मृत्यु हो गई और इस कारण वहां हड़ताल हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में डॉ० लुआनी ने ऑपरेशन किया था। वैद्य ने नहीं किया था।

Page No 3

श्री भैरोंसिंह : डॉ० लुआनी ने ऑपरेशन उस समय किया जब कि उस वैद्य के द्वारा ऑपरेशन करने पर वह बिगड़ गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फिर से ऑपरेशन करने की बात नहीं, उसी ने ऑपरेशन किया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय, इस बात की शिकायत की गई थी कि यह व्यक्ति आयुर्वेदिक ट्रीटमेन्ट के साथ साथ एलोपैथिक ट्रीटमेन्ट करता है। जब कि वहां एलोपैथी का डॉक्टर मौजूद है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बात की जनरल शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ वैद्य एलोपैथिक ट्रीटमेन्ट करते हैं, उसके लिये जनरल हिदायत कर दी गई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो पर्चियां उस शिकायत के साथ में पेश की गई और जिन मरीज़ों की पेश की गई थीं, क्या उन मरीजों का स्टेटमेन्ट लिया गया या नहीं? अगर नहीं लिया गया तो आप किस आधार पर कहते हैं कि वह शिकायत तथ्यहीन साबित हुई। मेरे पास वे तथ्य हैं, आपके सामने पेश करने को तैयार हूं।

श्री बद्रीप्रसाद : जब आप तथ्य देंगे तो जरूर जांच करवाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : जिन पर्चियों के आधार पर आप कहते हैं कि उनमें तथ्य नहीं है, मुझे, आप इस बात के लिये बतायें तो मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। यह उनके हाथ की लिखी हुई थीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो तथ्य मुझे बताये गये उसके आधार वह शिकायत गलत साबित हुई।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर आप कहते हैं?

श्री अध्यक्ष : इन्कार तो है नहीं इनको।

श्री भैरोंसिंह : जो पर्चियां दी गई थी वह एलोपैथिक प्रेसक्रिप्शन की थी, उन पर्चियों को फाड़कर फेंक दिया गया इस कारण सबूत मुहैया हो नहीं सकता और दुबारा पर्चियां मिल नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : पहले जांच हुई होंगी तभी यह परिणाम आया होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात है, जिनकी पर्चियां थी वे सब आये थे। लेकिन किसी का स्टेटमेन्ट नहीं लिया गया और यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि पर्चियां किसके हाथ की लिखी हुई थीं। निरीक्षक महोदय ने पक्षपात करके वे पर्चियां फाड़ दी और जब वे पर्चियां फाड़ दी गई, तो यह कहा गया कि वह शिकायत तथ्य हीन साबित हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेजर कम्पलेन्ट तो उस कम्पाउन्डर की थी जिसका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वह ऑपरेशन वैद्य के द्वारा नहीं हुआ था, अगर वह वैद्य के द्वारा हुआ होता तो, would have taken him to task. पर्चियां मेरे पास हैं नहीं और वैद्यों को यह जनरल हिदायत कर दी गई है कि वे एलोपैथिक ट्रीटमेन्ट न किया करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप अपनी

(श्री भैरोंसिंह)

जानकारी के आधार पर यह कहने की स्थिति में है कि मोतीलाल वैद्य ने उक्त कम्पाउन्डर का कोई ऑपरेशन नहीं किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस समय जो लिखा हुआ जवाब आया है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि देवीदत्त का ऑपरेशन डॉ० लुआनी ने किया था। मोतीलाल वैद्य द्वारा जो करने की बात कही जाती है वह निराधार है।

श्री भैरोंसिंह : आपका डिपार्टमेंट, मोतीलाल ने ऑपरेशन नहीं किया इस बारे में क्या कहता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉ० लुआनी के ऑपरेशन के बाद वे मरे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सीधा है क्या मोतीलाल ने उस कम्पाउन्डर का ऑपरेशन किया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है कि उस कम्पाउन्डर की मृत्यु की जिम्मेदारी डाक्टर पर है या वैद्य पर।

श्री भैरोंसिंह : अगर यह साबित हो जाय कि वैद्य ने ऑपरेशन किया है तो आप क्या करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी जानकारी करूंगा और कुछ न कुछ कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के समक्ष यह साबित करने के लिये कि वह ऑपरेशन मोतीलाल ने किया था, क्या उसके लिये फिर से इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जांच करायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इन परिस्थितियों को देखकर सदन में कुछ आश्वासन दे दें। यहां पर यदि आश्वासन नहीं देते हैं तो किसी प्रकार की कार्यवाही आगे होनी वाली नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ यह घटना उनके सरकारी सर्विस में आने से पहले की है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसी वर्ष की है।

श्री भैरोंसिंह : इसी वर्ष की है।

श्री अध्यक्ष : अभी आप वापिस जांच करा लीजिये।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं खुद लोसल से आया हूं। माननीय मंत्री महोदय को बता दूँ, इसी साल में उनका ऑपरेशन किया है और दुबारा ऑपरेशन में वह मरा है अगर आप इन्क्वायरी कराकर एक्शन नहीं लेंगे तो हजारों लोसल में इस तरह से मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, वापिस जांच करायेंगे।

सुमेरपुर में पॉवर हाउस

२८६. **श्री तेजोराम गहलोत** (श्री मोहब्बत सिंह की अनुपस्थिति में) : Will the

Page No 5

(तेजाराम गहलोत)

Minister for Electrical & Mechanical Department be pleased to state :-

Was there any scheme to establish a Power House at Sumerpur in Pali District and to supply power to Sheoganj town of Sirohi District from it ? If so, when is this scheme expected to be implemented ?

उप मंत्री विद्युत एवं यांत्रिक विभाग (श्री भीखा भाई) : (1) Yes.

(1) As far as possible, during the current financial year.

राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

२८७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Health Minister be pleased to state :-

Whether the Government of India has expressed any views regarding the continuance of the medical attendance facilities which might have been available to a set of employees in their parent State immediately before the reorganisation ? If so, what action has the State Government taken in this direction ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): No.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Secretary to the Government of India wrote on 27.3-57 a letter to the Chief Secretary to Rajasthan Government in which he stated at para 3 that the State Government should make available the same medical facilities to the employees of the merging States which they were enjoying before ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The communication which was received from the Government of India regarding medical attendance, only said that "no State would wish to cut down its medical facilities which might have been available to Government employees before reorganisation". After that the Government of Rajasthan has liberalised its medical attendance rules which were published on 28.3.58.

श्री पी० के० चौधरी : उसमें क्या प्रोवाइड किया गया मेडिकल के लिये, बता दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको लिबरेलाइज़ किया गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : थोड़ा सा बता दीजिये उनके प्रोटेक्शन के लिये, क्या किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके डिटेल्स पब्लिश कर दिये हैं ।

रूपबास तहसील में सिंचाई प्रसार के बकाया की वसूली

२८८. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :-

Page No 6

(श्री श्रीमानसिंह)

(1) Did the Government realise this year the Irrigation charges for the previous three or four years in Rupbas Tehsil of Bharatpur District ?

(2) If so, why this belate realisation ?

(3) Is the Government aware that last year the Tehsil was flood affected ?

(4) Did the people make representation to the Collector Bharatpur for suspension of realisation till the harvest time ? If so, what steps were taken by the Government in this regard ?

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : (1) Yes, in some cases.

(2) Because there were arrears.

(3) Yes.

(4) Yes. The realisation has been stayed provisionally.

प्रश्न संख्या २८६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

सरूपगंज–सिल्दर सड़क

२६०. श्री तेजाराम गहलोत (श्री मोहब्बत की अनुपस्थिति में) : Will the Minister for Public works be pleasde to state:-

(1) Whether the Government is contemplating to take up the construction work of Sarupganj Sildar Road in Sirohi District ?

(2) If so, when this work is to start and by what time it is to be completed and at what cost ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (1) No.

(2) Question does not arise.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

जिलों में जन-सम्पर्क कार्यालय

२६१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मन्त्री जन–सम्पर्क विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किन किन जिलों में जन–सम्पर्क कार्यालय हैं ?

(ख) उन कार्यालयों में कितने २ कर्मचारी हैं और उनका मासिक खर्च कितना है ? अलग सूची दीजियेगा ।

(ग) उन कार्यालयों में कितने २ तथा कौन–कौन से दैनिक मासिक व साप्ताहिक पत्र आते हैं ?

(घ) उन कार्यालयों का वार्षिक खर्चा क्या–क्या है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान के सभी ज़िलों में जन सम्पर्क कार्यालय हैं ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ख) उन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या व इनका मासिक खर्चा इस प्रकार है :

नाम जिला	कर्मचारी प्रत्येक जिला	खर्चा
बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टौंक व चूरू।	४. प्रत्येक ज़िला	४३५ प्रत्येक जिला
बांसवाड़ा	४.	४४४रू.
बूंदी	४.	४३७रू.
नागौर	४.	४४३रू.
पाली	४.	४४१रू.
जयपुर	६.	६७४.३० न.पै.
भरतपुर	५.	६१२रू.
भीलवाड़ा	५.	५८५रू.
बीकानेर	५.	५३७रू.
चित्तौड़गढ़	५.	५२४रू.
झालावाड़	५.	५४६रू.
जालौर	५.	५३०रू.
सिरोही	५.	५४४रू.
सीकर	३.	३६४रू.
डूंगरपुर	१.	२४०रू.

जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर कार्यालयों में कर्मचारियो की संख्या ६ है।

(ग) पत्रों की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(घ) जिला कार्यालयों का अनुमानित वार्षिक व्यय इस प्रकार है :

जयपुर जिला कार्यालय	१५,००० रू.
अजमेर, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर	१२,००० रू.
बाकी सब जिलों का	१०,००० रू.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : कौन–कौन पत्र आते हैं, उसकी सूची मुझे नहीं मिली ?

श्री रामकिशोर व्यास : बाहर लिये हुये खड़ा है, आपकी इन्तजारी में।

श्री मूलचन्द डागा : ये अखबार कौन पढ़ते हैं, जब कि ये अखबार सात सात दिन तक पड़े रहते हैं। सात दिन बाद खोले जाते हैं, तो आखिर इनका उपयोग कौन करता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सभी कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने इस बारे में कार्यालय से मालूम किया तो पता चला कि इनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : सम्पर्क कार्यालय के अखबार सभी पढ़ सकते है। जनता भी पढ़ सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या दफ्तर में जाकर देख सकती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कलेक्टर के कार्यालय में क्या कोई लाइब्रेरी है, जिसमें जाकर जनता पढ़ सके ?

श्री रामकिशोर व्यास : कार्यालय में रहते हैं, वहां जाकर पढ़ सकते हैं।

Page No 8

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is there any reading room in that office ?

श्री रामकिशोर व्यास : सैपरेट रीडिंग रूम तो है नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : How the office work and reading will continue together ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सरकार के इस तरह के आदेश हैं कि कार्यालय में जाकर जनता पढ़ सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सैपरेट सर्कयुलर है या नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पब्लिक किसी अधिकार के ऊपर उन समाचारों के प्रयोग करने के बारे में अपना राइट क्लेम कर सकती है, जब कि आपकी तरफ से ऐसी कोई आज्ञा नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो ऑफिसर्स ही अलाऊ कर देते हैं, जो भी वहां आकर पढ़ना चाहते हैं उनको ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उन अखबारों में काफी अखबार अंग्रेजी के आते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अंग्रेजी के भी आते हैं और हिन्दी के भी आते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह जो पत्र जन–सम्पर्क कार्यालय में आते हैं, यह क्या जनता से सम्पर्क कराने के लिए मंगाये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनता को जानकारी बढ़े इसलिए ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जनता से सम्पर्क उन पत्रों द्वारा होता है या अधिकारी स्वयं से जनता से सम्पर्क प्राप्त करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सम्पर्क प्राप्त करने के तो बहुत से तरीके हैं ।

डॉक्टरों बगैर चलित औषधालय

२६२. **श्री मोहब्बतसिंह** (श्री तेजराम द्वारा पूछा गया) ? Will the Minister for Medical & Public Health be pleased to state :—

(a) What is the total number of dispensaries which are without doctors ? The list of the names of these dispensaries may hindly be placed on the Table of the House,

(b) How many of them were opened in the year 1957 and 1958 and are running without doctors ?

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) The number of dispensaries without doctors is 54, the list of which has been placed on the table of the House,

(b) one in 1957 and fourteen in 1958.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): आपने

Page No 9

(श्री तेजाराम गहलोत)

जो लिस्ट दी है उस लिस्ट में आइटम नम्बर २३ व २५ पर जो आपने डिस्पेन्सरीज बताई हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, इसका क्या कारण है ? और कितने अर्से से वहां डॉक्टर्स नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो इस लिस्ट में दर्ज नहीं है, कि कितने अर्से से वहां डॉक्टर नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : बिना डॉक्टरों के डिस्पेन्सरीज किस तरह से चलती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिपार्टमेन्ट के कम्पाउन्डर्स बहुत काबिल हैं, इस लिए वह चला लेते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : डॉक्टरों की पूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब वैद्यों को ट्रेनिंग देने का विचार कर रही है।

श्री तेजराम गहलोत : यह लिस्ट में जो २५ नम्बर पर डिस्पेन्सरी है, उसमें पिछले ७ महीने से डॉक्टर नहीं है और वहां एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर भी है और वह बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी वहां डॉक्टर नहीं है। क्या वहां अब व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, व्यवस्था की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह माना जाये कि अब डिस्पेन्सरीज़ में डॉक्टरों के बजाय वैद्य रखे जायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं मिला)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सहकारी संस्थान विभाग में नियुक्तियां

२६३. **श्री मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सहकारी संस्थान के विभाग में ऐसे कितने सरकारी अधिकारी हैं जिनकी नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं हुई हैं ! इनकी एक लिस्ट सदन की मेज़ पर रखें।

(२) ये लोग कब से इस विभाग में काम कर रहे हैं।

(३) क्या इसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी योग्यताएं भी आवश्यक योग्यता से कम हैं ?

(४) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किस कारण की गई है ?

सहकारी विभाग मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नही हो सका है, इसलिए अगले टर्न पर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला

ज़िला बोर्ड टौंक का कार्य-क्षेत्र तथा उसका कार्यालय

२६४. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल

Page No 10

(डॉ० चन्द्रकला)

बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक ज़िले में कितने और कौन कौन से गांव ऐसे हैं जो ज़िला बोर्ड के कार्य-क्षेत्र के बाहर हैं ?

(२) टोंक जिला बोर्ड का कार्यालय कहां पर है ? डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जिला बोर्ड का कार्यालय न रख अन्यत्र रखने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) टोंक जिले में कोई गांव ऐसा नहीं है जो जिला बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर हो।

(२) टोंक जिला बोर्ड का कार्यालय मालपुरा में स्थित है। मालपुरा जयपुर राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट था और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स मालपुरा में थे। जयपुर राज्य में जिला बोर्ड के हैड क्वार्टर्स भी मालपुरा में थे। राजस्थान बनने के बाद टोंक जिला बना और मालपुरा टोंक जिले में सम्मिलित हो जाने के कारण डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स वहां से उठ गये, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हैड क्वार्टर्स अभी तक वहां चल रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि ज़िला बोर्ड का हैड क्वार्टर्स टोंक में लाया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता मुझे ज़बानी याद नहीं है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव ज़िला बोर्ड ने पास किया है, लेकिन अब तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही टूटने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के मातहत किसी भी बोर्ड का हैड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही होना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं ज़बानी तो नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में क्या लिखा है, लेकिन मैं दुबारा देखुंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रिज़ोल्यूशन पास करके मंत्री महोदय के ऑफिस में भेज दिया गया था कि मालपुरा से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैड क्वार्टर्स को हटा कर टोंक लाया जाये और मंत्री महोदय के यहां से ऐसे आर्डर भी हो गये थे, उसके बाद में फिर वहां क्यों नहीं लाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आर्डर की तो मुझे याद नहीं है कि मेरे यहां से हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टूटने की बात बहुत दिनों से हो रही है और उसकी संभावना भी है, इस लिए मुमकिन है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई हो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मंत्री महोदय आॅर्डर्स के लिए तो हमेशा ही कह देते हैं कि याद नहीं है, तो फिर याद कब होगा। दस वर्ष हो गए और मैं यह कहूँ कि आॅर्डर्स हो चुके थे, लेकिन चूंकि मालपुरा मंत्री महोदय का हैड क्वार्टर है और मंत्री महोदय वहां पर डिस्ट्रिक्ट भी ले जाने की फिराक में हैं, इसलिए वहां से यह जिला बोर्ड का हैड क्वार्टर्स नहीं हटाया जा रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट ले जाने की फिराक में तो नहीं हूं। जिला बोर्ड

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। २ अगस्त से टूटने वाले हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : थोड़े दिनों के मेहमान क्यों, क्या वह आपकी तरह से ही बूढ़े हो गये हैं। टूटने का क्या कारण है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह,

ग्राम नगर, तहसील देवली के चमारों के लिए धनराशि

२६५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५७ में कस्बा नगर, तहसील देवली में चमारान के कुएं के लिए जल बोर्ड से २००) रु० दिये गये थे? अगर हां, तो किसको?

(२) क्या यह सही है कि इस रकम के बाबत सम्बंधित अधिकारियों को प्रजा ने शिकायत की थी कि यह रकम सरपंच, नगर उक्त कार्य में नहीं लगा कर खुद हजम कर गया?

(३) अगर, हां, तो अब तक उस सरपंच के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जिला बोर्ड के दफ्तर में कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या कहा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी जिला बोर्ड का दफ्तर बन्द है। सब लोग कहीं गये हुए हैं इसलिए उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : जो इनके मार्फ़त की बात की जाती है कि जिला बोर्ड की तमाम रकम जो सरपंच खा जाते हैं इसके लिए तो आप जवाब दे देते हैं कि ऑफिस बन्द है और ऑफिस को अभी तक वाइन्ड-अप किया नहीं। तो ऐसी हालत में आप इस इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन का उत्तर देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह भारत सेवक समाज के साथ पद यात्रा पर गये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जिला बोर्ड के कागज़ात और ऑडिट रिपोर्ट सरकार के अधिकार में है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कागज़ात तो अभी दफ्तर में ही हैं। कागजात तो अभी उन्हीं के ऑफिस में हैं, क्योंकि हमारे यहां उन्हें रखने के लिए जगह नहीं थी। ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गई है। मैंने इसके लिए आदमी को भी भेजा, मगर वह प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए कि वहां ऑफिस में कोई आदमी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : जिन दो सौ रुपयों का उल्लेख आया है, क्या ऑडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि जिससे सरकार कहे कि इसका जवाब नहीं आया है?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर नेक्स्ट वीक में आ जायेगा।

Page No 12

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २६६

श्री नाथूलाल करोल

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर दयाल ।

तहसील लाडपुरा में तालाब और बांध से सिंचित भूमि की लगान की दरें

२६७. **श्री रामेश्वर दयाल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में तालाब और बांध से सिंचाई की जाने वाली एक ही किस्म की जमीनों के लगान की दरों में काफी भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : जमीनों के लगान का सम्बंध राजस्व विभाग से है ।

राजस्व विभाग जमीनों का महसूल लेता है, जब कि सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए दिए गए पानी की कीमत लेता है ।

श्री रामेश्वरदयाल : Does the Hon'ble. Minister know that land revenue includes water rates, irrigation rates as a result of settlement operations ?

श्री भीखाभाई : No, Sir.

श्री रामेश्वर दयाल : I will request the Hon'ble. Minister to look into this matter, because settlement operations have decided that land revenue will include irrigation rates.

श्री भीखाभाई : No. There is a proposal to separate the irrigation charges from land revenue,

श्री रामेश्वर दयाल : But this has been happening.

श्री भीखाभाई : Which are the areas which the Hon'ble. Member mentions, so that we may look into it.

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चलते फिरते मानव दवाखाने

२६८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का विचार प्रत्येक तहसील में तहसील डिस्पेन्सरी के अधीन चलता फिरता मानव दवाखाना खोलने का है ?

(२) क्या सरकार गांवों में बसे हुए लोगों को उस दवाखाने की सहूलियत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :
(१) जी नहीं, इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यदि आवश्यक धन-राशि उपलब्ध हो सकी, तो इस पर विचार किया जा सकेगा ।

एक माननीय सदस्य : किन किन स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां कि चलते फिरते दवाखाने हैं, जैसे नोखा, हिन्डौन, डीग, बारां बगड़ा, सीसागन हैं और बाकी जगह प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या यह सही है कि तहसील डिस्पेन्सरीज़ का नाम प्राईमरी हैल्थ सेन्टर रख दिया गया है, जब कि वह वास्तव में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके साहित्य में ऐसा लिखा हो तो पता नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : यह साहित्य की बात नहीं है, तथ्य की बात है। एक डिस्पेन्सरी है जिसको प्राइमरी हैल्थ सेन्टर आज से तीन वर्ष पूर्व घोषित किया, लेकिन सच यह है कि वह प्राईमरी हैल्थ सेन्टर नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसका अमाउन्ट फिक्स्ड है। उसकी बिल्डिंग बनने की बात थी और वह तो धीरे धीरे सब काम चलेगा। वह कोई एक आदमी तो बना नहीं सकेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मिनिस्टर महोदय ने ठीक कहा कि........

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, बोलते समय चेयर को ही एड्रेस किया जाय, मंत्री महोदय की तरफ इशारा नहीं किया जाये।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह ठीक कहा कि काम धीरे धीरे चलेगा। पर उसका आज से तीन साल पहले ही नाम रख दिया गया है...

श्री अध्यक्ष : आपको (श्री जनार्दनराय नागर से) इस नाम से आपत्ति है ?

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह बहुत ही इवेज़िव है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह डिस्पेन्सरीज़ केवल नाम मात्र को ही प्राईमरी हैल्थ सेन्टर के नाम से रख दी गई है, जब कि सच यह है कि ऐसा नहीं है। अब वह कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, यह तो आपके कागज पर नमूने बने हुए होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बजट पर डिस्कशन का तो बाद में मौका आयेगा, यह तो अभी से डिस्कशन हो रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : वह आज दिन तक नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) क्या मैं यह पूछ सकता हूं, "Is it correct that the Hon'ble. Member is in un-authorised occupation of ministerial Chair ?

श्री जनार्दनराय नागर : There is no label that these are ministerial Chairs.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : I think it has been allotted to Shri Sampat Ram.

(हंसी)

Page No 14

ग्राम पंचायत, देही के सरपंच द्वारा बीज वितरण न किया जाना

२६६. श्री पी. के. चौधरी : (फुलेरा) will the Ministerincharge of Agricul ture be pleased to state:-

(1) Is it correct that during the recent Rabi campaign, the Sarpanch of 'Dehi' Village Panchayat Tehsil Nainwa, District Bund, took 900 Mads of Nncles seed from the Agricul ture Department for distribution among the agricul turists, bul sold it in the market ?

(2) Is it correct that this has been brought to the notice of the Government ? If so, what action has been taken by the Government in the matter ?

उप मन्त्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं। (२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the Collector Bundi has repored this matter to Panchayat Department.

श्री दौलतराम सारण ; हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बीज दिया ही नहीं तो रिपोर्ट का क्या सवाल है ?

श्री पी. के. चौधरी : बीज दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत को नहीं दिया।

श्री पी० के० चौधरी : He has taken the seeds.

श्री नाथूराम मिर्धा : No he has not taken. we have given no seeds to any Panchayat. we have given to co-operative societies.

श्री पी० के० चौधरी : What Position does the Sarpanch hold in that co-operative society ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I do not know. As a Sarpanch he has no concern.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नेनवा के नाम से बीज दिया है और वहां पर काम करने वाले वहां के सरपंच है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बीज दिया गया है, उसके वितरण की शिकायत नहीं है कौन प्रेसिडेन्ट है और कौन सेक्रेटरी है इस बारे में मैं कुछ नही कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सत्य है कि सोसाइटी की तरफ से बीज लेने को वहां के सरपंच आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन सरपंच की हैसियत से बीज नहीं दिया गया।

सिकराय तहसील में दवाओं का बजट

३०० श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) ; क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(१) सिकराय तहसील में सन् १९५६, ५७

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

व ५७, ५८ में दवा का कितना कोटा मंजूर हुआ तथा कितने रुपये की दवाइयां दी गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि दवा का बजट कम पड़ता है ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

उप मन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) सिकराय डिस्पेन्सरी की दवा की निर्धारित रकम व दी गई दवाइयों की लागत का ब्योरा निम्न प्रकार है।

वर्ष	निर्धारित रकम	दी गई दवा की लागत
५६,५७	१५०० रु०	५२१,६६ न. पै.
५७,५८	१५०० रु०	१८३७, १० न. पै.

(२) जी नहीं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह रकम जो आपने बताई है, उसका फिक्स कोटा ठीक तरह से नहीं पहुंचता है, इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : कोटा वही है और वही सिस्टम है। कोटा कहीं जाता आता नहीं है।

उदयपुर जिले की सिचाई योजनाएं

३०१ श्री मूलचन्द डागा (पाली) क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(१) उदयपुर जिले में सन् १९५७ व १९५८ में कितनी सिंचाई के तालाब व लघु सिचाई योजनाओं की मरम्मत कराई गई, और कितनी नई योजनाएं व नये तालाब सिंचाई के लिये बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन तालाबों व लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे कब हुआ, उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होगी और अब तक कितनी भूमि की सिंचाई हुई।

उप मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) उदयपुर ज़िले में जिन तालाबों व लघु सिंचाई योजनाओं में १९५७-५८ में मरम्मत की गई व जो नये तालाब सिंचाई के लिये बनाये गये, उनकी सूची इस प्रकार है :

सूची सिंचाई के तालाबों की सन ५७–५८ में मरम्मत कराई गई

नं० शु०

एक्सटैन्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट

१. लाइनिंग फिडर केनाल चिकलवास।

मेन्टीनेन्स एण्ड रिपेयर्स

२, गोवरधन विलास टैंक एन्ड केनाल....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एक ही भाषा का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मूलचंद डागा : सूची नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : सूची ज्यादा लम्बी नहीं है, इसलिये पढ़ रहे हैं।

श्री भीखाभाई : हैं जो :

३. थर पिक अप वियर।

४. उदयसागर बन्ध व केनाल।

५. केनाल रोड ब्रिज किलवास।

Page No 16

(श्री भीखाभाई)

६. तीतरड़ी ।

७. मटार टैंक केनाल ।

८. दूध तलाई केनाल ।

९. बोरापाल केनाल ।

१०. भटेवर टैंक ।

११. उडाला टैंक केनाल ।

१२. चावड़ टैंक बंध ।

१३. केजड़ टैंक ।

सूची तालाब तथा नहरें सिंचाई के लिये सन् ५७-५८ में बनाये गये

नं० शु० नाम तालाब

१. बागोलिया प्रोजेक्ट ।

२. श्यामपुरा प्रोजेक्ट ।

३. भाट नहर ।

४. सोम पिक अप वियर ।

५. उदयसागर की नहर ।

(२) इन तालाबों व लघु सिंचाई योजनाओं की सर्वे सन्' १९५४-५५ में हुई जो भूमि की सिंचाई हुई, वह इस प्रकार है :

सूची तालाब तथा नहरें जिसमें सन् ५७-५८ में सिंचाई हुई

नं.शु.	नाम तालाब	संभावित सिंचाई जो एकड़ों में हुई	सिंचाई सन् ५७ में हुई एकड़ों में
१.	बागोलिया प्रोजेक्ट	६६८०	२०००

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, सूची बिना समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : सात आठ नाम हैं, अभी पढ़ देंगे ।

श्री भीखाभाई : नाम आपके परिचित नहीं हैं, इसलिए पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अभी कोपी दे दी जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : जवाब मन्त्रीजी से ही क्यों नहीं दिला दिया जाय ?

श्री भीखाभाई :

२.	श्यामपुरा नहर	४४००	२५००
३.	भाट नहर	६२४०	३२००
४.	सोम पिक अप वियर	४८३०	४७५
५.	उदयसागर की नहरें	५३६०	२३२६

श्री भैरोंसिंह : उदयसागर की नहरों से ५३६० एकड़ के एस्टिमेट में सिर्फ २००० एकड़ की ही सिंचाई क्यों हुई ।

श्री भीखाभाई : धीरे धीरे बढ़ रही है जी ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह ; क्या यह सच है कि इस नहर से सिंचाई करने वाली कोई भूमि नहीं बची है ?

श्री भीखाभाई : जांच की जायगी कि क्या बात है ?

श्री मूलचन्द डागा : क्या उतनी सिंचाई हुई या नहीं जितने आंकड़े बता रहे हैं ? सूची दी जाती तो पता लगता ।

श्री भीखाभाई : पूरी प्रश्नावली आपको मिल जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उदयसागर से डयोढ़ जमीन सिंचित होती है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी नहीं है ।

धौलपुर नगरपालिका द्वारा नल व बिजली के माल की खरीद

३०२. **डॉक्टर बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर नगरपालिका में चुनाव से पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के समय में कितने मूल्य का सामान नल व बिजली के लिये खरीदा गया ? क्या उसके टेन्डर मंगाये गये ? यदि हां, तो किस किस दूकानदार से और कब कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को सामान खरीदने के लिये रुपया एडवान्स दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों और कितना रुपया एडवान्स दिया गया था तथा कितने रुपये का सामान आया ?

(३) जो सामान खरीदा गया था, उस बाबत क्या व्यापारी से टेन्डर के साथ नमूना भी मंगवाया गया था ? यदि हां, तो जिस समय माल खरीद कर आया उसकी जांच किस व्यक्ति ने की कि माल नमूने के अनुसार है ? यदि जांच नहीं की गई तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : चुनाव से पूर्व धौलपुर नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नल व बिजली का २८,४४९ रु० ५० न. पै. का सामान खरीदा गया था । इस सामान की खरीद हेतु टेन्डर मांगे गये थे । जिन जिन दूकानदारों से टेन्डर सन् ५७-५८ व ५८-५९ में मांगे गये थे उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

१. जैन हार्डवेअर २. राजमिल स्टोर ३. स्टोर सप्लाई एजेन्सी ४. बन्शीधर सुमेरचन्द ५. दौलतराम सुनमेरीलाल ६. जैन मिल एंड जनरल स्टोर ७. मट्टी एंड को. ८. श्यामलाल बंसल ९. श्रीधर इलेक्ट्रिकल स्टोर १०. राजेन्द्र ब्रदर्स ११. कृष्ण इलेक्ट्रिकल कं० १२. छाजेर एंड को. १३. मोडल इलेक्ट्रिकल कं. आगरा ।

(२) एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को २१,८५० रुपये एडवान्स दिया गया था व कुल सामान २९,४५९ रु० ५० न. पै. का आया । सामान आगरे से आवश्यकतानुसार लाया गया था और नकद रुपये दिये बिना सामान का मिलना कठिन था, इसलिये नकद रुपया दिया गया था ।

(३) जी नहीं । वाटर वर्क्स और बिजली के सामान टेक्नीकल होने के कारण तथा स्टेन्डर्ड फर्मों के द्वारा लिये जाने से नमूने की आवश्यकता नहीं समझी गई । खरीदे हुए सामान की जांच बोर्ड के टेक्नीकल स्टाफ द्वारा की गई है ।

डॉ० बहादुरसिंह : जिस वक्त एडवान्स के रुपये दिये गये, उस वक्त एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर की जमानत ली गई थी क्या ?

Page No 18

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बोर्ड का ही मुलाज़िम था।

डॉ० बहादुरसिंह : जिस वक्त रुपये एडवान्स दिये गये उस दिन सामान लाया गया था या उस दिन के और कितने दिन बाद लाया गया और रुपये दिये गये उनकी जमानत ली गई थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आगरा से सामान लाया गया और धौलपुर से आगरा ३२–३३ मील है। क्योंकि ऑफिसर म्यूनिसिपेलिटी का मुलाज़िम था इसलिए जमानत लेने का प्रश्न नहीं था। जितने रुपये दिये गये थे उससे ज़्यादा का सामान आया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि इसके लिये टेन्डर नहीं मागे गये और १२ दूकानदारों से कोटेशन्स लिये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मालूम पड़ता है कि कोटेशन्स लिये गये थे।

श्री पी० के० चौधरी : फिर आपने कैसे बताया कि टेन्डर मागे थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फलां २ फर्म से लिया उनके नाम बताये थे।

श्री पी० के० चौधरी : This Can not be Called Tender, मर्जी से ही मांगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको कोटेशन ही समझना चाहिये था।

श्री पी० के० चौधरी : There is a difference between calling a tender and taking quotations from some particular shops.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही तो मैंने जवाब दिया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जिन फर्मों से कोटेशन्स मांगे गये थे क्या वे सरकार द्वारा एप्रूव्ड हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह म्युनिसिपेलिटी का मामला है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनके डिस्क्रीशन पर था कि किस किस से मांगा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनरली जो इनमें डील करते हैं उन्हीं से मांगा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की ओर से इस प्रकार के डीलर्स की एप्रूव्ड लिस्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, कोई एप्रूव्ड लिस्ट नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : जो सामान लिया गया है उसके सम्बन्ध में कोई शिकायत है कि जो सामान चाहिए था वैसा सामान नहीं आया है। क्या कोई ऐसी शिकायत आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास शिकायत नहीं आई। भरतपुर के बारे में शिकायत नहीं आई है। धौलपुर के बारे में शिकायत पहले पहल सुन रहा हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर कोई शिकायत आये तो क्या सरकार जांच करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा जवाब कई दफ़ा दिया है कि अगर शिकायत आती

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है तो उसकी जांच करेंगे। आवश्यक जांच शिकायत आने पर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

नापासर रेलवे स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था

३०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१] नापासर रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने हेतु मांग रेलवे विभाग की ओर से कब से चल रही है ?

(२) सरकार का उक्त मांग की पूर्ति कब तक करने का विचार है ?

उपमंत्री विद्युत विभाग (श्री भीखा भाई) : (१) सन् १६५४ से।

(२) इस सम्बन्ध में लगने वाली रकम के जमा हो जाने पर और आवश्यक सामान की प्राप्ति पर।

श्री भीमसेन : क्या सरकार ने मेटिरियल के लिए रेलवे विभाग से जांच कर ली है ?

श्री भीखाभाई : दरअसल किस्सा यह था कि जो ट्रान्सफोर्मर होगा उसकी कोस्ट कौन बिअर करेगा। रेल्वे विभाग ने एग्री कर लिया है लेकिन अभी सहमति नहीं दी है। सहमति देने के पश्चात् काम प्रारम्भ किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

कस्बा राजगढ़, जिला चुरू में जल कष्ट

३०४. **श्री रावतराम** (चुरू-सु) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कस्बा राजगढ़, जिला चुरू में पीने के पानी का बड़ा अभाव है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस जल कष्ट समस्या को सुलझाने के लिए विचार कर रही है ?

(३) पानी के अभाव को दूर करने के लिए सरकार की ओर से योजना कब तक पूरी हो जावेगी और इस कस्बे के निवासियों को पानी कब तक सुलभ हो जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) अब वितरण योजना सरकार के विचाराधीन है तथा योजना पूर्ण होने में लगभग ४ वर्ष लग जावेंगे।

श्री रावतराम : क्या सरकार ने वाटर वर्क्स के लिए सर्वे कराई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि स्कीम बन कर अभी प्राप्त हुई है।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि अगली साल काम चालू हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह वायदा नहीं कर सकता। पहले पब्लिक के कुछ कन्ट्रिब्यूशन देने की बात कही थी। अब

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उसके बारे में बात कर रहा हूं। कन्ट्रिब्यूशन प्राप्त हो जायगा तब विचार किया जायगा।

श्री रावतराम : इस साल की योजना के अन्तर्गत जो पैसा दिया है उसमें पब्लिक ने कन्ट्रिब्यूशन दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : योजना में आम तौर पर जिन कामों के लिए दिया है, वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर की स्कीम के लिए सैंकशन हुआ है।

श्री रावतराम : क्या सरकार को आशा है कि कन्ट्रिब्यूशन मिलेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपसे ज्यादा आशा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

कोटा में पानी की दर

३०५. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५८ में कोटा नगर में फिलटर्ड पानी की दरों में आठ आना प्रति हजार गैलन से एक रुपया प्रति हजार गैलन कर देने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार बतलायेगी कि चम्बल से पानी देने पर भी जो कि कोटा के पास है वाटर वर्क्स का खर्चा क्यों अधिक होता है ?

(ग) क्या सरकार की जानकारी में है कि राजस्थान के बाहर दूसरे शहरों में पानी की दरें एक रूपया से कम हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) घाटे की पूर्ति के लिये।

(ख) खर्चा अधिक नहीं होता, उचित ही होता है।

(ग) ऐसी इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या फिलटर्ड और अनफिलटर्ड वाटर की रेट्स एक हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से बहुत सी जगह दो रेट्स हैं—फिलटर्ड की और अनफिलटर्ड की। आपके यहां क्या पोज़िशन है, यह मुझे पता नहीं ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : खर्चा अधिक नहीं होता है तो घाटा किस बात का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घाटा इस बात का है कि पहले छोटी वाटर वर्क्स स्कीम थी जो पुराने जमाने में बनी थी। अब उसमें ७० लाख की लागत लगा रहे हैं और बड़ा फिलटर लगा रहे हैं स्पेशल पॉवर हाउस बना रहे हैं इसलिए डेप्रिसियेशन कॉस्ट, शिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा क्योंकि बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रखना पड़ेगा। डिविज़न कायम किया है वाटर वर्क्स का, इसलिए खर्चा बहुत बड़ा है। पहले वह छोटी स्कीम थी अब बड़ी स्कीम है। अब अनफिलटर्ड पानी को क्लोरिन मिला कर, एम. एल. से साफ करके साफ पानी देंगे, इससे खर्चा बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या यह घाटा इसलिए भी है कि पहले वाटर वर्क्स पी. डब्ल्यू. डी. के अन्डर में था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिजली घर में था।

श्री रामेश्वरदयाल : इलेक्ट्रिक सिटी हाउस के अन्डर में था। अब पृथक कर दिया गया है। अब काफी स्टाफ बढ़ गया है। यह घाटा इसलिए भी है कि फिलटर्ड और अनफिलटर्ड में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। क्योंकि डेवलपमेंट वर्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, कन्स्ट्रक्शन के कामों में फिलटर्ड वाटर खर्च होता है और इसकी वज़ह से ज्यादा खर्चा होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो नल लगाये हैं उनमें दो दो नल साथ नहीं चल सकते। यह नहीं हो सकता कि फिलटर्ड का न्यारा चलेगा और अनफिलटर्ड का न्यारा चलेगा। उसमें से फिलटर्ड पानी निकलेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। फिलटर्ड और अनफिलटर्ड पानी के नल अलग अलग लगाना नामुमकिन बात है। फिलटर्ड पानी भी उन्हीं चेनल्स के थ्रू देना पड़ेगा, उससे खर्च में कमी हो या ज्यादा हो वह देनी पड़ेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या जो अब वाटर रेट्स १ रुपये पर निश्चित की गई है वह पहले १२ आना थी और उससे पहले आठ आने थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह टेम्प्रेरिली किया था। १२ आने में खर्चा नहीं चला, इसलिए विचार करना पड़ा। मैं यह भी जानकारी दे दूं कि भारत सरकार से स्कीम तय हुई है, उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके पूरे होने पर सवा रूपया वाटर रेट लगाने को तय किया है। जब काम पूरा हो जायगा तब सवा रूपया लगाना पड़ेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : १२ आने के पीछे क्या आधार है और १ रूपये के पीछे क्या आधार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आधार यह है कि ६१ नये पैसे खर्च में लग रहे हैं। एक हजार गैलन शुद्ध वाटर कन्ज़्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए ६१ नये पैसे खर्च होते हैं। जब सारी स्कीम मेटिरियलाइज़ होगी, डेप्रिसियेशन कास्ट, शिंकिंग फंड, एस्टेब्लिश-मेंट पर खर्च होगा तो खर्चा और बढ़ेगा। इस विषय में हमने एग्रीमेंट करके स्कीम बना ली है चम्बल के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके बाद करीब सवा रूपया वाटर रेट लिया जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने यह पूछा कि आठ आने वाटर रेट के पीछे क्या क्या कारण हैं, आठ आने को १२ आने किया, वापिस आठ आने कर दिया और अब एक रूपया किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने सोचा है कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए रेट्स भी धीरे बढ़ाई जाय। जब स्कीम कम्पलीट हो जाय तो सवा रूपया करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : आठ आने आप वापिस ले आये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वापिस नहीं लिये थे। १२ आने करना इसलिए सोचा था कि इंजिन वगैरह चालू नहीं हुए थे,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पुराने फिलटर रिपेअर कर रहे थे, वे पूरे नहीं हो पाये थे इसलिए साफ पानी नहीं दे पाये थे। इसलिए १२ आने करे थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जब १२ आने किये थे उस के आंकड़े ठीक प्रकार नहीं बैठाये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े सब बैठे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या इस फेक्टर को वर्क आउट किया है कि एक हजार प्रति गैलन के हिसाब से ६१ नये पैसे खर्च आता है तो एस्टेब्लिशमेंट पर कितना खर्च होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह किया है, २२ हजार रुपये हैं।

श्री भैरोंसिंह : ६१ नये पैसे के हिसाब से बताये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २२ हजार रूपये।

(हंसी)

एक हजार प्रति गैलन के हिसाब से किया है। मैं टोटल खर्च बता सकता हूं उसके हिसाब से ६१ नये पैसे निकले। आठ हजार रूपया खर्चा है और पे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का १ लाख, ६ हजार रूपया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What is the expenditure on establishment out of every 91 N. P. ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक हजार प्रति गैलन पर ६१ नये पैसे बताये।

श्री पी० के० चौधरी : एस्टेब्लिशमेंट पर कितना शेअर आता है ६१ नये पैसे में से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निकला है कुछ न कुछ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ६१ नये पैसे में से ५० नये पैसे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज़ के हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री रामेश्वर दयाल : I want to put one supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार इस वाटर वर्क्स को म्यूनिसिपेलिटी को देने को तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं। जब राज्य को चलाने में जोर पड़ रहा है तो म्यूनिसिपेलिटी कैसे चलायेगी ?

श्री रामेश्वरदयाल : यह म्यूनिसिपेलिटी का सब्जेक्ट है।

श्री नाथुराम मिर्धा : सब्जेक्ट तो सब जगह है। लेकिन जब पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो फिर इसे कैसे चला लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अगर कोई इकरार करे, वायदा करे तो ?

श्री नाथुराम मिर्धा : वायदे को निभाने के बाद कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

बयाना में प्रसूति गृह केन्द्र का निर्माण

३०६ **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Medical & Public Health be pleased to state:—

(1) Is the Government aware that a foundation stone for the construction of a Maternity Centre was laid at Bayana town of Bharatpur District ?

(2) Is the Government also aware that the foundation of the building has been constructed through public contribution ?

(3) Did the Government sanction certain sum for its construction ? If so, why was the sum allowed to lapse ?

उप मन्त्री (श्री भीखाभाई, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में)

(1) Yes.

(2) No.

(3) No.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

सांचौर तहसील के गांव हुठवा में गड़े हुए धन की प्राप्ति

३०७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालोर की सांचौर तहसील के गांव हुठवा की सरहद में खसरा नं० ४४६ में से गड़ा हुआ धन प्राप्त करने की कोई इत्तला सरकार के पास आई है ?

(२) यदि हां, तो कब और उस मुतल्लिक किस किस व्यक्ति से दरियाफ्त किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां ।

(२) अगस्त १६५८ में । सी. आई. जांच कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अभी तक जांच न करने के क्या कारण हैं ? धन तो कभी का चला गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : जांच कर रहे हैं कि वहां धन निकला या नहीं । माल जाने के बाद रिपोर्ट हुई ।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह रिपोर्ट कब आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगस्त १६-५८ में ।

श्री लक्ष्मीचन्द : उसके बाद कितने दिन में सी. आई. मौके पर गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना नहीं है कि कब मौके पर पहुँचे, क्या क्या तफतीश हुई, किस किस ने बयान दिये ?

श्री लक्ष्मीचन्द : धन का पता लगा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कह नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल ।

Page No 24

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि सूचना पहुंचने के पहले कांग्रेस की एक जीप वहां पड़ी थी और उस माल को गोलमाल करने में उसका हाथ था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल ।

कोटा में सस्ते गल्ले की दूकानें

३०८. श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटा में सस्ते गल्ले की दूकानों पर आस्ट्रेलियन गेहूँ बिकता है, जिसमें लाल और सफेद दोनों किस्म का दाना है ?

(ख) क्या यह बात सच है कि यह गेहूँ लोगों के स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक है और बदबू देता है ?

(ग) उक्त गल्ला कितने साल पुराना है ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) कोटा व अन्य शहरों में आयात किया हुआ गेहूँ बिकता है। सफेद व लाल गेहूँ आस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे देशों से भी आयात किया जाता है। सिर्फ आस्ट्रेलिया ही विदेशी गेहूँ के आयात का मुल्क नहीं है।

(ख) यह सही नहीं है। यह वैज्ञानिक तरीके से स्टोर किया हुआ और कुछ रसायनों से छिड़का हुआ जरुर होता है। इसी से मुमकिन है कि लोगों ने गलतफहमी में आकर उसे बू समझ लिया और अफवाह फैल गई हो कि यह स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक है।

(ग) यह गेहूँ जो राजस्थान में आ रहा है जहाज से उतार कर सीधा ही हर महीने भेज दिया जाता है और ऐसा कोई गल्ला नहीं है जो कई साल पुराना हो ।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार ने ऐसे आंकड़े तैयार कर लिये हैं कि कोटा में कितना अनाज पैदा होता है, कोटा की दूकानों में यह खराब और बदबूदार गेहूँ दिया जाय और सरकार कोटा से सारा अनाज खरीदने का इरादा रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा कि वह गेहूं खराब और बदबूदार है ।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार ने इस बात की जांच करवाई है कि इस गल्ले में बदबू आती है और यह खराब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस गल्ले की डिमान्ड तो सारे राजस्थान में बढ़ रही है, खराब और बदबूदार का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास आई है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस गल्ले की कितनी खपत हो गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काफी खपत हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

बीकानेर—डूंगरगढ़ एवं कालू—

डूंगरगढ़ सड़क

३०९. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५७—५८ व ५८—५६ में अकाल के समय बीकानेर—डूंगरगढ़ एवं कालू-डूंगरगढ़ सड़क पर कितना काम हुआ ?

(२) क्या उक्त सड़कों को सरकार पक्का बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) १, बीकानेर डूंगरगढ़ सड़क: रिड़मलसर, नापासर, तेजासर व बेलासर के गांवों में मिट्टी व कंकर का काम हुआ। साढ़े तीन मील का काम टुकडों में हुआ, कुछ कंकर खानों पर निकाली गई हैं।

२. कालू-डूंगरगढ़ सड़क: मिट्टी का काम साढ़े तीन मील में हुआ है, कुछ कंकर खानों पर निकाली गई है।

(२) केवल बीकानेर-डूंगरगढ़ सड़क को सन् १६६०—६१ में आरम्भ करने की योजना है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि जो वर्क वहां पर हुआ है उसको टाइम पर पक्का नहीं किया गया तो सब टूट जायगा और सरकार द्वारा लगाया हुआ सब पैसा बेकार चला जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये क्या करें, हमारे पास प्लान में पैसा है नहीं। फेमिन में पैसा देने की मंजूरी थी इसलिये वह वर्क कराया। खुशकिस्मती से अबकी कहीं फेमिन नहीं हुआ। और कोई रास्ता निकालेंगे।

श्री भीमसेन : जो प्लान वर्क में है, उसके लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्लान वर्क में है, उसके लिये तो मैंने कहा न कि ६०-६१ में लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली मिल मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच हुआ इकरारनामा

३१०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जो इकरारनामा पाली मिल मैनेजमेंट व मजदूरों के बीच में फरवरी, ५८ में हुआ उसकी जांच के लिये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के पास भेजा गया ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या वहां से राजस्थान सरकार को कोई उत्तर प्राप्त हुआ ? कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। दिनांक ४ दिसम्बर, १६५८ को पत्र संख्या एफ।३७।लेब।५८ द्वारा भेजा गया।

(२) जी हां। इस विषय में भारत सरकार ने श्रम विभाग के एक अधिकारी को इस विषय में मंत्रणा करने के लिये बुलाया था जो कि दिनांक ११—२—५६ को बातचीत कर आये हैं। भारत सरकार से प्राप्त उत्तर सदन की मेज पर प्रेषित है, जो इस विषय पर काफी प्रकाश डालता है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No 26

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या यह सही है कि जिस समय यह इकरारनामा हुआ था कि इन्टक और कॉम्युनिस्ट, ये दो यूनियनें थीं और माननीय सदस्य इन्टक के मंत्री थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इस पर कई बार बात हो चुकी है, इस प्रश्न से यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : इकरारनामा किस बात का था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इकरारनामा सदन की मेज पर रख दिया गया है उसे पढ़ा जायगा तो काफी प्रकाश डालेगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इस इकरारनामें में यह समझौता हुआ था कि वाद-विवादों का, मजदूरों और मालिकों के झगड़े हैं उनका पंच फैसले से निर्णय हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें क्या लिखा है, मुझे इस समय याद नहीं।

श्री गिरधारीलाल : इकरारनामे के द्वारा पाली मिल की तीसरी शिफ्ट जो बन्द की जा रही है उसके लिये था कि बन्द नहीं किया जाय, क्या यह इकरारनामें है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीसरी शिफ्ट का मसला, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजने के बारे में चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल : क्या इकरारनामे की टर्म खत्म हो गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो इकरारनामा देखने से पता चलेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि इम्प्लीमेंटेशन सेल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन सेल को भेजा था।

श्री पी० के० चौधरी : स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सेल है, उसको क्यों नहीं भेजा, सेंटर को क्यों भेजा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेंटर में भेजने की बात हुई थी, पिछले सेशन में बताया था। वहां से उत्तर भी प्राप्त हो गया है।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या यह सही है कि एक विधान सभा के माननीय सदस्य को मिल मजदूरों की ओर से लाभ का पद दे रखा है ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, एक माननीय सदस्य पर एस्पर्शन है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो कि किन माननीय सदस्य को यह लाभ का पद प्राप्त है यह सारे सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। उन्होंने लाभ का पद, इस प्रकार का आरोप लगाया, वे माननीय सदस्य स्पष्ट करें कि किस मेम्बर को इस प्रकार का लाभ का पद प्राप्त है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपसे आप प्रोफिट का पद है।

श्री पी. के. चौधरी : It should be clarified. It is an aspersion on an Hon'ble member and it should be clarified.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं

(श्री मूलचन्द डागा)

इसके लिये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाली में दो संस्थाएं थीं, कॉम्युनिस्ट पार्टी और इन्टक। मैं इन्टक का मन्त्री था...

श्री अध्यक्ष : क्या आप समझते हैं कि यह रिमार्क आपके लिये था? अगर आप यह समझते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble member should first clarify it. Whom did he...

श्री अध्यक्ष : There is no aspersion and I don't think there is any need of clarification.

Next question

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, ऐसे तो इस सदन में सवाल पूछना मुश्किल हो जायगा यदि इस तरह कोई माननीय सदस्य इर्रेस्पोन्सिबल रिमार्क दे दें और उसे स्पष्ट नहीं किया जाय। और यह कन्टेम्प्ट ऑफ होल हाउस (Contempt of whole house) है, जब तक कि इसे स्पष्ट नहीं किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न मेरा था और उन्होंने पूछा कि क्या माननीय सदस्य को लाभ का पद प्राप्त है, तो मैं मानता हूं कि स्पष्टतः मेरे खिलाफ कहा गया। और मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण करें या माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है...

श्री पी. के. चौधरी : I think the Hon'ble member has not given a belief to you.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Let me make a request...

श्री श्रीभानसिंह : Secretary of the Union is not an office of profit...

श्री अध्यक्ष : Let the Minister finish first.

श्री पी० के० चौधरी : But how does he say? He should clarify it.

श्री अध्यक्ष : We are not going to discuss what the term meant and what not?

मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने आपत्ति की, उनके दिमाग में ऐसा कहते समय इतनी टेक्नीकल डेफिनिशन नहीं थी। उन्होंने कहा था कि यूनियन के ऑफिस के सेक्रेटरी हैं। ऐसा कहने में उनकी मंशा जो माननीय सदस्य समझते हैं वैसी नहीं थी।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : यदि कोई अवैतनिक मंत्री हो, उसको ऑफिस ऑफ प्रोफिट माना जाय, तो यह गलत है। उनकी धारणा बनी हुई है कि कोई सदस्य किसी संस्था का मेम्बर बना हुआ है तो वह लाभ का पद प्राप्त किये हुए है... It means that it must carry some profit with this office.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूँगा कि इसमें दो तथ्य छिपे हुए हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

एक यह कि एक सदस्य ऑफिस ऑफ प्रोफिट होल्ड करते हैं, तो सबसे पहले सदन की प्रतिष्ठा के लिये चाहूँगा कि माननीय सदस्य उन माननीय सदस्य का नाम स्पष्ट करें। और दूसरे यह कि यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट किस तरह है जो कि एक मेम्बर की क्वालिफिकेशन के लिये भी बुरा हो सकता है। तो इन दो बातों का मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप उनके कहने का इतना मतलब पढ़ रहे हैं उनका यह कहने में इतना मतलब नहीं था। उनकी कोई मंशा नहीं थी कि कोई एस्पर्शन किसी माननीय सदस्य पर डाला जाय।

श्री पी० के० चौधरी : He should withdraw the words then, Sir.

श्री अध्यक्ष : It does not need to be withdrawn. He has not said in the spirit in which the Hon'ble member catches it.

१२. मध्यान्ह

श्री मदनसिंह (दांतां रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं थी तो खड़े क्यों हो रहे हैं? यह तो निश्चित बात थी।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : वे कह तो दें कि भूल से कहा गया। जो कुछ आप फर्मा रहे हैं तो फिर उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे फर्मायें तो सही।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

ग्राम कुचामन, तहसील नावां में मदनचन्द की बेवा का कत्ल

३११. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है ग्राम कुचामन, तहसील नावां में बेवा सेठ मदनचन्द पांड्या का तारीख १४ व १५–१०–५८ के दरम्यान रात को किसी ने कत्ल कर दिया? यदि हां, तो क्या कातिल पकड़े गये?

(२) अगर नहीं, तो क्यों नहीं पकड़े गये और अब उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, यह सही है कि दिनांक १४ व १५ अक्टूबर के मध्य की रात्रि को कुचामन शहर में मदनचन्द पाण्ड्या की विधवा की हत्या हो गई। अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए।

(२) प्रकरण की अनुसंधान हो रही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या हो रहा है अब?

श्री रामकिशोर व्यास : दो एक आदमी अन्डर ग्राउन्ड चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जसवन्तपुरा तहसील के काश्तकारों की रबी प्रोक्योरमेन्ट सन् १६४७ की बकाया रकम

३१२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No 29

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) ज़िला जालोर की जसवन्तपुरा तहसील के किन किन काश्तकारों के सन् १६४७ के रबी प्रोक्योरमेंट के रुपये अभी तक बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उन काश्तकारों को पेमेन्ट नहीं करने के क्या कारण हैं और सरकार उनका पेमेन्ट कब तक कराने का विचार रखती है ?

खाद्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध फाइनेन्स डिपार्टमेंट से है।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

जोबनेर में बन्ध की मरम्मत

३१३. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि जोबनेर कस्बे के पास के पहाड़ के पानी को रोक कर जो बन्ध बनवाया गया था वह टूट गया है ?

(२) क्या सरकार को यह भी विदित है कि गत वर्ष वर्षा के दिनों में इस बन्ध की मरम्मत शुरु की गई और फिर मिट्टी ढह गई ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस बन्ध की मरम्मत तुरन्त करवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्रीनाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) अस्थायी प्रबन्ध किया गया था।

(३) जी हां।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन यह है कि जोबनेर के ऊपर के गांवों के हिस्से में यह बन्ध बन्धा हुआ है। इसको टूटे हुए तीन वर्ष हो गये, पानी से गांवों को नुकसान होता है और पानी बेकार जाने से भी जिस काम के लिए यह बन्ध बनाया गया था उसको नुकसान होता है। तीन साल से इसके टूट जाने पर भी इसको ठीक नहीं कराया गया चार पांच हज़ार रुपयों की ही तो बात थी। मिट्टी इस पर डाली गई वह भी बह गई।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से कहा गया है कि रिपेयर करवा देंगे। यह आपके प्रश्न के भाग ३ के उत्तर में है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यही मैं चाहता हूं कि बरसात से पहले हो जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : होगा, होगा, आप चिन्ता मत करो।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

टोडारायसिंह अस्पताल के लिए एम० बी० बी० एस० डॉक्टर

३१४. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या टोडारायसिंह के अस्पताल के लिए एम० बी० बी० एस० डॉक्टर की स्वीकृति है ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(२) यदि हां, तो वहां अब तक इस योग्यता के डॉक्टर नहीं भेजे जाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं है कि टोडारायसिंह में एम० बी० बी० एस० डॉक्टर रखा जावे। केवल एक द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर का स्थान स्वीकृत है, वहां जो कार्य कर रहा है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचोर-भाव बस सर्विस

३१५. **श्री लक्ष्मीचन्द** : (सांचौर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या ज़िला जालोर की सांचौर तहसील में सांचोर से भाव तक बस सर्विस चालू करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

बालोतरा में बाढ़ पीड़ित परिवारों के मकान बनाने हेतु ज़मीन

३१६. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १६४३ में बाढ़ के कारण कई परिवार बालोतरा (ज़िला बाड़मेर) में हटाये गये थे, जिनको गांव से हट कर और बाढ़ से बचा कर मकान बनाने के लिए जमीन दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक उनको वहां की नगरपालिका ने अपने मकान व जमीन का पट्टा नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उनको पट्टे दे दिये जावेंगे ?

स्वायत्त शासन मन्त्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष, नगरपालिका बालोतर ने सूचित किया है कि सन् ४३ में जोधपुर राज्य द्वारा कुछ सदस्यों को बसाया गया था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन पर उनको आबाद किया गया था।

(२) इस प्रकार की सूचना उनके पास नहीं है।

श्री अनूपसिंह : उस वक्त बसाया गया था तो वह जगह नगरपालिका की हद में है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एग्रीकल्चर विभाग से जमीन लेकर उनको बसाया गया था, म्यूनिसिपेलिटी की जमीन नहीं थी, इसलिए उनके पास इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अनूपसिंह : आबादी हो गई तो उसको पट्टे वगैरह नगरपालिका दे सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सन् ४३ की बात है उस वक्त म्यूनिसिपेलिटी को पट्टे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करने का अधिकार भी नहीं था। एग्रीकल्चर विभाग से जमीन ली गई और उन पर उनको बसाया गया।

श्री अनूपसिंह : जब नगरपालिका कर वगैरह लगायेगी तो उनको उससे मुक्त रखेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कर का सवाल नहीं है किन्तु जमीन अलॉटमेंट का सवाल है। उस समय म्यूनिसिपेलिटी को पट्टे करने के अख्तियारात नहीं थे, न ही म्यूनिसिपेलिटी की जमीन थी। उनको काश्त की जमीन पर आबाद किया गया था।

श्री अनूपसिंह : नगरपालिका अपनी जमीन मान कर और म्यूनिसिपल लिमिट में मान कर कर वगैरह उन पर लगायेगी या नहीं ? हकदार म्यूनिसिपेलिटी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कर का सवाल आयेगा तब देखा जायगा। म्यूनिसिपेलिटी कहती है कि हमारी जमीन नहीं थी, जिस डिपार्टमेंट से जमीन दी गई उसने पट्टे दिये होंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह माना जाय कि म्यूनिसिपेलिटी की जमीन नहीं थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जमीन दी थी।

श्री लक्ष्मीचन्द : स्पष्ट ही कह दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्पष्ट फिर क्या चाहते हैं ? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दी थी, म्यूनिसिपेलिटी को देने के अधिकार भी नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डूंगरपुर नगरपालिका की सार्वजनिक टट्टियां

३१७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डूंगरपुर नगरपालिका के चेयरमैन ने वहां की सार्वजनिक टट्टियों को तुड़वा दिया है जिससे जनता को तकलीफ हो गई है ?

(२) क्या इस स्थान पर दूसरी टट्टियां बनाई जाने वाली हैं ? यदि हां, तो वे कब तक बन जावेंगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : वहां क्या सार्वजनिक टट्टियां बनी हुई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां तक मेरी जानकारी है उनको तुड़वाया नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट तहसील में चलता फिरता पशु चिकित्सालय

३१८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लाल-

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

सोट) : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

लालसोट तहसील में चलता फिरता पशु चिकित्सालय कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप मन्त्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : अभी निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : नजदीक से नजदीक चिकित्सालय का प्रबन्ध कहां पर है ?

श्री दौलतराम सारण : चलते फिरते पुस्तकालय तो जयपुर में हैं ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): पुस्तकालय नहीं, चिकित्सालय ।

कृषि मन्त्री (श्री **नाथूराम मिर्धा**) : लालसोट से दौसा ही पास में है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वह भी कितना दूर पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३०–३५ मील पड़ता होगा । इस विषय में कुछ सोचा गया है । मनुष्यों और पशुओं दोनों के इलाज के लिये उस इलाके में काफी सोच रहे हैं । चल चिकित्सालय पांच छः हैड क्वार्टर्स पर चालू किये हैं । बड़े अस्पताल भी हैं । अब सोच रहे हैं कि इन इलाकों में डिस्पेन्सरी नहीं, मोबाइल डिस्पेन्सरी शुरू कर दें ताकि चल चिकित्सालय पहुँच जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.८ म० प०

सेपऊ तहसील धौलपुर में डाके एवं नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस सम्बन्धी दो स्थगन प्रस्ताव

दो स्थगन प्रस्ताव हैं । एक है 'सेपऊ तहसील धौलपुर में गत माहों में अनेक डाके पड़ना' तथा हाल ही में 'अजितपुर में जो घटना हुई है' उसके बारे में । यह स्थगन प्रस्ताव रखने की सूचना डॉ० बहादुरसिंह ने दी है । यह मामला सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि जिसके लिए सदन का आज का निश्चित कार्यक्रम स्थगित किया जाय । बजट की बहस के दौरान में भी इस पर विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) ने प्रस्तुत किया है नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर के कर्मचारियों को गत चार माह का वेतन न मिलने तथा इसके परिणाम स्वरूप कतिपय कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने एवं बाकी के प्रेस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का निश्चय कर लेने के सम्बन्ध में हैं । यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन का पूर्व निश्चित कार्यक्रम स्थगित किया जाकर इस पर विचार किया जाय । इसके अतिरिक्त आय-व्ययक पर किये जाने वाले सामान्य वाद-विवाद के दौरान में भी उन्हें इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर मिलेगा । ऐसी स्थिति में मैं इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

Page No 33

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रेस कर्मचारियों ने अगर आज हड़ताल कर दी, तो प्रोसिडिंग्स किसी पेपर्स में नहीं आवेंगी। मन्त्री महोदय की ओर से क्लेरीफिकेशन हो जाय कि मामला किस प्रकार उठा है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या माननीय सदस्य भाषण देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगर अखबारों में नहीं आवेगा तो शायद ही दें।

(हंसी)

अब बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा।

१२.६ म० प०

आय-व्ययक पर अग्रेत्तर सामान्य-वाद-विवाद

श्री भोलानाथ (लछमनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्तीय बजट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने बड़े प्रेम से और गौरव से कहा कि यह मेरा तीसरा भाषण है। इसका अर्थ यह होता है कि जो तीन भाषणों में बातें कही गई हैं, उन पर बराबर विचार किया गया होगा और अमल करने की भी कोशिश की गई होगी। प्रथम भाषण में यह स्पष्ट कहा गया कि प्लान एक्सपेन्डिचर ज्यादा हैं और योजना के मुताबिक काम कर रहे हैं। योजना के उद्देश्य तीन हैं : औद्योगीकरण, साथ साथ रोजगार देना और जीवन-स्तर ऊंचा होना। रोजगार के सवाल के सम्बन्ध में पिछले ५७-५८ के भाषण में पृष्ठ ४ पर दोहराया गया है और ५८-५९ के भाषण में बेकारी दूर करने के लिये कहा गया है। इस भाषण के पृष्ठ २५ पर कहा गया है कि आर्थिक स्थिति ठीक होने पर सफलता हमारे सामने है। इसका मतलब यह है कि बेकारी और रोजगार का प्रश्न हल हो गया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और साथ साथ ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जा रही है और उसी अनुपात में हम रोजगार नहीं दे पाते हैं। हमारी नई प्लान में लाखों आदमियों को रोजगार देने की बात थी। हर साल लगभग ७५ हजार आदमियों को इस राजस्थान में रोजगार मिलना चाहिये। पर मेरे सामने अब आंकड़े आये और जो छोटी सी पुस्तिका आपने निकाली, उसमें जितने ग्राफ दिये हुए हैं, उनको देख कर मुझे लगा कि इस बारे में भी कुछ होगा, पर निराशा ही हुई। हमें इस पर सोचना होगा।

दो सेक्शन्स हैं हमारी आबादी के। एक एज्युकेटेड पीपुल का, दूसरा अनएज्युकेटेड का। अब देखना यह है कि किस को कितना काम दे रहे हैं। नये नये प्रोजेक्टों में कुछ इन्जीनियरों को हम काम दे सकते हैं। पर हमारी हालत इस वक्त जो हैं, जो आंकड़े ३१। १। ५९ के आंकड़े हैं, उसमें देखा कि लगभग १० हजार से ऊपर मैट्रिकुलेट और बी. ए., एम. ए. हैं, जिन्होंने एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम लिखा रखा है और ३१ हजार ऐसे हैं, जो दूसरे केटेगरी में हैं। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर यह क्या है ? जो नाम लिखाये गये हैं, उनमें से १७ पर्सेन्ट से अधिक काम पर नहीं लगाये गये हैं। जो लिखे पढ़े हैं, उनमें ८।६ पर्सेन्ट को काम

(श्री भोलानाथ)

दिया गया है। पर आपको तो प्रत्येक वर्ष में ७५ हजार को रोजगार देना है। यह आप कैसे कर सकेंगे। यह इस बजट से मालूम नही होता, न आपके आंकड़ों से इसका पता चलता है। तो इस तरह से जो सूचना मिलती है, उसका भी आप समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में विचार करना होगा कि हम बजट कैसा बनावें ? हमारे सामने आंकड़े ऐसे होने चाहिये कि जिन पर से हम बता सकें कि कितनों को हमने एम्प्लोयमेन्ट दिया है।

एक बात का जिक्र है जरूर कि १६०० अध्यापकों को बेसिक और प्राइमरी स्कूलों में रखेंगे। इसमें एक क्लास को कुछ रिलीफ देने की बात है, बाकी के लिये कहीं कोई इशारा नहीं। कुछ वेटेरिनरी डॉक्टर रखे जावेंगे, कम्पाउन्डर रखे जावेंगे, डिस्पेन्सरियों में डॉक्टर रखे जावेंगे, यह ठीक है। इर्रिगेशन के बारे में कहा गया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पर इसके बारे में हमारी प्लान में साफ तौर से कहा गया है कि इर्रिगेशन प्रोजेक्टों से देश में अनएम्प्लोयमेन्ट दूर नही होने वाला है। बल्कि कहा गया है कि Irrigation is for relieving under employment in the agricultural pursuits. तो यह जो हमारी प्लान चल रही है जिसमें कुएं बनाने की बात कह रहे हैं, बांधों की बात कही गई है। राजस्थान केनाल की बात छोड़ दीजिये, इन चारों में आप नये लोगों को नहीं खपा पा रहे है। सीलिंग आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अधिक को एम्प्लोयमेन्ट नही दे सकेंगे। इसके मानी यह हुए कि हम इसमें गुंजाइश नही देख रहे हैं ज्यादा एम्प्लोयमेन्ट देने की। कोऑपरेटिव का मामला आने वाला है। इससे २५ फी सदी आबादी जो एग्रिकल्चर में लगी हुई है, इस वक्त वह फ्री हो जावेगी। आप ट्रैक्टर और पम्पिंग सैट देंगे, तो इससे एग्रिकल्चरल लेबरर को रिलीफ मिलेगा। ये नेचुरली शहरों की तरफ भागेंगे और यह वाजिब भी है। किसी भी देश की केवल अधिक उन्नति एग्रिकल्चर से नही हो सकती। आप डिसेन्ट्रलाइजेशन करने जा रहे हैं पॉवर को भी। फिर उद्योग धन्धे भी बढ़ा रहे हैं। जिन जिन देशों ने तरक्की की है, उन्होने एग्रिकल्चर लेबर को रिलीफ देकर लेबर की कास्ट को कम किया है। तो इसके आंकड़े आपकी प्लान में भी दिये गये हैं। पेज १२ पर दिये हैं देखिये :

यू. एस. ए. में ५४ पर्सेन्ट से २३ पर्सेन्ट एग्रिकल्चर लेबर रह गई। एग्रिकल्चर पर से लोग इतने कम हुए।

फ्रान्स में ४२ पर्सेन्ट से २५ पर्सेन्ट रह गये एग्रिकल्चर पर।

जापान में ८५ पर्सेन्ट से ५१ पर्सेन्ट रह गये।

तो इसका मतलब क्या है ? धीरे धीरे एग्रिकल्चर लेबर को उद्योग धन्धों में लगाना है जिससे देश का उत्पादन स्तर बढ़े जीवन स्तर बढ़े, ज्यादा आमदनी हो लोगों की। पर इस तरफ इसमें कोई विचार नहीं किया गया, न इस बारे में कोई आंकड़े इसमें हैं, न स्टेटिस्टिक्स ही।

थोड़ा बहुत मिनरल डवेलपमेन्ट के बारे में कहा गया है। एग्रिकल्चर में ७० पर्सेन्ट लगा सकते हैं, पर इन्डस्ट्री में दो तीन पर्सेन्ट होते हैं और दूसरे कन्स्ट्रक्शन वगैरह के काम में ८ पर्सेन्ट होते हैं और अदर प्रोफेशन्स में

(श्री भोलानाथ)

१७ पर्सेन्ट होते हैं। इन १७। ८ और २ को निकाल कर एग्रिकल्चर लेबर के प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, आपने यह नहीं बताया। बल्कि आपके तरीके ऐसे मालूम पड़ते हैं जो आपने अपनाये हैं, जिससे अन-एम्प्लॉयमेन्ट और बढ़ जावेगा।

मैं समझता हूं अलवर, भरतपुर में आबादी बहुत है। वहां से आबादी के प्रेशर को कम करने के लिये कुछ आबादी को राजस्थान केनाल के एरिया में और कुछ अन्य जगह भेजा जावे। जो अन्डर एम्प्लोयमेन्ट हैं, उनको भी ठीक किया जावे। पर इस तरफ कोई कदम सरकार का नहीं। कुछ दिनों पहले केबिनेट का यह फैसला था कि जहां ज्यादा आबादी हैं, उसको वहां से कम किया जावे। पर इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। बल्कि जो बेकार रजिस्टर होते हैं, एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्जों में उनसे पता लगता है कि उनकी तादाद उन एरिया में और बढ़ती जाती है। अभी अलवर में ६०० ऐसे लोग हैं जो मैट्रिकुलेट या उससे ऊपर हैं। उनको काम देने की कोई गुंजाइश नहीं। प्लान में कहा गया कि जिस जगह पढ़े लिखे बेकार ज्यादा हैं, उनको कमी वाले जगह भेजा जावे, पाली में स्कूलों में कुछ अध्यापकों की जरूरत थी। वहां से मांग की गई, तो एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज को नोट भेजा गया कि यहां कुछ टीचर्स भेजे जावें। पर उनको अजमेर नज़दीक पड़ता है, वहां से सहज में मिल गये, पर तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। फिर आप यह चाहते हैं कि लड़के लड़कियां सभी पढ़े, तो फिर आप उनको भी कहां लगावेंगे, वे नये और बढ़ जावेंगे। तो आप इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं।

टीचर्स को आपने तरक्की दी। पर अब भी लोअर डिविज़न क्लर्क से जिसको ६०) मिलते हैं, से उसकी हैसियत कम है। अगर इस पर विचार नहीं किया गया, तो सर्विसेज़ में clevage आ रहा है। उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा होगी, और काम में वे मन नहीं लगावेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर आफिसर को देख लीजिये, उसे दो सौ देते हैं और एक एस. डी. ओ. को आप २५०) देते है। इसका नतीजा यह होता है वह काम नहीं करता। दो सौ पाने वाला एक जिले का अफसर इधर और आठ सौ पाने वाला जिले का अफसर उधर। आप किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं इनको। एग्रिकल्चर आफिसर को आप नहीं उचित स्थान देना चाहते, तो फिर कैसे टैक्निकल लोग आपकी सहायता करेंगे। इसका नतीजा हमने रबी अभियान में देखा। हो हल्ला तो बहुत हुआ, पर इससे असन्तोष ही अधिक बढ़ा। कहीं बीज नहीं समय पर पहुँच पाया, कहीं फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचा। तो इस मसले को खरीफ के वक्त न दोहरावें। आप टैक्निशियनों और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों में अन्तर न रक्खें। उनमें असमानताएं रखेंगे तो आपका प्लानिंग का काम ठीक नही होने वाला है। आखिर तो ये टैक्निशियन ही आपको काम देंगे।

हमारे अपोजिशन के एक सदस्य ने आई. ए. एस. के सिलेक्शन के बारे में बातें कहीं। आपकी इन सिफारिशों से गहरा असंतोष है। अगर यह असन्तोष रहता है, तो आप अपने प्लान में आगे नहीं बढ़ सकते।

Page No 36

(श्री भोलानाथ)

दो तरह की यह सर्विसें हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी टैक्निकल। दोनों में आपस में आप भेद रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले प्रशासन की दृष्टि से अपने को टैक्निशयनों से सुपीरियर मानते हैं। जिला अफसर विकास सलाहकार समिति की मीटिंग अटेन्ड करना अपनी शान के खिलाफ समझता है। इन्जीनियर के ऑफिस में चलकर बात करना कलेक्टर अपनी शान से नीचा समझता है। वह वहां जा नहीं सकता। मैं जानता हूँ भू.पू. राज्यों में कलेक्टरों से इन्जीनियरों की तनखा उससे ज्यादा थी। तो यह प्रशासन का दिमाग आपको ठीक करना है। टैक्निशियनों की कदर आपको करनी होगी। उनको उनका महत्व देना होगा, अभी तक तो इन दोनों में ही मतभेद था। पर आपने एक और काम किया। प्रशासन में भी आई. ए. एस. का सिलेक्शन असन्तोषजनक ढंग से करके आपने प्रशासन में भी भेद डाल दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले कलेक्टर रह चुके हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं। आखिर बड़ा जबर्दस्त काम आपके हाथ में है विकास का, आयोजन का करोड़ों रुपया आम इनकी मार्फत खर्च करने जा रहे हैं, तो आप इन टैक्निशियनों और प्रशासन में जो भेदभाव है, उसको मिटाने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब पुलिस बजट के बारे में कहना चाहता हूं। मेमोरेन्डम में साफ कहा गया कि पुलिस के अधिकारियों ने ५८।५९ में अपना बजट बढ़ाने की कोशिश की पर फाइनेन्स विभाग ने उसकी स्क्रूटिनी करके कम कर दिया। पर अब चालाकी से, या किसी तरीके से उसे बढ़ा लिया है लाख बढ़ाया गया है। अब पुलिस के मामले ऐसे नहीं हैं कि आप बजट बढ़ाते जावें अब एक हद आ जानी चाहिये। लॉ एन्ड ऑर्डर के लिये आपने यह रुपया नहीं बढ़ाया। आपने बढ़ाया है–टीयर गैस खरीदने के लिये। आखिर मामला क्या है यह? इस विषय पर विचार करना होगा। जब लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति थी, तब खर्चे की बात को मैं समझ सकता हूं। आज भी इस टीयर गैस के बजाय यह रुपया सड़कों के लिये दिया जाता तो समझ में आ सकता है। इससे पुलिस को आसानी से दूर स्थानों पर पहुंचने में मदद मिल सकती थी। आप इस रुपये को पी० डब्ल्यु. डी. को देते इस काम के लिये। इससे पुलिस को भी मदद मिल सकती थी।

इस साल आपने ८०० मील सड़क बनाने का प्रावधान किया है और रिपेयर पर दो लाख रुपया बढ़ाया है। पहले व्यवस्था थी ८३ लाख की। इस साल प्रावधान है ९१।९३ लाख का। पर आप रिपेयर पर सिर्फ दो लाख बढ़ाना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री): ज्यादा बढ़ाया है। १०५ लाख है।

श्री भोलानाथ : मैं रिपेयर की बात कर रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भी रिपेयर की बात कह रहा हूं।

श्री भोलानाथ : बजट पेज ४०७ पर आप देखिये दी रिपेयर। इसमें है कम्युनिकेशन्स पर एक्सपेन्डिचर १९५७–५८, १९५८-५९, १९५९–६० में ८१, ९१ और ९३ लाख रिपेयर में।

(श्री भोलानाथ)

तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर लॉ एन्ड ऑर्डर को ठीक रखने के लिये हम इच्छुक हैं, तो ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी जिससे आसानी से पुलिस किसी भी जरूरत के वक्त पर सड़क द्वारा किसी भी स्थान पर पहुँच सके। इस दृष्टि से इधर ज्यादा खर्च करें तो ठीक है, न कि टीयर गैस जैसी चीजों में। मैं और भी बातें रखना चाहता हूँ...

× क्या ? शंका रह गई क्या अब भी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : नये आइटम्स में १२ लाख और प्रोवाइडेड हैं रिपेयर में।

श्री भोलानाथ : मैंने तो मेन्टीनेन्स का कहा है। और अलग हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भोलानाथ : तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस को इफीसियेन्ट बनाने के लिये आज सर्विसेज़ का मोरल ठीक बनाये रखना है। आप देखिये अलवर में शाहजहांपुर में घटना हुई। प्रोसीक्यूशन विटनैस को बिजली लगाकर गवाही देने के लिये मजबूर किया जाता है। यह तो दो दो एम. एल. ए. मिले जिससे सारा मामला साबित कर सके, नहीं तो और जगह पुलिस न जाने क्या क्या करती होगी। आपको कई नजीरें देना चाहता हूँ, पर समय को देखते हुए एक नजीर ही पेश करता हूं। एक मूंछों वाला अपने किसी साथी को थाने में रोटी देने जाता है। तो सब इन्स्पेक्टर का कहना है यह तो हमारे सामने मूंछें लगाकर आता है। इसकी मूंछें काट ली जावे।

(हंसी)

यह व्यवहार है उनका, जो कहते हैं हमारे लायक सेवा, हम सेवा करने को तैयार हैं। तो उसका मोरल सुधारने की ज्यादा जरूरत है। ऐसी स्थिति में पुलिस का खर्चा किसी हालत में नहीं बढ़ाने देना चाहिये। जो भी हमारे पास है, ठीक तरह से खर्च हो, एक पैसा भी खराब नहीं किया जावे। अगर बढ़ाना ही है तो दूसरी तरफ सड़कों की तरफ बढ़ाइये।

दूसरा सवाल आया ट्रान्सपोर्ट का। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें टैक्स बढ़ाने की जो बात कही गई उसके तरीके को मैं नहीं समझा। इसका केल्कुलेशन किस तरह से होगा। सिनेमा की तरह टिकिट इश्यू की जावेगी, रास्ते में वसूल होता है किराया तो हर जगह इन्सपेक्टर घूमते रहेंगे। इस बारे में बात समझ में नहीं आई। पहले सीट पर या लोडिंग कैपेसिटी पर टैक्स लेते थे।

इसके साथ ही इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो ३० लाख रु० रखा गया है, इसको भी सड़कों पर खर्च कराया जावे। शायद माननीय मन्त्री महोदय के यह बात ध्यान में होगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित रोड़ इस तरह का एक non laps-uable fund बनाने के पक्ष में की है। तो यह होगा तो इससे रिपेयर अच्छी होगी। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो वह खर्चा भी उस पर ज्यादा होना चाहिये। मेन्टीनेन्स पर खर्चा पड़ेगा तो आपको ज्यादा आमदनी होगी। और अगर सड़कें ही खराब होंगी तो

(श्री भोलानाथ)

नेचुरली आप को खर्चा भी ज्यादा करना होगा। इसके बारे में दो सुझाव देना चाहता हूं-या तो गाड़ियों की संख्या बढ़ावें और सड़कें ठीक रखें या फिर कन्ट्रोल करिये उस पर या नेशनेलाइज़ करिये, ताकि इसकी सारी आमदनी सरकार के पास आवे। पर यह जो टैक्स बढ़ाया गया है, यह तो किसी भी तरह साइन्टिफिक नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ठीक है, वक्त पर ही खत्म करूंगा।

दूसरी तरफ मैं यह भी मानता हूं कि आपका जो प्रशासन पर अधिक खर्च बढ़ रहा है, उस पर आप विचार करें। मैं अधिक तो नहीं कहना चाहता क्योंकि घंटी बज चुकी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जो फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी, उसने आपके शासन के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी है। उसने खास तौर से जागीर रिज़म्शन के बारे में अपना नोट दिया, उसी को आपके सामने रख देना काफी है। लगभग ११ लाख रुपये के ऐसे खर्च की व्यवस्था है जो कि इस डिपार्टमेन्ट को चलाने में खर्च होता है और उस ११ लाख रुपये में से जो काम निकला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस डिपार्टमेन्ट ने केवल ७८ केसेज़ ही डिसाइड किये हैं, जब कि इसको आज तीन साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं: It does not seem to lack numerically and if it is ...78 cases in three years while full seventeen hundred claims were finalised in Ajmer within 1 year costing about Rupees seventy thousand. मेरा कहने का मतलब यह है कि ११ लाख रुपया खर्च करके सिर्फ ७८ केसेज़ को ही डिसाइड करते हैं, अगर इसी तरीके से हमारी सर्विसेज़ का हाल रहा और उन पर कन्ट्रोल नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। इसी तरह से जो बजट हमारे सामने आता है उस पर हम आपके सामने कुछ सुझाव रखते हैं तो आप उन पर विचार करने का कष्ट करें। मैंने अभी दो तीन सुझाव आपके सामने रखे हैं। ट्रान्सपोर्ट के सम्बंध में जो मैंने तरीका रखा है उसको अपनाना चाहिए और इस रुपये को अगर नान लैप्सेबल ग्रान्ट बनाकर रोड फण्ड बना दें तो ज्यादा खुशी की बात होगी और इससे राजस्थान की ज्यादा तरक्की होगी और लॉ एण्ड ऑर्डर पर भी आप जो खर्च कर रहे हैं वह भी ठीक तरह से चलेगा।

अभी थोड़ा सा पंचायतों का मामला जरूर है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हम पंचायतों को अब बहुत कुछ खर्च करने के अधिकार दे रहे हैं। स्कूलों को पंचायतें चलायें, औषधालय भी चलायें, इसके अलावा और भी कई तरह की व्यवस्थायें आप पंचायतों को देना चाहते हैं, कुछ डवेलपमेन्ट के काम भी उन्हीं को सौंपना चाहते हैं, रोड्स के ठेके भी पंचायतें ही दें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंचायतों की व्यवस्था के बारे में भी हमें बहुत संतोष नहीं है। आपने अभी यह तय किया है कि बैलट सिस्टम से जनता की राय ली जायें और चुनावों में बैलट सिस्टम को ही अपनाया जाये। अलवर में चुनावों के समय टीचर्स को लगाया गया। वहां क्या हुआ कि अगर हजार मतों के पोलिंग हुआ है तो वहां करीब सवा सौ बैलट ज्यादा निकले। इसका कारण

(श्री भोलानाथ)

यह था कि सब लोग अपनी जेबों में बैलट पेपर्स पर मोहर लगाकर ले गए और जिसको फेवर करना चाहा, उसको किया। ऐसी हालत में जब कि आप अपने प्रशासन को ठीक करना चाहते हैं, डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन करना चाहते हैं और कुछ रुपया पंचायतों को देना चाहते हैं। अगर पंचायतें इसी तरीके से करप्शन होती रहीं तो यह आपके लिए अवश्य ही दुःख का कारण बन जायेगा और कोई अच्छी स्थिति हमारे सामने नहीं आयेगी। तो हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे लिए ही तकलीफ बढ़ने वाली है और हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं आपको सुझाव दूँ कि आप पहले पंचायतों का सुधार कीजिए, अनएम्पलोयमेन्ट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने आगामी भाषण में भी इसका जिक्र नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा करेंगे। जो अनएम्पलोयड क्लास होगी, सीलिंग के जरिये से या कोऑपरेटिव फॉर्मिंग के जरिये से जो विक्षिप्त लोग होंगे, वह प्रॉब्लम क्रीयेट करेंगे। यही मैं आपके सामने रखता हूं आशा है आप इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुबीरसिंह।

श्री रघुबीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वयोवृद्ध वित्तमंत्री जी ने जिस चतुराई के साथ बजट को सदन के सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि उनको दाद देनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इतने अनुभवी होते हुए भी उन्होंने राजस्थानी जनता के बुद्धि स्तर का बहुत ही गलत अन्दाज़ा लगाया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो ४ करोड़ के घाटे का बजट है, उसको उन्होंने १२ लाख के फायदे का बजट बताया। यह राजस्थान की जनता के साथ उन्होंने बड़ा भारी अन्याय किया है। बजट को बराबर करने के लिए ३॥ लाख रुपये का ऋण हम ले रहे हैं। साथ ही ५० लाख रुपये अन्य करों से प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ४ करोड़ ८ लाख रुपया हम अपनी पिछली सारी आमदनी है, उस पर अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक लोगों से लेना चाहते हैं और फिर हम यह कहें कि हमारा बजट बचत का बजट है, इसके लिए मैं कहूँगा कि यह हमारी जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर होगा। अब मैं थोड़ा प्रकाश राजस्थान की वित्तीय स्थिति के ऊपर डालूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय के भाषण में ही यह स्पष्ट किया गया है कि इस समय हमारे ऊपर ७७ करोड़ ६३ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार का कर्जा है। इसके अतिरिक्त जो नया बजट हमारे सामने आया है, उसके लिए अनुमानत: २५ परसेन्ट कर्ज और लेना पड़ेगा केन्द्रीय सरकार से, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक अरब के ऊपर हमारा कर्जा अगले वर्ष के अंत तक पहुँच जायेगा। इस के अतिरिक्त १० करोड़ के करीब हमारा कर्जा इस समय स्थानीय कर्जा है, जो कि ६ करोड़ अब तक ले चुके हैं और वह ३॥ करोड़ अगले वर्ष में लेने जा रहे हैं। तो १ अरब १० करोड़ रुपया का कर्जा अगले वर्ष तक होगा, इसके मुकाबिले में जो सिक्योरिटी और हमारा इनवेस्टमेन्ट है, वह कुल १५ करोड़ का है। हमारा पिछला वर्ष जो समाप्त हुआ था, उसमें ८ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था और इस साल कोई अन्दाजा नहीं है कि

(श्री रघुवीर सिंह)

कितना ओवर ड्राफ्ट हो, क्योंकि हमारे बजट के आंकड़े इतने असंतुलित थे कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा कितना ओवर ड्राफ्ट होगा वर्ष के अंत तक। यह तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि वह ८ करोड़ से अधिक होगा। इस तरह यह मानकर चला जाये तो हमारा जो इन्वेस्टमेन्ट है, वह तो ओवर ड्राफ्ट के साथ खत्म हो जाता है, तो हमारा नैट कर्जा १ अरब १० करोड़ हो जाता है। इस स्थिति का अन्दाजा लगाया जाये तो यह ४ करोड़ रुपये के करीब होता है। अब हमें यह देखना होगा कि १ अरब १० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में हमने कौन सी ऐसी उन्नति की, हमारा ऐसा कौन सा काम हुआ कि जिससे हमारी आमदनी बढ़ी हो। हो सकता है कि वित्त मंत्री जी कहें या राज्य पक्ष की ओर से कहा जाये कि हमारे सभी डिपार्टमेन्टों में फायदा हुआ, लेकिन देखना यह होगा कि हमारे १ अरब १० करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट से कितनी आमदनी पर फायदा हुआ है और कौन कौन से डिपार्टमेन्ट में हुआ है। अगर माननीय वित्त मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें अधिक मदद मिल सकती है। इसका आज अंदाजा लगाया जाये तो वह ४ करोड़ का सूद भी, इसके कारण से जो आमदनी में फायदा हुआ है, उसको भी पूरा नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक अरब १० करोड़ रुपये का भार पड़ा है, उसकी अवहेलना करने के लिए राजस्थान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ चुका है और इसका किस तरह से क्या किया जायेगा और किस तरह से हम मीट करेंगे। यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हमारी अनकरीब वित्तीय स्थिति ऐसी सुदृढ़ हो जायेगी कि हम न केवल अपने कर्जे को ही चुकायेंगे, बल्कि और भी डेवलपमेन्ट के काम के लिए हमारे पास रुपया काफी पर्याप्त होगा। लेकिन अब तक १ अरब १० करोड़ रुपये खर्च करने के बाद जो स्थिति बजट देखने से प्रकट होती है, उससे आशा निराशा ही लगती है। मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि जो बजट का साधारण सिद्धान्त है कि आमदनी कम से कम एसेस की जाय और खर्चा अधिक से अधिक एसेस किया जाय, यह साधारण सिद्धान्त राजस्थान सरकार बजट बनाने में काम में नहीं लाती है। विपरीत इसके आमदनी को अधिक से अधिक एसेस करते हैं और खर्च को कम से कम। इसका उदाहरण पुलिस के बारे में माननीय सदस्यों ने दिया था, मैं नहीं समझता कि उसको दोहराने की आवश्यकता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय मांगें बढ़ानी पड़ती हैं और परिणाम यह होता है, जैसा कि वित्त-मंत्रीजी ने कहा, हमें पता नहीं साल के आखिर में कितना ओवर ड्राफ्ट होगा। मैं यह कहूँगा कि सरकार के बजट के आंकड़ों से यह पता नहीं चल सकता कि १ अरब १० करोड़ रुपये खर्च करने के बाद हमने कौनसी उन्नति की है और कौन से फील्ड में या कौनसे डिपार्टमेन्ट में दृढ़ता से उन्नति कर सके हैं, जिससे हम यह कह सकें कि हम एवरेज घाटे को पूरा करने में समर्थ होंगे। दूसरी बात यह कही जा सके कि यह कल्याणकारी राज्य का बजट कहा जा सकता है और इसमें जनता की सुख सुविधा और उसकी जरूरियात को पूरा करने के साधन हैं और हमारा लक्ष्य यह है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जनता आज भूखों मरती है, जिसके लिये अन्न का अभाव है, खाने

(श्री रघुवीरसिंह)

को अन्न नहीं है और जिसके लिये पहनने को कपड़े नहीं है, उसके लिये आप क्या अंदाज कर सकते हैं कि १अरब और १० करोड़ रुपये खर्च करके हमने उसको यह सुख सुविधा पहुँचाई है। मैं एक ग्रामीण की हैसियत से कहता हूँ कि हमारी सरकार ने १ अरब रुपयों का कर्जा किया है, जिससे हमें यह सुविधा मिली हो या हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठा हो। सरकार ने कर्जा लेकर १ अरब १० करोड़ रुपया खर्च किया है, तो मुझे यह पता चलना चाहिये कि इतने रुपये कर्ज लेने का रिएक्शन यह हुआ है, लेकिन मुझे इन रुपयों के किसी अंश का भी लाभ नहीं पहुँचा। मैं अर्ज करूं कि हमको बार बार यह कहा जाता है, और पिछले वर्ष भी कहा गया था कि अन्न की उपज में वृद्धि होती है। लेकिन पता नहीं यह वृद्धि कहां चली जाती है, चूहों के बिलों में घुस जाती है या गोदामों में घुस जाती है, उसका पता नहीं लगता है। इस समय हम अपने चारों ओर जो चीज देखते हैं, वह है भुखमरी, अन्न कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। मैं राजस्थान की राजधानी के बारे में निवेदन करूं कि एक दिन मैं यहां असेम्बली में आ रहा था, रास्ते में मैंने यह देखा कि एक लोअर डिवीजन क्लर्क, राजस्थान सेक्रेटेरियेट में काम करने वाला, सवेरे केवल केले खाकर दफ्तर गया, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, घंटों तक क्यू में खड़ा रह कर गेहूँ ले और फिर उन्हें पिसाकर रोटी बनवाकर खाय, इस लिये उसने केले खाकर दफ्तर का रास्ता लिया। यह स्थिति है आपकी राजधानी की। और इस पर भी कहा यह जाता है कि खाद्य स्थिति काबू में है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस जगह गेहूँ का भाव ३०) रु० मन हो और जिस रियासत में २०) या २२) रुपये मन जौ और चना मिलता हो, उसके लिये यह कहा जाय कि अन्न की स्थिति कंट्रोल में है, तो मैं समझता हूं यह दुनिया के साथ धोखाधडी होगी। मैं यह निवेदन करता हूं कि जहां तक हमारे राज्य सरकार के बजट का सम्बंध है और उसने जो कुछ भी कर्जा किया है उसके अच्छे परिणाम नजर नहीं आते और जनता के सुख सुविधा का परिणाम नजर नहीं आता।

अब सवाल आता है अन एम्पलोयमेन्ट का। इतने रुपये खर्च करके क्या देखने लायक कदम उठाया है ? इस समय स्थिति यह है कि जहां पर एक लोअर डिवीज़न क्लर्क की जरूरत के लिये एडवर्टाइज़मेन्ट निकलता है, वहां कम से कम ५०० दर्ख्वास्तें पेश होती हैं ? आप सोचिये कि उनमें से एक आदमी को नौकरी मिली, लेकिन ४६६ तो अब भी घूमते रहते हैं। इस स्थिति में मैं कहूंगा कि अनएम्पलोयमेन्ट को इतने रुपये खर्च करने पर भी हल नहीं कर सके हैं।

एक और भी भयंकर चीज मैंने देखी, वह यह है कि हमारे राजस्थान का दो तिहाई भाग मरू भूमि है। उसकी यह स्थिति है कि वहां पर रहने वाले लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है, उनका जीवन स्तर उठाने की बात तो दूर किनार रही, उनको यह कहना तो व्यर्थ है कि हमने तुम्हारे जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, स्कूलें खुलवा दी हैं, अस्पताल खुलवा दिये हैं। जब सरकार उनको पीने के लिये पानी की सुविधा करने में भी असमर्थ रही है तो उनके लिये और

(श्री रघुवीरसिंह)

चीजों का तो मूल्य ही क्या हो सकता है। उनको यह कहना कि हमने तुम्हारा जीवन स्तर ऊंचा उठाया है या उठारहे हैं, कहां तक वाजिब है, जब कि उनको पीने के लिये पानी तक नहीं मिलता। राजस्थान की जनता के दो तिहाई से अधिक भाग को दो तीन मील दूर से पानी लाना पड़ता है और उनका अधिक समय तो इसी में नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे माना जाय कि इस जनता के लिये इस पैसे का सदुपयोग किया गया है। जहां तक जनता की सुख सुविधाओं का सवाल है, इस क्षेत्र में भी हमको कोई देखने लायक या समझने लायक तरक्की नजर नहीं आती, जिसके लिये जस्टिफाई कर सकें कि हमने १ अरब और १० करोड़ रुपयों का कर्जा कर लिया है और उससे जनता को यह सुख शान्ति पहुँचाई है।

तीसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मरू भूमि से संबंधित है। मुझे ताज्जुब है कि यह अकेले राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारे भारतवर्ष और सारे देश व राष्ट्र का प्रश्न है। इस समय जो मरू बढ़ता चला आ रहा है, उसकी रोक थाम, अगर नहीं की गई तो सारा राजस्थान मरूमय हो जायगा इसका असर केवल राजस्थान पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे भागों को भी चुनौती मिल रही है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि न तो राज्यपाल महोदय के भाषण में और न वित्त मंत्रीजी के भाषण में, न बजट योजना में इस बात पर प्रकाश डाला गया है, जिससे पता चल सके कि मरू के विस्तार को रोकने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिली या नहीं, आज तक हमने क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं, इस बारे में कोई संकेत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बजट है, वह कल्याणकारी राज्य का बजट न होकर एक पुलिस राज्य का बजट है, जिसमें अधिक वृद्धि पुलिस विभाग के व्यय में की गई है और वह भी किस काम के लिये ? गैस खरीदने के लिये। गैस खरीदी जायगी। शायद सरकार यह समझती है कि सीलिंग लागू करने जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप उपद्रव हों, तो उसे दबाने के लिये गैस पहले से ही उपलब्ध करलें तो बात दूसरी है वरना आप कहते हैं कि डाकूओं की समस्या हल हो चुकी है, चोरियां कम हो गई हैं, अपराध घट रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि ३० लाख रुपये से ऊपर की बढ़ौती पुलिस के बजट में करने की क्या आवश्यकता है ? चाहिये तो यह था कि इन ३० लाख रुपयों से जो दो तिहाई भाग पानी के लिये तड़पता है, उसको पानी पहुँचाने के लिये अधिक से अधिक पैसा खर्च करते तो उसकी उपयोगिता साबित होती और इस प्रकार के अन्य साधनों पर, डेवलपमेन्ट और उसके नाम पर जो पैसा खर्च करते हैं वह व्यर्थ सा ही मालूम होता है, क्योंकि अगर हमको मूल चीज पीने का पानी ही नहीं मिले, अन्न की समस्या हल न हो, कपड़े की समस्या और रोजी की समस्या हल नहीं हो, तो हम नहीं समझते कि हमारा जीवन स्तर कहीं ऊपर पहुँचेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५९-६० का वार्षिक वित्तीय विवरण विधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। बचत का बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री महो-

(डॉ० चन्द्रकला)

दय को बधाई देते हुए थोड़े से शब्दों में मैं अपने विचार इस आय व्ययक के सम्बन्ध में प्रगट करना चाहती हूं।

बजट पेश करते हुए सदन में दिये गये अपने भाषण के प्रारम्भ में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सरकार द्वारा अंगीकृत लोकतंत्रीय व समाजवादी समाज व्यवस्था के मनोवांछित लक्ष्य व आदर्श की ओर संकेत करते हुए, अन्त में उस लक्ष्य की ओर हमारी प्रगति पर संतोष प्रगट किया है। और यह आशा प्रगट की है कि हम समय पाकर अपने स्वप्नों का राजस्थान निर्मित कर सकेंगे। मेरी भी अन्तरतम से यह कामना है कि ईश्वर की अनुकम्पा से और जनता जनार्दन के सहयोग से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। किन्तु इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त विनम्र शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि केवल मीठी मीठी बातों से, या रुचिकर कर्णप्रिय नारों से काम नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भूखे के सामने तरह तरह के पकवानों के नाम व गुण बताने से और उनका गुणगान करने से उसकी भूख नहीं मिटती है। उसकी भूख तो तब ही मिटेगी जब उसके सामने सचमुच, भले ही रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा आयेगा वह तब ही अपनी क्षुधा को शान्त करेगा। इसी तरह से हम समाजवादी समाज व्यवस्था, असमानता के स्तर को घटा कर समानता पर लाने की बात को जब ही सिद्ध कर सकेंगे, जब हमारे लक्ष्य के समान ही हमारी साधना होगी और उसी के अनुरूप हमारे प्रयत्न होंगे। जब पहले पहल यहां बजट पेश हुआ था, उस समय शायद इसी सदन में हो मैंने जनता जनार्दन की उस उपेक्षित शक्ति को जाग्रत करने की ओर संकेत किया था। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने महसूस किया और स्वयं बताया:

"किसी भी प्रकार की क्रियात्मक कार्यवाही करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हमारी आर्थिक अपेक्षाओं के आधार पर, तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हों, आयोजन किया जाय। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह होता है कि जनता में ऐसी आन्तरिक प्रेरणा उत्पन्न की जाय जिससे विकास तथा संकल्प पूरा करने की दिशा में वह पूरी लगन के साथ अग्रसर हो सके"। इसके साथ ही यह भी कहा है कि 'इन देशवासियों को केवल इस बात की अपेक्षा है कि उनके अन्तःकरण की ज्योति जगा दी जाय'।

सत्य बात तो यह है कि जब जन शक्ति जाग्रत होकर अपने विकास की ओर बढ़ सकेगी और उन्नति की ओर अग्रसर हो सकेगी तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। यह अब हमारी सरकार ने महसूस किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ क्योंकि यह ठीक है, 'देर आयद दुरुस्त आयद'। इसके साथ ही अब हमको देखना यह है कि हमने अब तक अपनी आयोजनाओं के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा अपने लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया है। स्वयं इस भाषण में कहा गया है:

'विकास कार्यक्रम की मुख्य रचना वैयक्तिक व सामुदायिक जीवन के जिन चार पहलुओं अथवा तथ्यों पर केन्द्रित होनी

(डॉ० चन्द्रकला)

चाहिए, वे हैं : आर्थिक स्थिति, घर, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा मनोरंजन '।

इस प्रकार से हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे, जिसमें राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता की रोटी और कपड़े की मूलभूत आवश्यकता पूरी हो सके। स्वयं सरकार ने इसको महसूस किया है और वित्त मंत्री महोदय ने इस भाषण में स्वीकार किया है कि 'इधर कुछ महीनों में देश के आर्थिक वातावरण पर वस्तुओं के चढ़ते हुए भावों का, विशेषतया खाद्य पदार्थों के चढ़ते हुए भावों का, प्रधान असर रहा है '। निश्चय ही खाद्य समस्या ने हमको बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन उसका कारण जैसा बताया गया है, वह है कि :

'इसका कारण यह था कि रबी की फसल कम हुई, खरीफ की फसल देर में बोयी गई और साथ ही राजस्थान से उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों को खाद्यान्नों का निर्यात हुआ '। आदि आदि बातें हैं। अब सरकार ने इन सब बातों को ठीक कर लिया है और साथ ही हमारी सरकार ने, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, खाद्यान्न के व्यापार को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है। इसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में अभी से कुछ कहना जल्दी होगा। किन्तु अत्यन्त विनम्र शब्दों में मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि इन सब बातों के साथ दो बातों की ओर सरकार को ध्यान देना होगा, एक तो अन्न के सम्बन्ध में हो रहे तस्कर व्यापार को रोकने के लिए विचार करना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जगह २ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, वह कहीं इस खाद्य समस्या को हल करने में बाधक न हो, इस ओर सरकार को विचार करना चाहिये।

भोजन के बाद मनुष्य जीवन की दूसरी आवश्यकता है घर की। माना कि सरकार के सामने घर के विषय में उतनी व्यापक और बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जहां तक मैं कल्पना कर सकती हूँ, यह समझती हूं कि यह समस्या बहुत से थोड़े लोगों की है और शहरों में हैं और शहरों में भी मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों की यह समस्या है। मैं यह महसूस करती हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। जहां तक पुरुषार्थियों का सवाल है, या बाहर से आने वाले लोगों का सवाल है, वहां तक सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन उनको आये आज १० साल बीत गये, फिर भी यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। यह बात ठीक है कि सिटी कैम्प के शरणार्थियों को प्लाट अलॉट हो रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि वे जल्दी ही बसा दिये जायेंगे। दुर्गापुरा के शरणार्थियों ने भी घर के लिए सवाल उठाया था। इसके साथ ही मैं सुनती आ रही हूं कि स्लम क्लीयरेन्स के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सहायता देती है। योजनाओं के बारे में मैं सुनती हूं, लेकिन आज तक भी स्लम क्लीयरेन्स को कार्यान्वित कर गरीबों को बसाने का कोई काम सरकार कर सकी हो, ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। अच्छा तो यह है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे और जिन लोगों के सामने घर की समस्या है, उसको हल करने का प्रयत्न करें।

इसके साथ ही मैं अपनी सरकार का एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं।

(डॉ० चन्द्रकला)

सरकार को भूमि के क्रय से एक आमदनी का जरिया दिखाई पड़ा और अचानक ही सरकार ने फैसला कर दिया कि भूमि अलॉट नहीं होंगी और बेची जायेगी। बिना किसी विचार के यह निश्चय सबके लिए कर दिया गया और हमारे जयपुर शहर में गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन मिलती थी, उसको रोक दिया गया और गरीबों को जमीन देने की जो स्कीम बना थी, उसको अब रोक दिया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि भले ही भूमि के अलॉट-मेंट को बन्द करने में और भूमि के क्रय से बचत हो, लेकिन जयपुर जैसे शहर में गरीबों को बसाने के लिए जो स्कीम बनी थी, उसको सरकार बदस्तूर फिर जारी रखे और घरों की समस्या को दूर करें।

हमारी सरकार के सामने रोटी के साथ साथ जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए कदम उठा रही है, और सरकार ने प्रयत्न किये हैं। चन्दन गांव में एक नल कूप लग चुका है। उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। ऐसे नल कूप बनाना और सम्भव हो गया तो पीने के पानी की समस्या हल हो जायगी।

जहां एक और मकानों की समस्या है, वहां एक बात और दिखाई देती है कि गाड़िया लुहारों पर सरकार की विशेष कृपा है। सोजत के पास एक कालोनी बना दी गई है, लेकिन जो उसकी दुर्दशा और दुर्गति है, वह सरकार के सामने है कि उस बस्ती के पूरे होते न होते वे मकान ढह गये और ४० हजार रुपया उनकी मरम्मत के लिए स्वीकार करना पड़ा। इसके साथ ही गाड़िया-लोहारों के लिए दुकानों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अच्छा ही है जो कृपा पात्र है, वे ही इसमे

... क बार

म ... अध्यक्ष महोदय, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही मनुष्य के जीवन के लिए रोटी का पहला स्थान हो, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रथम स्थान है, क्योंकि शिक्षा ही वह आधार है जिस पर सारी योजनाओं की सफ-लता निर्भर होती है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय विकास की नींव डाली जा सकती है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ पर बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूं कि शिक्षा की ओर हमारी सरकार का ध्यान उतना नहीं है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में ही परस्पर विरोधी बातें मालूम होती हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि :

'शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है'।

लेकिन उसके साथ ही उन्होंने यह बताया है कि :

'भारत सरकार की बेरोजगारों को काम देने की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में ११२० प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, कहां मेल खाता है प्राथमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा के विकास का और बेरोजगारी को दूर करने के प्रयत्न का। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप प्राथमिक पाठशालाएं खोलें, इससे आप कैसे प्राथमिक शिक्षा का विकास कर सकेंगे और कहां, क्या कैसे

(डॉ० चन्द्रकला)

कर सकेंगे, यह समझ में नहीं आता है।

१ म० प०

जिस शिक्षा की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसको बेकारी दूर करने का साधन बनाना सचमुच चिंता का विषय हो सकता है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं। हमारे वित्त मन्त्री ने बताया कि हम बेसिक शिक्षा पर होने वाले खर्चे की आलोचना करते है, हम अच्छी तरह बता देना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा के महत्व को हम भी स्वीकार करते हैं और इस बात को मानते हैं कि बेसिक शिक्षा ही ऐसी शिक्षा है जिससे हम समग्र दिशाओं में प्रगति कर सकते हैं। पर जो अपव्यय बेसिक शिक्षा के नाम पर होता है, वह सहन करने योग्य नहीं है।

छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का निश्चय किया गया है, उसके लिये मैं सरकार की प्रशंसा करूंगी, लेकिन इसमें भी एक अड़ंगा लगा दिया है कि ढाई सौ से अधिक जिनकी आय नहीं है, ढाई सौ से अधिक जिनका वेतन नहीं है, उन्हीं लोगों के बच्चों को ये छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। यह जो शर्त रखी गई है, उसको मैं उचित नहीं समझती। जो छात्र प्रतिभावान हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते है, उन सबको यह अवश्य मिलनी चाहिये। तो सरकार ने जो यह २५० के वेतन की सीमा रखी है, वह हटा दी जानी चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : यह तो साधनहीनों के लिये व्यवस्था की है।

डॉ० चन्द्रकला : साधनहीन तो आगे वाले भी हो सकते हैं।

इसके अलावा हमारे हर अध्यापक को मैट्रिक ग्रेड देने का निश्चय किया है, इससे हर अध्यापक को राहत मिलेगी। इसके लिये मैं सरकार की प्रशंसा करती हूं, लेकिन साथ ही यह निवेदन करूंगी कि शरणार्थी शिक्षकों के फिक्सेशन का सवाल बराबर लटकता चला आ रहा है। कितनी ही बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया पर सरकार ने अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं किया है, यदि उनकी ओर देखें और कुछ करें तो उनका भी प्रश्न हल हो सकता है।

इसके साथ ही शिक्षित बेकारों की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। जब तक शिक्षित बेकारों के सम्बन्ध में सरकार बाकायदा सर्वे करा कर उन शिक्षितों की बेकारी को दूर करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक यह शिक्षित बेकारों की विकट समस्या हमारे सामने जो है, वह हल नहीं होगी।

शिक्षा के साथ साथ हमारी सरकार स्वास्थ्य के लिये भी कदम उठा रही है, पर होता यह है कि कहीं कहीं क्षेत्रों में सरकार सहायता देती है और अनेकों क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं। इसके लिये सोचना है कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से सब क्षेत्रों की ओर ध्यान दे। मैं तो यह निवेदन करूंगी किजच्चा और बच्चे, प्रसूति सम्बन्धी व्यवस्था सरकार ठीक कर सके तो अच्छा है। जहां हमारे औषधालय, डिस्पे-

(डॉ० चन्द्रकला)

निसरियां है, वहां दाइयों का प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये। यदि सरकार जच्चा बच्चा क्षेत्र में सहायता दे सके, तो इस देश के स्वास्थ्य को सुधार लेगी।

इसके साथ ही अपनी आमदनी के लिये विभिन्न करों द्वारा सरकार ने ६५ लाख की आमदनी आंकी है। और दूसरे करों के बारे में विशेष मुझे नहीं कहना है पर जो कर मोटर वाहनों पर बढ़ाया गया है, इससे सर्व साधारण पर असर होगा। धनी पैसे-वाले लोग तो अपनी खुद की मोटरों में एयर कन्डिशन्ड गाड़ियों में और वायुयानों में सफर कर लेंगे, लेकिन गरीब जनता इस प्रकार की कर वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित होती है। सरकार यह टैक्स नहीं लगाती तो अच्छा होता और सरकार इस सम्बन्ध में अधिक विचारपूर्वक सोचती तो अच्छा रहता।

इसके साथ साथ दूसरे प्रस्तावित कर हैं, इसके सम्बन्ध में हमारे वित्त मन्त्री ने बताया कि इसी वजह से कॉटेज इन्डस्ट्री में सहायता दे सकेंगे। कुछ कॉटेज़ इन्डस्ट्रिज ऐसी हैं जिनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उन छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये हमें सोचना पड़ेगा। कांच, चूड़ी, उद्योग की तरफ मैंने वित्त मन्त्रीजी का ध्यान दिलाया था कि यह एक छोटा उद्योग है, इस पर कर नहीं लगना चाहिये। हम जानते हैं कि कुछ लोग जिनकी जीविका चूड़ियों पर निर्भर होती है, वे लोग टोकरियों में चूड़ियां लेकर घर घर द्वार द्वार चूड़ियां बेचने के लिये फिरते हैं, पहनने में चूड़ियां टूटती हैं और सुहाग का चिन्ह मान कर एक दी और ज्यादा देनी पड़ती हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आप तो पहनती नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : यह बहुत लाभ का धन्धा भी नहीं है। इसलिये कांच की चूड़ियों जैसी चीज़ पर सैल्स टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सेल्स टैक्स के कारण महिलाओं ने चूड़ियां पहनना छोड़ दिया है।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : तो पुरुष पहनने लग जायं, वे लोग और बड़ी बड़ी पहनेंगे जिससे सरकार को ज्यादा आमदनी होगी।

(अनवरत हंसी)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ ही हमने बहुत सारी योजनाएं रखी है। बजट को बहुत मोटा पोथा होने के कारण ज्यादा नहीं देखा, पर यह जानने की कोशिश की कि बड़ी बड़ी क्या योजनाएं हैं। जयपुर में २५ लाख की लागत का स्टीम टर्बाइन मिलेगा, अधिक बिजली उत्पादन की ताकत होने के कारण बिजली मिलेगी, इससे हमें जो रोज परेशानी होती है वह दूर होगी। पर इसके साथ ही साथ मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जयपुर शहर में बहुत लोग ऐसे हैं जो सदा से उपेक्षित पड़े हैं, जिसे स्लम कहा जाता है, वहां बिजली नहीं पहुंचाई गई है। जब स्टीम टर्बाइन आ जाय तो उन क्षेत्रों को जगमग कर दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(डॉ० चन्द्रकला)

इसी तरह पानी की व्यवस्था अभाव क्षेत्रों में तो हमने बहुत कर ली पर जहां अभाव नहीं है, रामगढ़ के बंध से हमें पानी मिलता है, वहां पानी की अव्यवस्था के कारण जनता परेशान है। यह हमारी सरकार को मालूम नहीं है, क्योंकि दिया तले अन्धेरा रहता है, वहां देखने के लिये दूसरी जगह दीपक जला कर देखना पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार को मालूम नहीं होता तो ८० लाख की स्कीम बना कर नल लगाने की व्यवस्था नहीं करती।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार बताने से करती है, बतायेंगे तो करेगी। अंततः देखा यह जाता है कि बहुत सारी राशि स्वीकृत कर ली जाती है और वह राशि अन्त में जाकर लेप्स हो जाती है। इस बजट में भी कहा गया है कि हम पूरा खर्च नहीं कर पाये, क्योंकि प्रगति धीमी थी। तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि हमें योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये योजना में गति लाने की आवश्यकता है और जिस तरह विवरण बनाते हैं उसी तरह कार्यक्रम भी बनाया जाय और स्वीकृत धन राशि को समय पर ही समुचित रूप से खर्च कर दिया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : (धौलपुर) माननीय अध्यक्ष.....

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) :

माननीय अध्यक्ष, माननीय वित्त मन्त्री जी के भाषण के आखिर में जो कुछ फर्माइस हुई कि ;

"Before I take my seat, I would like to thank the Hon'ble members and request them to examine the budget proposals with an open and fair mind."

मुझे पता नहीं अध्यक्ष महोदय, कि यह क्यों कर के वित्त मन्त्री महोदय को ऐसा महसूस हुआ, हमने तो हमेशा ही ओपन माइन्ड से और खुले दिल से, जब कभी भी बजट पेश हुआ, उस पर बहस की है। यहां के मेम्बर ही नहीं, राजस्थान की जनता ने आज तक खुले दिमाग और सच्चे हृदय से बर्दाश्त भी की है, वरना आज तर्क खर्च का तरीका गवर्नमेंट का हैं, वह विश्व के किसी स्थान पर जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज किस तरह कि राजस्थान में रुपये का अपव्यय हो रहा है, इस तरह के अपव्यय को विश्व के किसी भी स्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। मैं मानता हूं कि यह राजस्थान सरकार के सौभाग्य की बात थी कि हमारे वयोवृद्ध वित्त मन्त्री मिल गये। जिस तरह फटी हुई पाग में सोने का चिलका हो, उसी तरह हमारे वित्त मन्त्री शोभा देते हैं...

(हंसी)

इसी वजह से बजट के आंकड़े अन्त में ठीक ठीक आ जाते हैं वरना स्कूल की शिक्षा पक्ष वाली खराबियां इस सरकार में मिल सकती है, जिसके बार बार उदाहरण सदन के

(श्री मदनसिंह)

समक्ष रखे हैं और उसका आज तक कोई जवाब और हल नहीं हो सका है।

मैं सब से पहले फाइनेन्स डिपार्टमेंट जो कि वित्त मन्त्री जी के अन्डर है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। वैसे तो २० मिनिट का कुल समय दिया गया है, एक एक आइटम के लिये दो दो मिनिट रखें, तो सब पर बोलने में ८० मिनिट लगेंगे।

मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपका भी काम है कि महीने दो महीने में आप सरकार के कान खींचते रहते तो अच्छी तरह से खर्चा होता। मैं बताऊंगा कि किस तरह पक्षपात पूर्वक राष्ट्र के धन का अपव्यय हुआ है। सबसे पहले तो आपने अपने हाथ से ५५००) रुपये की रकम, जिसके सम्बन्ध में सदन के कोई माननीय सदस्य नहीं जानते कि हमारे बहुत बड़े सन्त यहां पधारने लगे, मैं तो कहता हूं वे राजनैतिक संत विनोबा यहां पधारे...

उनके ऊपर पांच—पांच सौ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट से खर्च हुआ। मैं समझता हूँ ऐसा खर्चा एक पोलिटिकल लीडर के लिये खर्च किया जाय, कहां तक उचित है। यदि ऐसी ही गवर्नमेंट की पोलिसी है...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He is not a political leader.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : He is a political leader and I can prove that he is a political leader.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He is not a member of any political body.

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज की भारतवर्ष की जो राजनीति है, वह इकोनोमी पर बेस्ड है। इकोनोमी की पॉलिसी को लेकर ही सन्त सारे भारत में फिर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि वे आध्यात्मिक लीडर भी हैं। यदि उनके हर डिस्ट्रिक्ट से पांच, पांच सौ रुपया, कैबिनेट में आप लोग बैठ कर उन पर खर्च करने के लिए तय कर दें, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है, ऐसी परम्परा है तो फिर हर सन्त के लिए होनी चाहिये। इसलिए मैं कहता हूं कि ५५००) रुपया यह फिजूल खर्चा हुआ।

आपने अपने भाषण में फर्माया कि २५ हज़ार रुपया शराब बन्दी के प्रचार के लिए सेंक्शन किया है। मैं समझता हूं हमारे महात्मा गांधीजी और वित्त मन्त्री जी ने शराब को ज़हर समझा है, फिर उसके प्रचार की क्या आवश्यकता है। जागीरों के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ी, को-ऑपरेटिव फार्मिंग के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन शराब के लिए आवश्यकता पड़ गई। यदि शराब बन्दी के लिए कोई कानून ले आते तो कोई भी सदन का माननीय सदस्य इसके लिए मना नहीं करता। २५ हज़ार रुपयों में तो पांच केन्डिडेट बाहर जा सकते हैं, और पढ़ाई कर सकते हैं। शराब बन्दी के लिए २५ हज़ार रुपया रखना लूट नहीं तो क्या है? शराब बन्दी की समिति बनी हुई है। उसमें मैं भी एक सदस्य हूं। मैंने कहा था कि ऐसे प्रचार की आवश्यकता नहीं है, जहां हम जावें स्वयम् ही प्रचार करें। क्या ब्लॉक डवेलपमेन्ट्स प्रचार नहीं कर सकते कि यह बुरी चीज़ है। लेकिन स्पेशल समिति बनी। परसों ही इसका प्रसंग चला,

(श्री मदनसिंह)

राजनैतिक पीड़ित हैं उनको सहायता नहीं मिले और २५ हज़ार का इस प्रकार से अप-व्यय। आप ही समझ सकते हैं कि इस रकम को अच्छे उपयोग में ला सकते हैं।

इस प्रकार से कस्टम्स के सम्बन्ध में बताया गया कि कुछ केसेज़ पकड़े गये हैं। मैं आपके सामने एक नमूना इसका पेश करना चाहता हूं। रसीद भी कस्टम्स एण्ड एक्साइज़ की मेरे पास है। १३ वर्ष पहले का केस था। लोसल एरिया में चीनी और गुड़ ले जाना मना था। १३ वर्ष पूर्व रेवेन्यू के आदमी ने ऊंटों को पकड़ा था। सन् ५६ में जो सेठजी चीनी और गुड़ लाये थे, उन पर जुर्माना कम किया और जो ऊंट वाले किराये के लिए आये थे, उन पर सौ, सौ रुपया जुर्माना किया गया। फिर कहा जाता है कि कस्टम की आमदनी बढ़ रही है, जब कि दुनियां इस प्रकार से मार मार कर उनको घोट घांट कर, जबरन उन पर इस प्रकार झूंठे केसेज़ लगाकर जुर्माना इस तरह से वसूल किया जाता है। यह रसीद वित्त मंत्री महोदय देखना चाहें तो उनको बता सकता हूं। यदि इस तरह से पैसा कमाया जाय तो फिर चोरी से ही ले लिया जाय तो अच्छा है। कर्जा दिया उसका हाल तो हुआ ही। जो राज्य इधर उधर से उधार लेकर अपनी सरकार को इस प्रकार चलाये तो वह सरकार कैसे टिक सकती है। प्रिन्सिपली जो आय और व्यय को समान ढंग से देखा जाय और फिर खर्चा किया जाय तो कोई पॉलिसी हो सकती है, लेकिन यहां तो जगह जगह फर्क ही फर्क नजर आ रहा है, न तो कोई स्थायी आय का पता है, न कोई स्थायी खर्च का पता है, उनको निश्चित नहीं मालूम है कि कितनी वास्तव में आय आवेगी, क्या निश्चित रूप से खर्च करने वाले हैं ? ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता को कैसे मालूम हो सकता है कि ठीक खर्च होगा। नहीं होगा। वित्त मंत्री महोदय समय समय पर अपने साथियों को ठीक ठीक सलाह देते रहें तो अच्छा है।

स्कूलों के सम्बन्ध में मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के समय कह चुका हूं। स्टेन्डर्ड शिक्षा का अच्छा नहीं है। शहरों में थोड़ी बहुत फिर भी अच्छी शिक्षा होती है, लेकिन गांवों में स्टेन्डर्ड खराब है और दिन ब दिन स्टेन्डर्ड खराब होता जा रहा है।

फोरेस्ट के सम्बन्ध में आपने फ़र्माया और मुझे एक बात याद आयी, वह निवेदन करना चाहता हूं। भू-स्वामी आन्दोलन के समय हमको पं० जवाहरलाल नेहरू के वहां बुलाया गया, तो उन्होंने फर्माया कि ठाकुर साहब क्या जागीर, जागीर है, आपका वन विभाग राजस्थान का इतने दरख्त लगा देगा कि हवा से लहलाने लगेंगे, दरख्तों से भर जावेगा, हमने भी ध्यान से सुना, शायद पार्लियामेन्ट में बोलते हुए ऐसा ध्यान आगया होगा। लेकिन सन् ५६ में तो हमने सोचा कि दरख्तों से हरा भरा हो जावेगा। लेकिन वित्त मंत्रीजी का भाषण सुन कर ताज्जुब हुआ कि १ हजार पपीते के पेड़ होंगे।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : पपीते फोरेस्ट में नहीं लगते। इसका ऐग्रीकल्चर से सम्बन्ध है। मैं आपके भ्रम निवारण के लिए कहना चाहता था, बाकी मुझे एतराज नहीं। कुछ भी कहें।

(हंसी)

Page No 51

श्री मदनसिंह दांता : कम से कम धन्यवाद है उनको कि उन्होंने इतने तो लगाये, लेकिन फोरेस्ट में कुछ भी नहीं लगे ।

(हंसी)

पंडितजी ने जो फर्माया था, उसके विपरीत यह हो रहा है । पक्षपात इतना हो रहा है कि कम होता नहीं । ट्रान्स्फर्स का यह हाल है कि एक एक महीने में सात सात जगह, काम जो करता है, वह, वह काम नहीं करता । एक नमूना इसका मैं आपके सामने पेश करूंगा । यह सिक्रेट एन्ड कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेन्ट है, कहीं आगे जाकर कहेंगे कि यह कहीं से चुरा कर लाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मुझे जौहरी बाजार में पान की दूकान पर मिला । मेरे पास इसके लिए गवाह भी मौजूद हैं । यह कॉन्फिडेन्शियल है । उसमें लिखा है :—

"There is some dissatsifaction among forest guards in your range regarding their transfers etc. within your range. I have received some complaints also. I feel it important that the forest guards should be inter-changed between Kishangarh and Arain without further delay. Put forester Onar Singh in Arain in place of forester Madan Singh with immediate effect."

और इसके साथ साथ एक चीज़ और पेश करूंगा कि जिससे यह साफ साबित है कि एक एक महीने में सात सात दफा ट्रान्स्फर्स हुए हैं । ऊपर से बस टेलीफोन आ गया....

श्री नाथूराम मिर्धा : इस चिट्ठी से तो सात ट्रान्स्फर एक एक महीने में कहां हुए ? उन्होंने कहा कि फोरेस्ट गॉर्ड के ऑफिस में ऐसा था, इसलिए अराई वाले को इधर भेज दिया...

श्री मदनसिंह : आप विराजिये ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): लेकिन सवाल यह है कि आपके दफ्तर की सुरक्षा की यह तारीफ है कि कागज पान की दूकान पर पहुँच जाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पान की दूकान पर नहीं पहुँचा है, यह इधर उधर से मांग कर लाया गया हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : That is equally serious.

श्री मदनसिंह दांता : अब मैं रेवेन्यु के लिए अर्ज करना चाहता हूँ । आज कल उस डिपार्टमेन्ट के मंत्री महोदय का नाम भी हो रहा है और खड़े होकर चेलेन्ज भी दे जाते हैं । दो केसेज़ ऐसे रखता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के इस सदन में इस प्रकार के केसेज़ नहीं आये होंगे और वे फोर्जरी के केसेज, जिसके अन्दर इतना अन्याय किया है कि हाईकोर्ट का फैसला, राजप्रमुख का फैसला और महाराजा माधोसिंहजी का फैसला और महाराजा मानसिंहजी का झूठा नाम लेकर, बाई ऑर्डर ऑफ राजप्रमुख हैं । बाई ऑर्डर्स ऑफ राजप्रमुख कह कर एक जागीरदार को रिमूव करके दूसरे को जागीरदार बनाया गया है, वह है चौकड़ी का केस । इस चेलेन्ज को स्वीकार करें, मेरे पास उसके सारे कागजात हैं । आप भी उन सारे कागजात को सदन के

(श्री मदनसिंह)

सामने ले आयें, तभी उसका स्पष्टीकरण हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जरा इसके फैक्टस माननीय सदस्य बयान कर दें। कौन से सन्, कौन से सम्बत का यह केस है, यह बयान कर दें तो मैं भी कुछ अर्ज कर सकता हूँ। चौकड़ी का केस क्या है, कब का है और किस साल का है ?

एक माननीय सदस्य : चंडाल चौकड़ी है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस समय सब सुनाने को तैयार हूं, लेकिन उसका स्पष्टीकरण सदन के बीच में होना चाहिये। उस फाइल का नंबर १० है, जिसमें यह काम हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : साल कौन सा है ?

श्री मदनसिंह दांता : अभी बताता हूं। यह चौकड़ी ठिकाना है, उसके लिये महाराजा माधोसिंहजी का फैसला हुआ २६। ७।१९१६ में। उसमें करणीसिंहजी को मलसीसर के खानदान से अलग करके उस ठिकाने पर उनको नियुक्त किया गया...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पुराना फैसला होगा....

श्री मदनसिंह : आपको कोई अधिकार नहीं कि राजाओं या जागीरदारों द्वारा जो कोई एडोप्शन हो, उसको आप रद्द करके दूसरों को उस जगह बिठा दे। यह अधिकार तो सिविल कोर्ट्स को है, आपके अधिकार की यह बात नहीं। इसके बाद १६ सितम्बर १९४० के अन्दर फिर राज-प्रमुख के सामने अपील की गई, फिर उस पर राजप्रमुख के आर्डर्स हो गये थे। जयपुर के हिज़ हाइनेस के ऑर्डर्स थे कि चौकड़ी का ठिकाना है, वह ठाकुर का रहेगा, वहां पर मलसीसर का कोई नहीं आ सकता। आपके इसलिये नये ऑर्डर्स, उसको मैं क्या कहूं चार सौबीस कहूँ या फोरजरी कहूं जो ४ अप्रैल को हुए सन् १९५५ में। जब कि १ मार्च १९५५ के रोज हाई कोर्ट द्वारा डिसीज़न हो चुका था, इसके लिये राजप्रमुख कॉम्पीटेन्ट नहीं है, यह ऑर्डर्स इसलिये हुए थे कि उनके पॉवर्स रिज्यूम हो चुके थे ३१ मार्च को ही। बहादुरसिंह के केस में हाई कोर्ट का डिसीज़न हो चुका है कि राजप्रमुख के पॉवर्स ३१ मार्च को रिज्यूम हो चुके थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। ४ अप्रैल १९५५ को जीवनसिंह को चौकड़ी से हटा कर मलसीसर के खानदान में रिवर्ट किया है। यह मामला बिल्कुल चार सौ बीस का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सन् ५५ का है या ५४ का, यह फिर से आप चैक कर लीजिये।

श्री मदनसिंह : अगर ५४ का होगा तो भी कोई बात नहीं। जब कि यह ऑर्डर हो चुके, मलसीसर से लिया जाये बाई ऑर्डर आफ हिज हाईनस दी राजप्रमुख। तो उस वक्त राजप्रमुख को इस प्रकार के अधिकार नहीं थे। रेवेन्यु सेक्रेटरी के यहां से इस प्रकार के आर्डर्स हुए हैं, वे पेपर्स हिज हाईनेस के सामने नहीं रखे गये थे, इसका मैं चेलेन्ज करता हूं, उसके मेरे पास डॉक्युमेन्ट्स हैं। इसके लिये राजप्रमुख के

Page No 53

(श्री मदनसिंह)

जो ऑर्डर्स करा लिये वे इलीगल हैं। किसी की सम्पत्ति पर जागीरों पर वहां के जागीरदार या राजा को पूरा अधिकार था कि वे किसी को भी उसका उत्तराधिकारी बना दें, किसी भी फेमिली से वे ट्रान्स्फर कर सकते हैं। इसके लिये कोई एतराज होता है तो वह सिविल कोर्ट द्वारा तय होता है, वह राजप्रमुख के अधिकार की बात नहीं होती। जब कि राजप्रमुख के नाम से किया गया, तो इसको फोर्जरी और चार सौ बीस के अलावा क्या कहा जा सकता है? मैं यह चाहता हूं कि इस केस की पूरी फाइल आप सदन के बीच में ले आयें, इसके अलावा जो मैंने बताया, वह काफी प्रूफ है। अध्यक्ष महोदय, गत साल भी मैंने बजट के समय इस चौकड़ी के केस को रखा था, लेकिन उस समय रेवेन्यू मिनिस्टिर साहब गलत फाइलें ले आये थे, उस समय आपने भी कहा था कि यह चौकड़ी का केस है।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी चौकड़ी है?

श्री मदनसिंह : यह गांव का नाम है। सदन के सामने अगर उसकी फाइल आजाय, तो मैं बता सकता हूं यह चार चौकड़ी कैसे हो गई। आप इसे मजाक का प्रश्न मत समझिये, यह वह मामला है जिसमें बड़ा अन्याय हो रहा है। महाराजा माधोसिंहजी के समय का केस है, जिस पर रेवेन्यु बोर्ड के ऑर्डर्स हो चुके, दुबारा जीवनसिंहजी की अपील रिजेक्ट हो चुकी, उसके उपरान्त हाई कोर्ट के आर्डर्स हो चुके, उसके चार रोज बाद चौकड़ी के एडोप्टेड श्री जीवनसिंह को मलसीसर रीवर्ट किया गया, यह उनके अधिकार की बात नहीं थी। इस बारे में बड़े बड़े वकीलों की सलाह ली गई। रेवेन्यु मिनिस्टर अगर चाहें तो इस केस को जुडिशियरी में देकर उसकी इन्क्वायरी करा सकते हैं, उससे और स्पष्ट रूप से मालूम हो जायगा। इस तरह से यह जुल्म बनता है, उनका जो अधिकार नहीं था वह उन्होंने किया। अगर इस तरह के पॉवर्स सरकार में रखे होते तो ये कभी के कभी जागीरदारों और राजाओं को खत्म कर देते। क्या आज सिविल कोर्ट्स के जो पॉवर हैं, वे क्यां गवर्नमेंट में निहित हो गये हैं क्या ताकि वे चाहे जिसको कहीं भी चुपके चुपके कर सकते हैं? यह बड़ा भारी केस है, इसका खाली, बिना फाइल के लाये जवाब देंगे तो मैं ठीक नहीं समझूंगा, वे सारी फाइल लेकर आयें, क्योंकि उस सारी फाइल की नकल मेरे पास है, अगर आपकी फाइल भी आजाय तो उसका स्पष्टीकरण हो सकेगा।

दूसरा केस है, जिसके लिये मैं तैयार होकर आया हूँ, वह है चारावास का केस। चूरू डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने इतने जागीरदार बनाये, जितने शायद महाराजा गंगासिंह जी ने अपनी लाइफ में भी नहीं बनाये होंगे। मैं समझता हूं इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय को सीरियस होना चाहिये, आप इस तरह का अन्याय और जुल्म करके हंसते हैं, अफसोस है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार में क्या क्या हरकतें होती हैं। जब कि ऐसी चीजें बतायी जाती हैं, जिन पर गम्भीर आरोप हैं, उन बातों को जब रखा जाता है तो आपके सहयोगी हंसने लगते हैं। चारावास का केस है, जो पहले भी रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के

Page No 54

(श्री मदनसिंह)

सामने आ चुका है । चारावास के अन्दर गलत ठाकुर बनाया गया और उसको १३ हजार रुपया कम्पेनूसेशन का दिलाया गया। और उस १३ हजार रुपया रिकवर करने के लिये ऑर्डर भी भेज दिये गये, लेकिन उसके लिये कहा जाता है कि उसके पास सम्पत्ति नहीं है। हमने रिप्रेजेन्टेशन किया, उसके पास हवेली है और भी जायदाद है उससे उसका रिकवर होना चाहिये, लेकिन आज तक वह रिकवर नहीं हो रहा है। इससे क्या साबित होता है कि या तो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब का हाथ है या उनके अधीन कार्य करने वाले किसी कार्यकर्त्ता का ....

श्री दामोदरलाल व्यास : किसके ऑर्डर्स थे, किसने पेमेन्ट किया, किस ऑफिसर ने किया ?

श्री मदनसिंह : अब तो आपको कुछ ध्यान आया है, जब कि आपका नाम लिया गया। वह पेमेन्ट कलेक्टर चूरू की तरफ से हुआ, उसके बाद उसी कलेक्टर को लिखा गया कि उसकी वापिस रिकवरी हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कलेक्टर को इस प्रकार के अधिकार हैं क्या कि जागीर एक्ट के मुताबिक डिस्प्यूट में वे फैसला दे सकें । जब उनको अधिकार नहीं था और आपके नीचे के ऑफिसरों ने यह काम किया तो यह आपकी कमजोरी है, आपको चाहिये तो यह था कि इस प्रकार का कार्य करने वाले को आप सजा देते, लेकिन उस कलेक्टर को सजा नहीं दी, उसको तो और तरक्की दी गई। इस प्रकार के डिस्प्यूटेड मामले हैं, उनका फैसला रेवेन्यु बोर्ड से होता है । जागीरी एक्ट की धारा ३६ और ३७ में यह व्यवस्था है कि इस प्रकार के डिस्प्यूटेड मामले हैं वे सिविल में लडने चाहियें । आप इस बारे में निष्पक्ष जांच बैठायें, तो आपको यह मालूम होगा ऐसे एक केस ही नहीं पचासों मामले आपके सामने आयेंगे। महाराजा गंगासिंह जी के समय में जितने जागीरदार नहीं बनाये गये उतने जागीरदार आपने बना दिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो–चार तो और बता दीजिये।

श्री मदनसिंह : जिनका हक नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य दो चार और इन्स्टान्सेज़ बता दें कि कलेक्टर चूरू ने और किनको जागीरदार बनाया ताकि जांच कर सकें।

श्री मदनसिंह : पहले एक की तो आप से जांच हुई नहीं, दूसरे की बात करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी जांच हो रही है, पेन्डिग में है।

श्री मदनसिंह : कहीं पेन्डिंग में नहीं है। आपने ऑर्डर दे दिया रुपया वापिस जमा होना चाहिये। वह अब पेन्डिग में कैसे रहा अध्यक्ष महोदय। वह पेन्डिंग नहीं है। आपने डिसिजन दिया है। आपने वह रुपया वसूल करने का निर्णय दे दिया। उस कलेक्टर ने जिसने यह कांड किया है, प्रामोशन प्राप्त किया है इसके बदले में। इस वक्त शायद वह डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन है। प्रामोशन मिला है उसे बजाय सजा के। तो इससे आप स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि घोटाला हुआ है और आगे भी होता रहने की गुंजाइश आपने रख छोड़ी है उसको कोई सजा न देकर। और फिर

Page No 55

(श्री मदनसिंह)

मैं समझता हूं कि कलेक्टर की क्या हिम्मत हो सकती है नये जागीरदार बनाने की। कहीं न कहीं फोन से, विचार से, और और तरीकों से उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता होगा। अब वित्त मन्त्रीजी रुपये की कमी की बात करते हैं। उनका रुपया तो इस तरह से लुट रहा है। नये नये जागीरदार ले जा रहे हैं। जो चालाक हैं वे रुपया खा रहे हैं और ऊपर की ढिलाई से खा रहे हैं। इसमें किसका हाथ हो सकता है, इसके लिये यह भी मैं क्यों न कह दूँ आगे बढ़कर कि राजस्व मन्त्री भी इसमें हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आगे चलता हूं। पुलिस के लिये तो कहने की जरूरत ही नहीं। यह भी कोई महकमा है क्या ? कारण किसकी कहां कौन सुने, क्या होता है, क्या नहीं होता है ? अभी टीयर गैस के बारे में मेरे एक माननीय साथी सदस्य ने फर्माया कि इतने रुपयों की इसके लिये मांग की है। मैं कहता हूं राजस्थान की जनता को ऐसे ही पटकना है तो वह तो वैसे ही रो रही है। वह तो बिना ही टीयर गैस के रो रही है और रो रही है पुलिस के अत्याचारों को। नमूना अब क्या रखूं। एक हो, दो हों तो बताऊं भी। इसलिये मैं तो यही कह सकता हूँ कि आज अगर यह पुलिस ही न होती तो गांवों में अत्याचार नहीं होता। पुलिस के जरिये ही आज सारी चोरियां, डाके, अत्याचार और जनता पर जुल्म ज्यादती होती है। बिलकुल अच्छे नेक गरीब और अच्छे आदमी को जबर्दस्ती पुलिस द्वारा चोर बनाये जाते हैं और होम मिनिस्टर साहब इसका सबूत पूछें तो दस दिन पहले का ही एक कांड उनको याद होगा। वह तो उसके पीछे दो दो एम० एल० ए० थे, इसलिये सिद्ध हो गया। इससे हमारी पुलिस का और क्या पतन हो सकता है कि जो हमारी रक्षा करने का दावा करती है, हमारी बहन बेटियों के चरित्र की रक्षा करती है, वहां हरिजन औरतों के साथ पुलिस के आदमी व्यभिचार करें। ऐसी ऐसी चीजें तो यहां सदन में आ चुकी हैं। इससे ज्यादा गिरावट पुलिस की और क्या हो सकती है। इससे अधिक तगड़ा दिल और क्या हो सकता है कि तब भी होम मिनिस्टर उस कुर्सी पर डटे हैं। राजस्थान में इस तरह की हरकत अगर वे देख सकते हैं तो उनकी आत्मा मर चुकी समझनी चाहिये। नहीं तो क्या वे ऐसी हरकत देख सकते हैं, उनको तो इस बात पर फौरन अपना त्यागपत्र दे देना चाहिये था। मैं इस माने में एक ही व्यक्ति श्री लालबहादुर शास्त्री की तारीफ करता हूं। उस एक ही व्यक्ति के सामने हमारा सिर झुकता है। मैं व्यवस्था नहीं कर सकता ठीक तरह से रेल की, तो मुझे इस मिनिट के लिये भी इस कुर्सी पर नहीं बैठे रहना चाहिये। पर आप तो चिपक महादेव तो नहीं, वे तो कहने वाले गये, अब तो चांदपोल के हनुमानजी होकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज होम मिनिस्टर साहब से कोई पुलिस की हरकत छिपी नहीं होनी चाहिये। पर पुलिस के कर्मचारी छिपाते हैं। आई० जी० पी० तक को सही चीज़ नहीं कही जाती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर सही बातें उन तक आतीं तो आज से ८ साल पहले ही डाकुओं का सफाया कर देते। तो आप कितना ही रुपया मांगों, पचास करोड़ मांगो, हमतो इससे प्रभावित

(श्री मदनसिंह)

नहीं होंगे। वित्त मन्त्री को समय समय पर उनकी जांच करते रहना चाहिये कि पुलिस किस तरह से पैसा खर्च करती है। बजट ठीक बना लेते हैं पर उसके माफिक आप नहीं चलते। प्रजा पर आप झूंठे टैक्स लगाते हैं और प्रजा आपसे दुःखी भी है। इसलिये मैं समझता हूं कि ईश्वर वह दिन करे कि आप में या तो ठीक ढंग से रीति नीति से काम करने की सद्‌बुद्धि आवे, नहीं तो राजस्थान की जनता आपको कह दे कि आप अब आराम करो और दूसरों की गवर्नमेंट बनावे जो उनके दुःख दूर कर सके।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस अर्थ प्रधान युग में किसी भी देश या प्रान्त के बज़ट की रकम को और काम को पूरा करने में उसकी रीति नीति का बहुत बड़ा हाथ रहता है। किसी भी देश की या प्रान्त की नीति जब तक उसके बज़ट के द्वारा अर्थ से सम्बन्धित नहीं होती है, तब तक वह सफल होने में असमर्थ है।

हमारी नीति है समाजवादी समाज की रचना और इसको लक्ष्य में रख कर ही हमारे बज़ट पेश किये जाते रहे हैं और किये जाते हैं। इसमें कुछ इशारे हैं जिनसे हमें विश्वास होता है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं।

प्राइमरी स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में मैट्रिक से नीचे के ग्रेड के अध्यापक जो थे। जिनको मैट्रिक का ग्रेड कभी का मिल जाना चाहिये था। उनको मैट्रिक का ग्रेड देने का जो प्रावधान इसमें रखा गया है, यह बहुत ही बड़ा स्टैप है। इसके लिये राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। यह उनके साथ अन्याय चला आ रहा था। इसकी तरफ सरकार का ध्यान गया। अब इससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरेगी और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने में भी उनका मन लगेगा।

इसके साथ ही मोटर सवारियों और सामान पर जो टैक्स लगाया गया है, उसको मैं इस समाजवादी समाज रचना की ओर बढ़ने में एक बाधा के रूप में मानता हूं, क्योंकि इसका उपयोग निम्न श्रेणी के लोग ही ज्यादा करते रहे हैं। इनका किराया रेल से भी कम होता है और दूर देहातों में रेलों के अभाव में यही एक गरीब लोगों का आवागमन का अच्छा साधन है। आज रेल और मोटर के कम्पीटिशन से मोटर का किराया कम है। इससे गरीबों को फायदा है। हालांकि सेन्टर के सामने भी यह प्रश्न पैदा हो गया है कि रेलों की आमदनी को जो इससे धक्का लग रहा है, वह कैसे कम किया जावे। यह चिन्ता अगर हमारी सरकार को हो तो उचित नहीं है। इससे गरीबों पर भार अधिक पड़ेगा। सामान ढोने पर ही अगर टैक्स बढ़ाया जाता तब भी गनीमत थी। इसका बोझा डाइरेक्ट गरीबों पर नहीं पड़ता। इस—लिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी ओर यह भी है कि इसका नेश—नेलाइज़ेशन भी मुश्किल से होगा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था इस समय नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि जैसे कोई ३० सीट की गाड़ी है, उस पर, पर सीट कुछ टैक्स बढ़ा दिया जाये, लेकिन हर सवारी पर उसके टिकट के चार्जेज़ का १।६ ज्यादा चार्ज लिया

(श्री शिवनाथसिंह)

जायेगा और इसका पूरा केलकुलेशन होना और पूरा रुपया गवर्नमेंट ट्रेजरी में आ जायेगा, इस पर हमें सन्देह है। क्योंकि बहुत से मोटर वाले टिकट नहीं लेते हैं और उसके बाद में टैक्स वसूल करेंगे। हो सकता है कि मोटरों पर इतना चैकिंग न हो और फिर टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं आये। यह सब बातें हैं जो मुझे नजर आई, वह मैंने निवेदन कीं।

इसके अलावा जो बजट आया है, उसको हम दो तीन आधारों से देख सकते हैं। एक तो बजट में वह काम रखे गये हैं जो कि सार्वजनिक और तमाम प्रान्त के हित में हो सकते हैं; जैसे बड़ी बड़ी नहरें हैं और राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनकी ओर सरकार का निश्चितत: ध्यान गया है और जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं, उन पर जो रुपया खर्च होगा उसका रिज़ल्ट हमारे सामने धीरे धीरे अब आने लग गया है और निकट भविष्य में आ जायेगा। इससे हमारी अन्य समस्यायें भी हल हो जायेंगी और उनसे समूचे प्रान्त को फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे दृष्टिकोण को भी देखना पड़ता है और वह यह है कि वह काम जो कि तमाम राजस्थान के हित के लिए नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से सम्बन्धित हैं। जिलेवाइज़ जो व्यवस्था की गई है, उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं। इसमें हर जिले वालों को नहीं तो कम से कम मुझे तो असन्तोष ही है। मैं यह चार्ज तो नहीं लगाता कि वित्त मंत्री महोदय ने कुछ पक्षपात किया है और न ऐसी मैं उनसे उम्मीद ही कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि उनकी दृष्टि में हमारी जिले की कुछ समस्यायें उनके सामने न आई हों और उनके ध्यान में आये बिना हम उन फायदों से महरूम हो जायें। मैं इस बारे में थोड़े से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सिविल वर्क्स के अलग अलग हैड्स, जहां कि रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है कुछ सड़कों में, कुछ माइनर इर्रिगेशन में और कुछ मकान आदि के बनाने में रकम है, इस तरह से यह अलग हैड्स हैं। जहां तक झुंझुनू जिले का सम्बन्ध है, मैं एक ही आइटम पिछले तीन साल से देखता आ रहा हूँ। हमारे यहां झुंझुनू में मल्टी परपज़ गवर्नमेन्ट हाई स्कूल में साइन्स ब्लाक है, उसके लिए रकम १६५७ में रखी गई, १६५८ में रखी गई और अब १६५६ में भी रखी गई है। यह हाई स्कूल का छोटा सा साइन्स ब्लाक है, उसमें पांच छः कमरे हैं, वह आज तक पूरे नहीं हुए हैं और हर साल बराबर उसका प्रावधान रखा जा रहा है। या तो राजस्थान सरकार जो रुपया बजट में रखती है उसको खर्च करने का विचार नही करती है या फिर विचार भी करती है तो काम नहीं हो पाते हैं।

इसी तरह से में निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़कों का सवाल है। ऐसी सड़कें जो कि फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में पूरी हो जानी चाहिए थीं, उनका नाम भी बराबर हर साल चला आ रहा है। वह रुपया सालाना लेप्स होता है और जो बजट में प्रोविज़न इस साल भी किया गया है, उसके लिए तो मुझे उम्मीद नहीं है कि पूरा हो जायेगा।

दूसरे जो इर्रिगेशन के वर्क्स हैं, झुंझुनू ऐसा ज़िला है कि जिसमें नहर आदि आने की कोई व्यवस्था नहीं है और न आगे आने

(श्री शिवनाथसिंह)

वाली है। तो जब कि वह जिला सिंचाई के साधनों से वंचित है और जो हमारा जिला है, वह राजस्थान के अन्य कुछ जिलों की भांति कृषि प्रधान जिला है, अगर इसको इसी तरह से अवोइड किया गया तो

१—४५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे काश्तकार किस प्रकार से अपना काम चलायेंगे, यह समझ में नहीं आता। अगर इसी तरह से हमारे क्षेत्र की अवहेलना की गई और उन्हें कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराये गये तो या तो काश्तकारों को काश्त करना छोड़ना पड़ेगा या फिर सरकार के सामने बड़ी विकट समस्या आ जायेगी, जिसका सुलझाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। हमारे यहां छोटे छोटे बांध के लिए बहुत गुंजाइश है, हालांकि उसके लिए सर्वे कराया गया है, लेकिन जब यहां पर उन के लिए सवाल पूछते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि मामला अन्डर कन्सिडरेशन है। पता नहीं वह मामला कब कन्सिडर होगा ? हमारे यहां काठली नदी के बांध के लिए सन् ४५ से सर्वे हो रहा है और यह ऐसी स्कीम है कि जिससे कई हजार एकड़ जमीन सिंचाई में आ सकती है। यही नहीं मैं आपको बताऊं कि वहां पर सरकार ने पक्के मकान आदि बनाने पर रोक लगा रखी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार यह भी तय कर दे कि काठली नदी का बांध नही बनेगा तो वहां के लोग दूसरा धन्धा करें। यहां नोटिस निकाला है कि उस एरिया में पक्के मकान नहीं बनवा सकते तो इसका नतीजा यह हुआ है कि सन् ४५ से आज तक वहां पर लोग पक्के मकान बनवाने से रह रहे हैं। अगर यह निश्चित हो जाता कि बांध नहीं बनेगा तो कम से कम वहां के निवासी अपनी ओर से तो गांवों का कुछ विकास करते ?

इसलिए मैंने यह थोड़ी सी बातें सदन के सामने निवेदन कर दी। हो सकता है कि इनके लिए मेरे ऊपर संकीर्णता का आरोप लगाया जाये, लेकिन क्योंकि यह बातें मेरे जिले से सम्बन्धित थीं और अगर इनकी तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान नहीं दिलाता हूँ तो मैं अपने कर्तव्य से अलग होता हूँ।

जहां तक स्कूलों का सम्बन्ध है, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि ११२० प्राईमरी स्कूल, ५०० बेसिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। यह वास्तव में बहुत ही बड़ा कदम है और इससे प्राईमरी शिक्षा को बहुत ही लाभ मिलेगा। लेकिन हम जब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और कालेजों की संख्या देखते हैं तो हमें दुःख होता है। केवल ३० मिडिल स्कूल, ८ हायर सेकेन्डरी खोलने का इरादा है। आप ही देखिये कि कितना फर्क छोटी क्लासेज़ और बड़ी क्लासेज़ की शिक्षा संस्थाओं में है। हम प्राईमरी एज्युकेशन को कम्पलसरी करने की बात सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस साल से या अगली साल से यह व्यवस्था हो सकगी, लेकिन फिर आगे उन लड़कों को आगे मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में भर्ती कराने के लिए बड़ी दिक्कत आयेगी। एडमिशन के लिए आज भी लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं अपने यहां की कहता हूँ कि लड़कों को एडमिशन लेने के लिए

(श्री शिवनाथसिंह)

हाई स्कूल में या कालेज में इतनी दिक्कत पड़ती है कि घर वाले यह सोचते हैं कि नहीं ही पढ़ाया जाये तो अच्छा है। जब ऐसी समस्या हमारी ऊंची शिक्षा की हो रही है, तो इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और इस ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, राजस्व कर की ओर। हम भी एक बहुत बड़ा भाग कर के रूप में अदा करते हैं। दूसरे जिले भी अदा करते हैं। हमारे यहां आज से २० साल पहले सैटलमेन्ट हुआ था, लेकिन उसका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है। हो सकता है माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में यह कहें कि क्योंकि आज नया एक्ट बना हुआ है उसके अनुसार २० साल की मियाद होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वह एक्ट नये वाला हमारे यहां लागू नहीं होता है, क्योंकि इस एक्ट के पास होने के बाद में ही २० साल के बाद सैटलमेन्ट का रीविजन होगा। इसलिए हमारे जिले में पुराना एक्ट ही लागू है और यह पुराने एक्ट से ही गवर्न होगा। उस समय की रेट्स बहुत ऊंची हैं और अब भी राजस्व मंत्री महोदय कह सकते हैं कि अब जो रेटस आयेंगी, क्योंकि महंगाई है वह ऊंची आयेगी, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेटलमेंन्ट्स हुए हैं उनकी रेट्स बहुत कम आई है, क्योंकि उस समय तो सैटलमेन्ट दूसरे हिस्से पर कायम होता था और आज छठे हिस्से पर सेटलमेंट कायम होता है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना मैं अपना कर्तव्य समझता था और मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो बजट में प्रावधान रखे गये हैं वह ठीक हैं, लेकिन जो आपके पास में कन्सोलिडेटेड फण्ड हैं, अगर उनमें से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें तो हमें फायदा हो सकता है और मुझे आशा है कि इस ओर आप ध्यान देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, १९५९-६० का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उस बजट पर कल से वाद-विवाद हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बार घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया और बजट बचत का प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं दा साहब घर में भी बचत कर सकते होंगे या नहीं, फिर राजस्थान के बजट में इस प्रकार की बचत कैसे दिखा रहे हैं। इस बजट के आंकड़ों पर दृष्टिपात करने के बाद ऐसा लगता है, जैसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेख चिल्ली सो जाय और उसको स्वप्न आवे और उसमें वह बहुत बड़ी जायदाद इकट्ठी करता जाय और जब इस स्वप्नकाल में वह अपनी टांग सामने रखे और सामने जल से भरा हुआ घड़ा फूट जाय और पानी फैल जाय और उससे उसकी नींद खुल जाय, तब उसकी जो हालत होती है उससे ज्यादा हालत अच्छी हमारे वित्त मंत्रीजी की नहीं है। इस बजट में कोई नई प्रक्रिया नहीं है, वही पुराना बिल्कुल ट्रेडिशनल और टेम्ड बजट है। वही सड़ी सड़ाई पुरानी बातें इसमें भरी पड़ी हैं। इस बार यह बात जरूर है कि बजट भाषण लम्बा, थीसिस के रूप में जरूर आया है, लेकिन जो आशाएं, आकांक्षाएं बजट प्रस्तुत करने से पहले राजस्थान की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डेढ़ करोड़ जनता को थी कि वित्त मंत्रीजी जब २ मार्च को विधान सभा में बजट पेश करेंगे तो हमारी आशाएं पूरी होंगी, मैं वित्त मंत्रीजी को बताना चाहता हूँ कि कैसे घरों में, दूकानों पर और सड़कों पर और कैसे दफ्तरों में छोटे-छोटे कर्मचारी और हरेक तरह के लोग यह पूछते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं या हमको कोई राहत मिलेगी या नहीं, टैक्स कौन कौन सा बढ़ेगा आदि बातों की जनता प्रतीक्षा कर रही थी, उसको कौनसी राहत आपके इस बजट से मिलती है। जो लोग चार चार घंटों तक खड़े रहकर अनाज लेने की कोशिश करते थे और फिर भी उनको अनाज नहीं मिलता है, वे समझते थे कि शायद बजट आयगा उस समय अनाज की भीषण समस्या हल होगी। जो लोग पुलिस के शिकार होते हैं, वे समझते थे कि वित्त मंत्रीजी जब बजट पेश करेंगे तब शायद पुलिस का खर्चा आधा कर देंगे। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ही नहीं सदन के माननीय सदस्यों को जो विभिन्न स्थानों से यहां आये हैं, उनको ही नहीं बल्कि राजस्थान के कोने कोने में जो जनता निवास करती है, उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ जब बचत का बजट देखा। बचत का बजट ५८ में भी बना था। उस समय भी एन्टिसिपेट किया गया था कि १६.५० लाख का सरप्लस होगा, लेकिन उसके बजाय ५३.७८ लाख का घाटा हुआ। आप कल्पना करके चलते हैं, आसमान उठाने की हवाई कल्पना करने लगते हैं कि हमारा बचत का बजट होगा, लेकिन वास्तविक रूप से एस्टिमेट खर्चे का सामने आता है, साल गुजर जाता है, ६ महीने पूरे हो जाते हैं, तो पता लगता है कि घाटा रहा। लेकिन ६ महीने के बाद पता लगता है जब कि केवल ३ महीने बचते हैं और ज्यादा खर्चा हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने माना है कि प्लान की प्रोग्रेस कम रही, रबी अभियान में जितना चाहते थे उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी माना है कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना करना चाहते थे उतना नहीं हुआ। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आखिर प्लान के लिये जितना रूपया रखा गया था, क्या वह पूरा युटिलाइज हुआ। किस प्रकार उसका उपयोग हो सकता है और किस प्रकार प्रोडक्टिव सोर्सेज और रेवेन्यु को बढ़ाया जा सकता है, ये सारे काम आप नहीं कर सकते। दा साहब आप सर्वोदय समाज का जन हित का कार्य कर सकते हैं, आप विनोबाजी का स्वागत करने के लिये जा सकते हैं, लेकिन यह डवेलपमेंट आदि का काम आपके बस का नहीं है। इसके लिये प्लानिंग कमीशन चाहिये स्टेट लेवल पर और जो कुछ सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन ने मंजूर किया है उसको हमारे यहां किस तरह से चलाना चाहिये, उसके लिये प्लानिंग कमीशन हमारे स्टेट का चाहिये जो सारी स्कीम्स को स्क्रूटिनाइज़ करे और देखे कि किस योजना पर किस तरह से पैसा लगाना चाहिये, किस में नहीं लगाना चाहिये, इन सबको कौन स्क्रूटिनाइज करेगा? क्या ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो पुराने घिसे पिटे तरीकों पर चलती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं विद आल ड्यू रेस्पेक्ट टु दी फाइनेन्स मिनिस्टर इनसे यह पूछा जाय कि केपिटल आउटले क्या है? तो उनको पता नहीं होगा। मैं समझता हूं, बजट की टर्मिनोलोजी को मैं भी ज्यादा नहीं समझता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं, लेकिन शायद वे भी इन बातों को नहीं समझते हैं। यह एक दार्शनिक का क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र का उनको तजुर्बा नहीं है। शायद उन्होंने कॉमर्स भी नहीं पढ़ी होगी। उनका क्षेत्र एज्यूकेशन का क्षेत्र रहा है। मैं समझता हूं ये सारी चीजें हैं जो उनके क्षेत्र के बाहर की हैं।

इसके साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से एक बात चाहूंगा कि उन्होंने अभी अभी विनोबाजी के स्वागत के लिए एक अपील निकाली है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, शान्ति सेना के गठन के लिये अपील निकाली है। सन् १६५३–५४ में पुलिस के लिये ३ करोड़ रूपये की धन राशि रखीं थी, उसे बढ़ाते बढ़ाते इस बजट में ४ करोड़ ३० लाख रूपये कर दिये हैं। मैं समझता हूं राजस्थान में यदि कोई निकम्मा और जुल्मी विभाग हो सकता है और राजस्थान की जनता के जानमाल के दुश्मन और लूट मार के साधन डाकू चोर नहीं होते हैं तो ये पुलिस वाले होते हैं। उनको आपने अपने हाथों से ४ करोड़ और ३० लाख रुपये दे दिये (शेम शेम की आवाज) उनको इतने रुपये देते समय क्यों नहीं आपकी कलम टूट गई और क्यों नहीं आपका हाथ रुक गया। आपने ४ करोड़ ३० लाख रूपये उस पुलिस विभाग को दिये जिसके द्वारा राजस्थान के कौने कौने में जनता त्रस्त होती है। मैं आपके सामने किसी विधान सभाई या किसी मिनिस्टर का केस नहीं रख रहा हूँ। मैं उन हजारों लाखों लोगों का केस बता रहा हूँ जो इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। हाल ही का मामला है; एक आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया, उसको रात को १॥ बजे तक बैठाये रखा और फिर उससे कहते हैं कि कल आइये रात को १॥ बजे रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। दूसरे दिन सुबह जब वह जाता है तो मालूम होता है कि दूसरे आदमी की रिपोर्ट ले ली गई। इस तरह से चार चार घंटों तक लोगों को बैठा रख कर परेशान करते हैं। यह साधारण रिपोर्ट की बात रही, लेकिन मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसमें एक आदमी ने शिकायत की कि मेरी बहिन को गुंडे उडा कर ले गये। यह रिपोर्ट वह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से लेकर आई. जी. पी. तक करता है। इतना ही नहीं वहां से जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो वह गृह मंत्री जी के पास दर्ख्वास्त देता है कि इस प्रकार का जुल्म हुआ है, मेरी बहिन को उडाया गया है। और क्या होता है कि उठाकर, उसे ले जाते हैं गुन्डे और आपके जो समाज कल्याण और संस्कार केन्द्र चलते हैं, वहां पर उस नाबालिग लड़की का विवाह जबर्दस्ती करा दिया जाता है, ऐसे आदमी के साथ जिसके पहले से हो ६–६ लड़के मौजूद हैं (शेम शेम की आवाज) वह कोर्ट में बयान देती है कि मैं रजामंद नहीं हूं फिर भी नाबालिग लड़की का विवाह कर दिया जाता है। यह २०–१२–५४ की बात है। नाबालिग लड़की को उड़ाते हैं, उसके माता पिता को पता नहीं चलता, उनको खबर तक नहीं दी जाती, लड़की नाबालिग होने पर भी कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे संस्कार केन्द्र, महिला कल्याणकारी केन्द्र, हटूंडी में उसके साथ शादी करा दी जाती है। मैं चिन्ता नहीं करता इस बात की कि उसकी शादी करा दी, लेकिन आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्यों सोये रहे ? वह आदमी मेरे घर पर आकर रोता था, पुलिस कर्मचारी था और कहता था कि कहां जाऊं कोई नहीं सुनता। आपके गृह मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी. सुनते नहीं हैं, चाहे कोई कितना ही चिल्लावे आप पर असर नहीं होता। मैं एक बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात और बताता हूं। एक आदमी सुबह मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा तुम्हारी शक्ल ऐसी कैसी हो रही है, तुम ३० साल के हो और ५५ साल जैसे लगते हो। वह बेचारा बेहाल था, कहने लगा उम्र तो मेरी ३० साल की ही है, लेकिन ५५ साल का हो गया। मैंने पूछा कि क्या हो गया ? उसने कहा कि मेरी पत्नि को गुंडे उड़ा कर ले गये।

२ म. प.

मैंने पूछा, फिर क्या हुआ ? उसने कहा, रिपोर्ट किसे करें, हुजूर ? सब जगह गये, आई. जी. पी. को कहा, पुलिस कर्मचारियों को कहा, कहीं कोई नहीं सुनता। वह कहने लगा, आप विधान सभा के सदस्य हैं, आप मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, दर्ख्वास्त दे दो, मैं गृह मंत्री को भेज देता हूं। वे कहते हैं कि कोई शिकायत हो तो मुझे भेज दो। लेकिन मैं जानता हूं कि होना जाना कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ दर्ख्वास्तें हैं, बाकी मेरे थैले में रखी हैं। १०–१२ कैसेज हैं पुलिस के, अगर गृह मंत्री जी जांच करना चाहें तो वे कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन मामलों में जांच नहीं होगी। हमारे गृह मंत्री जी को पुलिस विभाग के बारे में कुछ कहना बड़ा अप्रिय लगता है। वे कहेंगे कि पुलिस का ऐसा महकमा है, जिसके लिए कोई बड़ाई नहीं करता। भगवान ने ही इस विभाग को ऐसा पैदा किया है। भगवान ने ऐसा पैदा नहीं किया है बल्कि लोगों ने इसे ऐसा बना रखा है। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस वाले कहते हैं कि 'मे आई हेल्प यू' 'मे आई सर्व यू' लेकिन मदद यह कर सकते हैं कि आप रिपोर्ट करने जाइये, तो आपको बैठा देते हैं जेलखाने के अन्दर और जो मुलजिम होता है, उसको पकड़ते नहीं है। इस प्रकार की पद्धति नेपाल में जरूर है। माननीय उपाध्यक्ष, वहां अगर कोई कम्पलेन्ट करने जाये तो उसको कहा जाता है कि जब तक एक्यूजड नहीं मिले तब तक जेलखाने में रहो। अगर एक्यूजड मिल जाय तो वह जेलखाने में रहे। यह सिस्टम आप अगर राजस्थान में लागू करना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था माननीय गृह मंत्री जी ने अब ४ करोड़ ३० लाख का बजट रखा है, इससे इसकी हालत और नीची हो, ऐसा मैं नहीं समझता हूं।

उनके विभाग के बारे में हाई कोर्ट आन्दोलन के सम्बन्ध में गत सत्र में जिक्र किया था। मैं उसके बारे में फिर से जिक्र करके समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनको वह अप्रिय लगता है, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात की ओर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वह इस विभाग से सम्बन्धित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न उनके सामने रखना चाहता हूं और वह प्रश्न है जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन का। इसकी बार बार मांग होती है और डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला प्रत्येक मनुष्य मांग करता है कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से सेपरेट किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय, मजिस्ट्रेटी को अलग किया जाय और उसे हाई कोर्ट के अन्दर में रखा जाय। माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग नहीं करेंगे। हाई कोर्ट एजिटेशन के सम्बन्ध में जो केसेज़ चले, वे अब खत्म हो गये हैं, इसलिए उनका रेफरेन्स देना सदन की परम्परा के विपरीत नहीं होगा। जितने भी केसेज़ थे, वे सेन्ट पर्सेन्ट एक्विटल हुए हैं। उन्होंने खुद ने क्रिमिनल प्रेक्टिस की है वे बतावें कि कितने पर्सेन्ट एक्विट होते हैं। मैं समझता हूं कि ३० पर्सेन्ट भी एक्विट नहीं होते हैं। लेकिन हाई-कोर्ट एजिटेशन के जितने मुकद्दमे चले, उनमें सेन्ट पर्सेन्ट एक्विटल हुए हैं। जब कि सब काम सेक्रेटेरियट से होता है, सजा क्या हो, यह सेक्रेटेरियट से तय होता है, किसे कितने दिनों के लिए जेल भेजना है, यह तय होता है सेक्रेटेरियट से। लेकिन हाई कोर्ट एजिटेशन में जितने केसेज हुए और जितनी अपीलें हुईं, उनके आधार पर सेन्ट पर्सेन्ट एक्विट हो गये।

Cent percent Ecquittals in the Sessions Cort. यह आपकी जुडिशियरी का हाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यह बात रखता हूं तो शायद माननीय गृह मंत्री जी सोचेंगे कि यह गई बीती बात है, इसको बार बार कहने से क्या फायदा। पुलिस के लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्या सबूत है इस बात का कि पुलिस वाले हस्तक्षेप करते हैं? वे किस प्रकार मजिस्ट्रेट पर किस तरह दबाब डालते हैं, इसके बारे में डॉक्युमेन्ट्री प्रूफ चाहते हैं तो आपका एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर के राजसमन्द इलाके के अन्दर एक एस. पी. के मुकद्दमे का हवाला देना चाहता हूं : Case No. 19 Police Station Amet, under sec. 307 against six accused persons.......

माननीय उपाध्यक्ष, यह ६ मुलज़िमों पर ३०७ का मुकद्दमा था। वे ६ मुलजिम २६–१०–५७ को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये। जमानत देने का मुलज़िमों का अधिकार है, यह कानून में लिखा हुआ है, कोई कृपा उनके ऊपर नहीं है। कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि मुलजिम एक दर्ख्वास्त दे सकता है और मजिस्ट्रेट अगर सफिसियेन्ट समझे, सेटिसफाइड हो, तो जमानत ले सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, मजिस्ट्रेट ने जमानत ले ली, मुलजिमों को जमानत पर छोड़ दिया, तो वहां जो सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस थे, उन सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस के बारे में माननीय गृह मंत्री जी को याद नहीं आये–तो मैं इतना याद दिला दूँ कि डेढ़ साल पहले की घटना है कि आप जिनकी जीप में बैठे जा रहे थे वे ही जीप चला रहे थे। एक एक्सिडेन्ट हुआ और आप ५०–१०० फीट नीचे जाकर पड़े। आप बच गये, लेकिन उन्होंने जुडिशियरी को लाकर उस गड्ढे में गिरा दिया। आप बच गये, यह भगवान का शुक्र है, लेकिन आपने क्या किया? वही एस. पी. जो बिना ऑथोरिटी के ड्राइव कर रहे थे, वही एस. पी. जिन्होंने सरकारी जीप का नाश कर दिया, जिनके कारण लोगों को चोटें आई. उन्ही एस. पी. की मजिस्ट्रेट ने जमानत ली, उसके बारे में एक पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदयपुर को लिखा। वह पत्र मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं : I am

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

enclosing herewith...

श्री उपाध्यक्ष : Wherefrom you are reading this. Is it a certified copy or an original order ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी कहां से आ सकती है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सही कॉपी है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। लेकिन अगर यह गलत हो तो माननीय मंत्रीजी चेलेंज कर सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्य इसे सदन की मेज पर रखना चाहें तो वे रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow that. Documents must be admitted under the principle of Evidence Act.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : But the Hon'ble member has right to...

श्री श्रीभानसिंह : Evidence Act does not apply to this Legislature. I must humbly submit, Sir, that the Evidence Act does not apply to the Legislature.

श्री उपाध्यक्ष : Ordinarily the Rules of debate must be observed ? At least there must be some authenticated copy. Till then I shall feel reluctant to allow it.

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में यह कहीं नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : There must be an authenticated copy...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री भैरोंसिंह : जो माननीय सदस्य इस प्रकार के डॉक्युमेन्ट पेश करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनकी जिम्मेदारी से पेश करने के बाद माननीय मंत्रीजी चेलेंज़ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गलत डॉक्युमेंट को पेश करने के लिए सजा दे सकते हैं। अगर कोई गलत बात न हो, माननीय मंत्रीजी उसे कॉन्ट्रे डिक्ट न कर सकें, तो ऐसी स्थिति में यह मान कर चलना पड़ेगा कि जो डॉक्युमेंट पेश किया जा रहा है वह सही है, वास्तविक स्थिति से दूर नहीं है। जो तथ्य एक डॉक्युमेंट के जरिये पेश कर सकते हैं, उनको पेश करने का अधिकार है। एवीडेन्स एक्ट की पाबन्दी कोर्ट में हो सकती है, लेकिन उसकी पाबन्दी सदन में नहीं की जा सकती। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम हर स्थिति के अन्दर कुछ पैसे स्टाम्प के देकर सर्टिफाइड कॉपी आब्टेन करें, हमारे पास कुछ साधन हैं, जिनसे कापी प्राप्त होती हैं। और उन तथ्यों की सत्यता के बारे में हमें सन्देह नहीं है, उनको सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उनको पेश किये जाने में कोई रुकावट किया जाना सदन की परम्परा के लिए अच्छा नहीं होगा और माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं, उन पर कुठाराघात होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके वक्तव्य हैं, उनको फोलो करना चाहिए इसके लिए आप प्रकाश डाल सकते हैं Under what rules we can produce this, which has neither authenticity nor any reliability as to the correctness of the document?

श्री भैरोंसिंह : T document is anthenticated by the Hon'ble member himself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष....

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Let the Hon'ble member sign the document so as to authenticate it.

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर्स भी रेस्पोन्सिबल हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरी बात मैं निवेदन कर दूँ कि मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न राज्य सरकार को भेजा था। उस प्रश्न में जो ओरीजिनल लैटर लिखा गया था, उसको डिमान्ड किया है। मैंने प्रश्न शाखा में जाकर जानकारी चाही कि उसका क्या हुआ, ओरीजिनल कॉपी लेटर की आई या नहीं तो ज्ञात हुआ कि रिमाइन्डर्स भेजे गये हैं, लेकिन गवर्नमेंट भेजती नहीं। मेरे पास कौन सा जरिया हो सकता है कि मैं विधान सभा के सामने, सदन के सामने सारी चीजों को लाकर रख दूँ। मैं प्रश्न के रूप में रखता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : Let me see whether the original is coming in or not?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : I want to submit Sir, that I have not been able to follow the ruling of the Chair. Under what procedure, the Chair is preventing the Hon'ble member from putting the document on the table of the House? So far as the Rules of procedure is concerned, it is laid down therein—

'A paper or document laid on the table shall be duly authenticated by the member presenting it', We are not concerned whether it is authenticated by the Collector or Magistrate, or by any other officer outside the Legislature. If the Hon'ble member takes the responsiblity of the document, it is the responsibility of the Hon'ble member for the originality of the document.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, अगर ओरीजिनल लेटर गवर्नमेंट प्रोड्यूस न करे तो मेरा राइट है कि दूसरे रूप में मैं पेश कर सकता हूं

श्री उपाध्यक्ष : I may invite your attention to......

श्री श्रीभानसिंह : I would like to say one thing more. The Chair may not take an offence, but I would humbly submit that there is no objection taken by any Hon'ble member of the Treasury Benches and this objection is direct from the Chair, that looks awkward for the Hon'ble members to discuss things with the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूं कि जो डॉक्यूमेंट सदन की मेज पर रखने के सम्बन्ध में जो एक सर्क्युलर यहां से निकला

(श्री उपाध्यक्ष)

है, और यह लोक सभा के सर्क्युलर पर आधारित है, उसके अनुसार इस आसन से कन्सेन्ट लेना आवश्यक है। Let him first seek permission to submit the document from the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं क्वार्ट करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। इसको पढ़ने के बाद यदि मन्त्री महोदय यह कहें कि यह गलत है, तो वे असली कॉपी ला कर यहां पेश कर सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : इस डॉक्युमेंट के बारे में चेयर से तो इजाज़त लेनी चाहिये थी। The Hon'ble Minister must have a chance to controvert it. So you have not sought any permission from the Chair.

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य तो क्वार्ट ही कर रहे हैं, टेबिल पर रखने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री उपाध्यक्ष : जो सर्क्युलर २५ फरवरी १९५८ को निकला है, मैंने उसकी ओर संकेत किया है।

श्री श्रीभानसिंह : This is regarding placing of document on the table of the House. The Hon.ble member has a right to quote extracts from certain paper etc. He can give quotations from anywher.

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर श्रीभानसिंह, इस प्रश्न की ओर भी तो ध्यान दीजिये कि आप तो क्वोट कर देते है, उस डॉक्युमेंट को but whether thereby you are giving a chance to the Hon'ble Minister to controvert it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I can put it by a challenge.

श्री उपाध्यक्ष : Then the Hon'ble member of the other side could have also said something.

श्री श्रीभानसिंह : May I submit, Sir, that I have every right to quote things from a paper or a book. Then the Chair will be demanding a copy of the book which is beyond my means.

श्री उपाध्यक्ष : Are you taking the responsibility upon you ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : He is taking the responsibility.

श्री उपाध्यक्ष : And you are placing it on the table of the House after having signed it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am quoting this particular document and if the Chair wants it, then I can place it on the table of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I would like that it should be placed on the table of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : All right.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Copy of D. O. No. 58861 dated 17th Jany. 1958 from the Supdt. of Police Udaipur to the Collector, Udaipur.

उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र लिखा है एस. पी. ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदयपुर को और उसमें लिखा है :

"I am enclosing herewith a report from the P. S. I. Rajnagar pertaining to the action of S. D. M. Rajnagar.

It will be clear from the report that the action of the S. D. M. was highly undesirable and subversive to the maintenance of law and order. As such it is requested that necessary action be taken in the matter under intimation to me so as to prevent such reoccurrance of any such incidences."

श्री भैरोंसिंह : Shame.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस जमानत के बारे में मैंने जिक्र किया था, २६–१०–५७ को एस. डी. एम. ने ले ली। एस. पी. उदयपुर ने लिखा, शायद इस पत्र की भाषा है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूं जूडिशियरी के साथ इन्टरफीयर्स है और कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है कि किस तरह राजस्थान सरकार की पुलिस के अधिकारी जूडिशियरी के साथ इन्टरफीयरेंस करते हैं, उनका यह एक्शन सब्वरसिव है और अनडिज़ायरेबल भी है। पर बजाय उस एस.पी.के खिलाफ एक्शन लेने के, वह कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है, इसके लिये बजाय उसके खिलाफ एक्शन लेने के, जमानत लेना न लेना, जमानत की दरख्वास्त मंजूर करना, वह जूडिशियरी का काम है। पर कलेक्टर उदयपुर भी उनके हाथों में खेलता है और एस. डी. एम. राजनगर को लिखता है :

"I am sending herewith a copy of the report recieved from the Superintendent of Police, Udaipur. Will you please send your remarks within three days positively on receipt of this letter ?"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुमान लगाइये कि हमारे कलेक्टर के बजाय एस. पी. के खिलाफ एक्शन लेने के एस. डी. एम. का एक्स्प्लेनेशन लेते हैं कि तीन दिन के अन्दर अन्दर जवाब भेजो कि कैसे यह एक्शन लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष, आज सदन सुप्रीम ऑथोरिटी है, सदन इसकी कॉग्निजेंस ले और........

श्री उपाध्यक्ष : How can you press the point now ? Is it a contempt of the House or the Court ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Court.

श्री उपाध्यक्ष : Then let the High Court of Judicature take cognizance of it. We cannot take even a note of it.

श्री पी. के. चौधरी : But the House can take cognizance of the Supdt. of Police.

श्री उपाध्यक्ष : This is a separate issue. This is not within the competence of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जुडिशियरी के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, और जो हमारे आधार स्तम्भ कहे जाते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, खिलवाड़ होता है। हाउस अगर कॉग्निजेंस न ले तो मैं गृह मंत्रीजी से रेफेरेंस हाउस में चाहूंगा कि वे इस मामले को हाई कोर्ट में मूव करें, गृह मंत्रीजी कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सकता कि गृह मंत्रीजी कहां तक यह करेंगे। आज राजस्थान के अन्दर अगर इस प्रकार से जुडिशियरी की हालत रही तो लोगों को कहां न्याय मिलेगा, लोगों की जिंदगी कहां सुरक्षित रहेगी? राजस्थान में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सैपरेट करने के बारे में मैं समझता हूं राजस्थान के गृह मंत्री खड़े होंगे और कहेंगे कि हमने कमिटी मुकर्रर कर दी है। 'बापना कमिटी' एग्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन के लिये मुकर्रर की। डेढ़ साल हुआ इसको मुकर्रर हुए, भगवान जाने कब वह रिपोर्ट आयेगी, मेम्बर्स के पास सक्युलेशन में वह रिपोर्ट है, फिर राजस्थान सरकार विचार करेगी और मेरे दिल में आशंका है कि राजस्थान सरकार उसे सालों तक स्वीकार नहीं करेगी। आपने यह गड्ढे में क्यों पटका, मद्रास में जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव सेपरेट है, केरल में सेपरेट है, बम्बई में एग्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी सेपरेट हैं, पंजाब में सेपरेट है और उत्तर प्रदेश में दोनों को सेपरेट कर रखा है, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं इन दोनों को आज तक सेपरेट किया गया? राजस्थान में गृह मंत्रीजी खड़े होंगे और उनके दिमाग में एक उदाहरण है ३६ मजिस्ट्रेटों को मुंशिफ की पॉवर दे रखी हैं। इतना बड़ा पॉवर, वे कहेंगे कि हमने ३६ मजिस्ट्रेटों को मुंशिफ के पॉवर दे रखे हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि मजिस्ट्रेट को मुंशिफ के पॉवर, पर सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कलेक्टरों और अधिकारियों ने 'इन राइटिंग' पुलिस को अधिकार दे रखे हैं, इन्स्ट्रक्शन्स दे रखी हैं कि दोनों के कंकरेंट पॉवर हैं, इस लिये एस. डी. एम. के यहां चालान पेश किये जायं। आप तमाशा करते हैं, ढोंग करते हैं, जुडिशियरी का, मुंशिफ को मजिस्ट्रेट के पॉवर देते हैं और सर्क्युलर्स इश्यु करते हैं कि दोनों के कॉन्करेंट पॉवर है, इसलिये एस. डी. एम. के यहां चालान पेश किये जायं। इस प्रकार के पॉवर्स देने से लाभ क्या है, इस प्रकार के पॉवर्स देने से क्या होगा? आज राजस्थान की जनता बाकी सब बातों को छोड़ कर सबसे पहले यह चाहती है कि लोगों को सुरक्षा और न्याय मिले। पर आज जनता का एग्ज़ीक्युटिव में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा।

मैं अब ज्यादा न कह कर शिक्षा के बारे में कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। राजस्थान में हमारी राजस्थान सरकार ने साहित्य अकेडेमी बनाई है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मावली से आने वाले माननीय सदस्य नाराज़ होंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): बिलकुल नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं ललित कला अकेडेमी के बारे में कह देना चाहता हूं। संगीत अकेडेमी, नाट्य यानी ललित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कला अकेडेमी और साहित्य अकेडेमी राजस्थान सरकार के ये तीन बेटियां जन्मी । ५७ में ललित कला अकेडेमी के सेक्रेटरी के लिये मांग निकाली गई, २१ दरख्वास्तें आई । पी. जी. मेहता हैं, मिस्टर तोलानी गये, गिप्सन आये और चले गये । माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की सरकार को एक ललित कला अकेडेमी का सेक्रेटरी करके अपने एक आदमी को लेना था, चाहे वह क्वालिफाइड न भी हों, देखा मौका मिल जायगा तो उनका अपॉइन्टमेंट कर देंगे । पर २१ में से कुछ लोग उनके पीछे लगे रहे और उनका मौका नहीं आया, तो राजस्थान सरकार ने सोचा कि ललित कला अकेडेमी में उनका हिसाब बैठता नहीं, चलो संगीत अकेडेमी में लगा दें, हालां कि वे संगीत नहीं जानते, साहित्य संगीत कला सब बराबर हैं आपके लिये । माननीय उपाध्यक्ष, उनको संगीत अकेडेमी में भेज दिया ।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन श्रीमानजी का शुभ नाम श्री कमल कोठारी है उनको सेक्रेटरी संगीत नाटक अकेडेमी अपोइन्ट कर दिया । वे जुलाई के महीने में चार्ज लेते हैं, अपॉइन्टमेन्ट टेम्प्रेरी हो जाता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस दिन उनका अपॉइन्टमेंट सेक्रेटरी, संगीत नाटक अकेडेमी में होता है टेम्प्रेरी बेसिस पर, उससे चार महीने पहिले की तनख्वाह वे उठाते हैं, ट्रेजरी में बिल जाता है, पेमेन्ट होता है और बाद तक की तनख्वाह वे लेते हैं । माननीय मन्त्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि उस सेक्रेटरी की पोस्ट पर जितने बिल बने हैं, ट्रेजरी से पेमेन्ट हुआ है, जुलाई के महीने तक के शंभूलालजी शर्मा के बिल बने हैं, उनके बिल मौजूद हैं, जुलाई महीने तक शंभूलालजी शर्मा, डिप्टी डाइरेक्टर तनख्वाह लेते हैं, उसी पोस्ट पर और साइमल्टेनियसली कमल कोठारी चार महीने पहले से बिल बना कर तनख्वाह उठाते हैं, विद् रिटोस्पेक्टिव इफेक्ट से । यहीं तक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो मैं छोड़ देता । संगीत नाटक अकेडेमी के फर्स्ट सेक्रेटरी हुए. उनको राजस्थान सरकार ने टेम्प्रेरी बेसिस पर दो साल के लिए नियुक्त किया । उन्होंने खुद ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया, "The First Secretary shall be the permanent Secretary."

'फर्स्ट सेक्रेटरी' को 'पर्मानेन्ट सेक्रेटरी' बना दिया । यहां तक घोटाला है शिक्षा विभाग में, प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर और सेकेन्डरी लेवल पर । अब युनिवर्सिटी लेवल पर क्या होता है, वह मैं रखना चाहूंगा । यूनिवर्सिटी से हमारे यहां डिग्रियां मिलती हैं और वह डिग्री हमारे यहां पर राजस्थान की युनिवर्सिटी ने ऐसे महोदय को दी है जो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार युनिवर्सिटी की डिग्री के लिए भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन इसलिए क्वालिफाइड हैं कि वे भारत सेवक समाज के संगठन मन्त्री हैं, इसलिए क्वालिफाइड हैं कि वे मन्त्रीजी के बच्चों को पढ़ा देते है । उनका नाम है मंडनजी मिश्र मदनलालजी शर्मा । पी० एच० डी० की डिग्री दी गई उनको । डिग्री के लिए फॉर्म में लिखा है :

"A candidate for the degree of

Page No 70

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Ph. D. must be an M. A., M. Sc., M. Com., M. Ed. or M. Pharm. of an approved University of two years standing at the time of conferment upon him of the Ph. D. Degree. The Master's degree should have been taken after taking the bachelor's degree with full course prescribed for the degree".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम० ए०, एम० एस० सी०, एम० सी०, एम० डी० या एम० एफ० हो तो कोई बात होती, दो साल कॉलेज में पढ़ कर कोई डिग्री ली हुई बात होती तो पी० एच० डी० की डिग्री मिलती, लेकिन हमने सोचा था कि कम से कम ग्रेजुएट तो होंगे, एम० ए० नहीं, बी० ए० नहीं, एम० एस० सी०, बी० एस० सी० बी० एस० सी० नहीं, बी० कॉम नहीं, न ही इन्टर नाम की चीज़ है। जो आदमी मिडिल पास हो, उसको यूनिवर्सिटी पी० एच० डी० की डिग्री देती है, कोई एच० बी० की डिग्री देते, क्या तमाशा है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर क्या नियन्त्रण है?

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : यह डिग्री युनिवर्सिटी ने दी है सरकार ने नहीं। न ही सरकार ने युनिवर्सिटी से कहा कि उनको डिग्री दी जाय। युनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, उसके सामने जो ठीक जंचा किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सरकार द्वारा जनता का पैसा दिया जाता है, खून पसीना एक होता है जब पैसा आता है जनता के पास।

श्री नाथूराम मिर्धा : भारत सरकार भी देती है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज़।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने पानरवा का जिक्र थोड़े ही किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भी जबाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि क्या शिक्षा, क्या पुलिस विभाग और विभाग........

श्री उपाध्यक्ष : अधिक न निवेदन करें तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई भी ऐसा महकमा नहीं बचता है कि जिस महकमे की यह हालत न हो और फिर ये आंकड़े प्रस्तुत करना और इस बचत का बजट माननीय वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत करना, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह राजस्थान की जनता को धोखे में रखने के सिवाय कुछ नहीं है। अगले वर्ष कह दिया जायगा कि जिसको बचत का कहा जा रहा था वह घाटे का बजट हो गया, कहीं पांच लाख बाईजीलाल की शादी मे दे दिये, कहीं क्या दे दिया। इस तरह से लेन देन नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सन् ५९-६० का जो बजट हमारे सामने रखा है,

Page No 71

(श्री जनार्दनराय नागर)

कुल मिला कर उनको उसके लिए अभिनन्दन देना चाहता हूँ। यह बजट, मेरी ऐसी मान्यता है, निश्चित पकड़ का और संकल्प का बजट है। हम ऐसी स्थिति पर आगये हैं कि जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे साल में प्रविष्ट होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन साल की समाप्ति निकट है और अगले दो कठिन वर्ष प्रारम्भ होने वाले हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जब पहला वर्ष शुरु हुआ तब राजस्थान के विकास सम्बन्धी काफी समस्यायें थीं, अर्थ सम्बन्धी काफी कठिनाइयां थीं और नये रास्ते के उद्भाव के मामले में विचारशील थे। इस बजट को प्रस्तुत करते समय काफी उस दिशा में मार्ग प्रशस्त हो गया है। मैं यह कह सकता हूं कि वित्त मंत्री महोदय और उनके सहयोगियों ने बजट को तैयार करने में राजस्थान की सारी आर्थिक स्थिति का सभी दृष्टिकोणों से पूरा ध्यान रखा है। जब बड़ा राजस्थान बना तब आर्थिक दृष्टि से घाटे का राजस्थान था। हम सब जानते हैं कि राजस्थान के निर्माण के प्रारम्भिक कुछ वर्ष चिन्ता के विषय बने हुए थे। अब जब कि इस बजट पर बहस करने को खडे हैं, तब आर्थिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय का और उनके सहयोगियों का खासा अच्छा वश है। इस राज्य पर ७७ करोड़ का कर्जा है और समाज के पेरासाइट्स हैं, उनको काफी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन जहां तक नये रास्ते का सवाल है, विकास की मद में खर्चा करने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का यह बजट राजस्थान के विकास का द्योतक है, उसको बढ़ाने वाला है। कभी कभी यह कहा जाता है उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य की आर्थिक योजनाओं में समन्वय नहीं है, खिच पड़ी हुई है। पहले आर्थिक संकट था, खिच थी। मैं समझता हूँ कि यह कम कौशल, साहस और बुद्धिमता की बात नहीं है कि धीरे २ अधिक बोझा न डाल कर नवीन स्त्रोतों का उद्भव करके राज्य सरकार द्वारा एक ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न की जाय जिसको निरन्तर बढ़ाने में सहयोग मिलता रहे। इस प्रकार के प्रावधान से यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार ने काफी मार्ग साफ कर लिया है। यहा पर यह कहा गया कि ५८ लाख के नये करों का और भार डाला गया है। जनतन्त्रीय प्रणाली में करों से मुह मोड़ना ही एक अप्रगतिशीलता है। जो राज्य व्यापक है, जन शक्ति का विकास करना चाहता है, साहस और वेग से बढ़ने का प्रयत्न करता है, यदि वह कर न लगायेगा तो नये मार्ग मे बढ़ना उसके लिए संभव नही है। जब मुझे यह कहा जाता है कि गरीब लोगों पर इनका भार पड़ेगा और उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो टैक्स नही दे पायेंगे, तो मुझे हसी आती है। यह निश्चित बात है कि जिन लोगों ने निरन्तर धन एकत्रित किया है जो काफी मुनाफा कमाते हैं, उनको समाज के विकास के लिये काफी देना पड़ेगा और यह देन टैक्स के रूप में देना होगा।

जनता द्वारा जब यह मांग आती है कि हमारे यहां सडकों की कमी है बड़े बड़े बांध बनाये जाय, चिकित्सा की सुविधा दी जाय, ये मागें बिना कर, लगाये कैसे पूरी हो सकती हैं। ५८ लाख रुपये के नये कर जो प्रस्तावित किये गये हैं, उनमें सब से बडी मद है मोटर बसेज के किराये पर टैक्स लगाने की। आज-कल यात्रा करने की काफी प्रवृत्ति हमारे यहां चल पड़ी है। मोटर का व्यवसाय काफी मुनाफे का व्यवसाय बन चुका है। यह उससे

(श्री जनार्दनराय नागर)

पता चलता है कि जब बसेज की पर्मिट के लिये जो रस्साकसी देखने को मिलती है, उन तमाम बातों से एक बात की ओर इशारा मिलता है, यह वास्तव में मुनाफे का सौदा है। अगर इस तरह से जो मुनाफे का सौदा है, उससे यदि हम कुछ टैक्स वसूल करके विकास के कार्य के अन्दर लगाते हैं तो इसको भी अनुचित नहीं कहा जा सकता।

सिंचाई की दरों का एकीकरण करके जो रेटस मुकर्रर की गई हैं, मैं समझता हूँ वह सही दिशा के अन्दर कदम है। जहां तक राजस्थान में लगान की दरों का सम्बन्ध है उसको भी हमें बढ़ाना होगा। इस प्रकार सिंचाई की वजह से भूमि का विकास होता है, उसमें मैं समझता हूँ, अगर सिंचाई की दर वसूल करके राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाते हैं तो दूसरे कार्यों को देखते हुए यह समीचीन बात होगी।

अब हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हमें इस योजना के सफलतापूर्वक समाप्ति के लिये विशेष ध्यान देना होगा, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह देखना होगा। अगर हम टैक्स नहीं लगाते हैं और अल्प बचत योजनाओं से धन इकट्ठा नहीं करते हैं और हमारी श्रमदान की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो ११ करोड़ की जो देन है, उस कमी को हम कैसे पूरी कर सकेंगे, वह नहीं दे पायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं टैक्सों की जो रचना की गई है, वह ऐसी है कि उसका आम जनता पर प्रभाव नहीं पडेगा। जो देने की क्षमता रखते हैं, उनको देना चाहिये और उन्हीं पर टैक्स लगाया गया है, इसलिये मैं मानता हूँ कि यह बजट निश्चित रुप से लोक कल्याणकारी राज्य का बजट है। इसमें आप देखेंगे कि कृषि, चिकित्सा और शिक्षा पर काफ़ी खर्च का प्रावधान किया गया है। आज सुबह ही मैं हिन्दुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था उसमें बजट की आलोचना करते हुए नोट लिखा गया था। उसमें कहा गया है कि इस बजट में चिकित्सा, कृषि और शिक्षा के लिये काफ़ी मद रखी गई है। राजस्थान में जो आज धीरे धीरे कृषि में प्रगति हुई है, उसको और आगे बढ़ाने के लिये बजट में काफी गुंजाइश है। हम यह देख रहे हैं कि इस बजट के अन्दर समाजवादी समाज की रचना की ओर निश्चित रुप से बढ़ने का प्रयास है। अब तक जो भी बजट आये, उनमें इस समाजवादी स्थिति को बनाने का प्रयास था और इस बजट को हम यह मानकर चल सकते हैं समाजवादी समाज की रचना का प्रारम्भ इस बजट के ज़रिये करना चाहते हैं।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे समय में एक तरफ तो सहकारिता के आधार पर खेती करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है और भूमि की ऊपज को भी बढ़ाना है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आम जनता को रिलीफ़ देना है, तो हमें जिन प्रयत्नों की ओर इस बजट में इशारा किया गया है, उनका स्वागत करना चाहिये। यह ठीक है कि कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर आलोचना की जा सकती है, किन्तु जहां तक इस बजट का प्रश्न है, इसमें जो राजस्थान व्यापी खाका खींचा गया, मैं समझता हूँ उसका प्रावधान इस बजट में बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया है। कुछ नये काम भी अत्यंत आवश्यक हैं, जैसे सब से बड़ा काम राजस्थान नहर का है। इसके लिये

(श्री जनार्दनराय नागर)

दस करोड़ की व्यवस्था की गई है, यह एक प्रकार से शुभ कार्य है। राजस्थान व्यापी बड़े बड़े जो काम हैं, वे ठीक तरह से विकसित हों, उसका बीजारोपण इस राजस्थान केनाल द्वारा किया गया है। जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर आज भी बहुत काम की गुंजाइश है। बडे दुःख के साथ कहना पडता है, इसका जो फ्रेम वर्क है, वह सन्तुलित नहीं है। मैं यह मानता हूं कि नॉन-ब्लॉक जो एरिया है, उनमें जो जनता की मांग है, उनको पूरा करते के लिये बहुत कम प्रावधान है। सदन के जो माननीय सदस्य है विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं, उनका फर्ज है कि वे जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर उन क्षैत्रों की जनता की जो जो मांगे हैं, महत्वपूर्ण मांगे हैं, उनके लिये उनको पूरा करने के लिये निश्चित प्रावधान रखवाने के लिये कहना चाहिये। आज अस्पताल और स्कूल्स के लिये जनता व्यापक रुप से श्रमदान दे रही है। आज गांव की जनता श्रमदान देने के लिये तैयार है, किन्तु जब वह राजकीय बजट को उसकी मदद के लिये देखती है तो उनको निराशा का सामना करना पडता है। इस तरह से राजस्थान का जो व्यापक चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर बात की जानी चाहिये उसकी गुंजाइश बहुत कम है। जहां ब्लॉक एरिया के अन्दर कुछ न कुछ काम होते रहते हैं, गैर ब्लॉक एरिया का जहां तक सवाल है, जनता की मांगों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मैंने इन बातों को रखा था कि तीन स्तर पर हमारा ढांचा होना चाहिये और तीनों का समन्वय होना चाहिये। मैं समझता हूँ बजट में भी उसका समन्वय होना आवश्यक है। वह समन्वय नहीं हो सका, यह दुःख की बात है।

राजस्थान व्यापी बड़े बड़े कार्यों को भी रखा गया। उन कार्यों के लिये निरन्तर रूप से खर्च करने और विकास की क्षमता बजट के जरिये निरन्तर बढ़ती हुई दिखाई गई है, यह शुभ चिन्ह हैं। मैं उन छोटी मोटी बातों में पड़ना नहीं चाहता जो कुछ माननीय सदस्यों ने बतायी है। छोटी मोटी बातों को बता कर यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि इसका कोई महत्व नहीं है। जब किसी राज्य का बजट रखा जाता है, तो उस राज्य की छोटी मोटी कमजोरियों को और गड़बड़ियों को बताकर नुक्ताचीनी करना, उनका दृष्टिकोण यह साबित करता है कि बजट की जो आधारभूत समस्यायें है,या तो उसको समझना नहीं चाहते या समझ कर भी नजर अन्दाज करना चाहते हैं। जो एक अच्छी चीज है, ठोस चीज है, उसके लिये छोटी मोटी बात करके यह बताना, जैसी कि एक कोई चीज है, जो सोने की बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है, उस पर छोटा मोटा धब्बा लगाकर बदसूरत करने का प्रयास है। यह एक प्रकार का विरोधी टैक्निक है। उसको देखते हुए हम समझ सकते हैं इस टैक्निक के अन्दर खोखलापन है, जड़ नहीं है।

आज यह कहा जाता है कि बजट का जहां तक सवाल है, इसमें विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं ऐसा कहना मानसिक ईमानदारी की बात नहीं होगी। आज हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में चल रहे हैं। आज हमारे परिश्रम और कसौटी का सवाल है। आगे के दो साल

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं दूसरी पंच वर्षीय योजना के उसकी सफलता में हमें लग जाना चाहिये। जगह जगह विकास कार्यों का शिलान्यास होता है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि इस महान राज्य के लिये जो खर्च करने जा रहे हैं, उससे भी अधिक हमें अपनी शक्ति और श्रम इस पंच वर्षीय योजना को आगे ले जाने में लगाना पड़ेगा।

इसमें जो स्टेट ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया है उसकी रकम कम है। ८ लाख की छोटी सी रकम से राजकीय थोक व्यापार का आयोजन पूरा नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम कि यह टोकन ग्रान्ट है या सारी योजना के लिये रकम है। राजकीय थोक व्यापार को मैं बहुत जरूरी मानता हूँ। जब हम कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और पंचायतों और जिला परिषदों को हम सत्ता विकेन्द्रित करने जा रहे हैं, तो हमें थोक व्यापार को भी हाथ में लेना जरूरी है, नहीं तो हम इन सब बातों में समन्वय नहीं कर पावेंगे।

दूसरी ओर प्रशासन के खर्चे के बारे में काफी कहा गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि इसमें कमी की जावे तो अच्छा है। पर इसमें भी दो बातें हैं। विकास के कार्यों के लिये अगर प्रशासन में व्यक्तियों को बढ़ाया गया हो और इसमें खर्चा ज्यादा होता हो, तो इस दृष्टि से अगर थोड़ा खर्चा बढ़ता है, तो बढ़ना चाहिये। कुल मिलाकर खर्चा बढ़ रहा है, इसका अर्थ मेरे सामने नहीं है। विकास के लिये खर्चा अगर बढ़ता है, तो शिकायत नहीं होनी चाहिये। पर इसके अलावा अगर सामान्य प्रशासन में बढ़ता है, तो इसको रोकना आवश्यक है। रूटीन प्रोसीज़रल प्रशासनिक प्रबन्ध में खर्चा नहीं बढ़ने देना चाहिये। पर इसमें भी एक बात है, यह तभी हो सकेगा अच्छी तरह से तो जब कि हम एक सत्य का सामना करने को तैयार हों। राजस्थान में जिलों और तहसीलों की संख्या अधिक है, ये कम होनी चाहियें। वैज्ञानिक आधार पर इनका पुनर्गठन होना चाहिये। १६।१७ जिले रख सकते हैं. पर हम आज इसके लिये तैयार नहीं हैं। पर अगर तैयार होते हैं तो खर्चा कम हो सकेगा। अब हम केवल अफसरों की तनख्वाहों पर ही कहते रहें, तो मैं समझता हूं यह ऐसा है कि जो अर्थतन्त्र है, उसकी बारीकियों को नहीं समझना होगा। अगर प्रशासन का यह खर्चा कम करना है तो जिलों का अनिवार्य रूपेण पुनर्गठन करना होगा। तहसीलों का भी इसी तरह पुनर्गठन करना होगा। इनको अलग अलग वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक घटक बना दें और जिलों को बारह तेरह लाख का भाग कर घटा दें तो एक करोड़ रुपया प्रशासन के मद में सुविधा से हम कम कर सकते हैं।

पुलिस के लिये कहा गया कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार, जुल्म और ज्यादतियां हैं। हाईकोर्ट आन्दोलन की बातें भी सारी कही गई। मैं मानता हूं ऐसे अवसरों पर दो चार पांच घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, पर इनको लेकर ही हम कोई व्यापक परिणाम निकालें, तो यह एक आंख से दुनिया को देखने जैसा है, दो से नहीं। पुलिस में आज कुछ रहा ही नहीं, पुलिस की तो आज आवश्यकता ही नहीं रहनी चाहिये, एक ने तो यहां तक कहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बचकानी सी ये बातें हैं। पुलिस की आज और अधिक जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के पहले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से ज्यादा अच्छी हालत में आज की पुलिस है। सुधरने का प्रयत्न वह कर रही है। आज उसके जिम्मे सिविल रक्षा का ही काम नहीं है, बल्कि बोर्डर की रक्षा का भी जिम्मा है। पुलिस ने आज सुन्दर तरीके से लॉ और ऑर्डर को निभाया है। हम तो यहां बैठ कर उसकी आलोचना करते हैं और वह अपने कर्त्तव्यों के लिये जान देती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो चार छोटी मोटी बातों को लेकर पुलिस के सारे साहस और कर्त्तव्य पालन पर पानी फेरना चाहें, तो यह उनके प्रति हम न्याय नहीं करेंगे। इन दोचार बातों से ही हम किसी इस तरह के निर्णय पर पहुँचे तो यह हमारी बुद्धि की बलिहारी है। तथ्यों की परिमिति न हो, तो परिणाम यह होगा कि जिसको हम सुधारना चाहते हैं, अच्छे परिणाम लाना चाहते हैं, उसको आप किसी काम का नहीं रखेंगे, उल्टा परिणाम आवेगा। राजस्थान बनने के बाद, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कुल मिलाकर राजस्थान के विभागों में तरक्की हुई है। यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि कि इस कहने में मुझे कोई सुख मिलता है, पर माससिक ईमानदारी का यह तकाज़ा है कि जिसको मैं सच समझता हूँ, उसको कहूं। इसकी एक ही कसौटी रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हमने दूसरी योजना शुरू की, तो विकास की हमारी क्षमता चार पांच करोड़ रुपया। पर आज हमारी क्षमता कम से कम १८।१९ करोड़ रुपया की है। तो इन विभागों के बारे में यह कहना कि इनमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, इनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, अन्याय होता है, यह तथ्यों को पूरे रूप में देखना नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ नगर सु०) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने ५९-६० का बजट प्रस्तुत किया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जब हमने उसके आंकड़े सुने, तो उस समय जिस तरह सावण भादों के बादल मंडराते हैं, उस तरह से हमारे दिलों में सनसनी, गुदगुदाहट फैलती नज़र आई।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने बजट के आंकड़ों पर प्रकाश डाला। मैं वैसे ही उदयपुर डिविजन के शिड्यूल एरिया के विषय में अर्ज करना चाहता हूँ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा को शिड्यूल एरिया घोषित कर दिया जब कि उदयपुर जिले में १८ तहसीलें हैं और उनमें महाराणा प्रताप की वीर भूमि के उन मगरियों पर रहने वाले आदिवासी और गिरासिया और शिड्यूल कास्ट के नाना प्रकार के जाति के लोगों को, गरीब लोगों को जो वहां बस गये हैं, न जिनके तन पर कपड़ा है, न खाने को अन्न है, पहाड़ियों पर छोटी मोटी खेतियों पर जीवन यापन करने वाले हैं; उनको शिड्यूल एरिया घोषित नहीं किया गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले को शिड्यूल एरिया घोषित नहीं करना वहां की जनता के साथ अन्याय है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में काफी रुपया पहले भी दिया गया; अब भी दिया जा रहा है, पर उदयपुर जिले के लिये कम रुपया रखना...

श्री होतीलाल (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह शिड्यूल कास्ट क्या होती है ! क्या

Page No 76

(श्री होतीलाल)

उदयपुर डिविज़न में सारे लोग शिड्यूल कास्ट में शामिल कर लिये जावें, ऐसी मंशा है क्या माननीय सदस्य की ?

श्री उपाध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। आप माननीय सदस्य को खूब समझ रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : शिड्यूल एरिया घोषित किये जाने के विषय में कह रहा था। माननीय सदस्य तो मेरे भाषण की बिना पर ही ऐतराज़ कर रहे हैं। इस लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सफाई दे दूं। उदयपुर जिले को शिड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं किया। हम राजस्थान सरकार के जरिये जो पैसा भारत सरकार से मांगते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो सफाई के लिए नहीं कहा है, आप आरम्भ रखिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं आपका ध्यान आदिवासियों की तरफ दिला रहा था। हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वह समाज कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं, तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के भाषण की तरफ सदन का ध्यान दिला रहा था कि उदयपुर जिले को शिड्युल्ड एरिया घोषित नहीं किया। मैं सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि आप उदयपुर जिले को शिड्युल्ड एरिया घोषित करिये।

(हंसी)

हमारे क्षेत्र के आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बड़ी बड़ी योजनायें हैं। मैं आपको उदयपुर जिले के अन्तर्गत मावली वल्लभ-नगर के वरगाम बांध के बनाने की योजना शुमार है, उस योजना के अन्दर बताऊं कि वहां १८ ग्राम आते हैं और यदि उन ग्रामों की कीमत आंकी जाये तो १॥ करोड़ रुपये की तो जमीन होती है और ५ करोड़ रुपये के कुए होते हैं। एक तरफ तो हमारे सामने सदन में आवाज आती है परिवार-नियोजन की

(हंसी)

कि आदमी, बच्चे, लड़के और लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई।

(हंसी)

एक तरफ हम फूलसागर, वल्लभनगर, और लसाड़िया से बीस हजार मन अनाज पैदा करके देते हैं, तो फिर हमारे पड़ोसी क्षेत्र से चुनकर आने वाले भाई यह कहते हैं कि तहसीलों का पुनर्गठन किया जाये।

(हंसी)

समझ में नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पुनर्गठन की क्या बीमारी है।

(हंसी)

हम राजस्थान के अन्दर सुख शान्ति का दिन देखना चाहते हैं, तो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि पुनर्गठन कर दिया जाये, जिलों को तोड़ दिया जाये, तहसीलों को तोड़ दिया जाये। आज हमारे ग्रामों में बसने वाली जनता ने हमें इसलिए चुनकर नहीं भेजा है कि हम उनका अहित कर दें। उन्होंने तो हमें यहां अच्छे कानून बनाने के लिए भेजा है।

(हंसी)

(श्री हरिप्रसाद यादव)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर हमारे मावली क्षेत्र के आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ५७ करोड़ रुपये का कर क्यों लगाया जाये ? तो एक तरफ एक कमेटी का मैं सदस्य हूं और रात को भी मैंने अपने एक भाषण में यह कहा कि........

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कुछ बाहर भाषण दिया है, उसका यहां विश्लेषण नहीं किया जाये।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोशियल वैलफेयर बोर्ड की जो कमेटी बनी हुई है, जिसके हमारे वित्त मन्त्री महोदय अध्यक्ष हैं, तो उस मीटिंग में मैंने कहा,

(हंसी)

उसके लिए मैं कह रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि ५८ लाख रूपये का कर पूंजीपतियों पर लगाया जाये। एक तरफ तो हमने इस सदन में समाजवादी शासन कायम करने का प्रस्ताव रखा और उसका समर्थन भी किया और दूसरी तरफ हम पूंजीवादी शासन राजस्थान की जनता पर थोपना चाहते हैं। हमारी राजस्थान की भोली जनता के ऊपर यह कर हमारी सरकार लगाना चाहती है। तो मावली क्षेत्र से आने वाले भाई जो दावा करते हैं, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तरफ मोटरों के पर्मिटों को ही ले लीजिए, यह बात उन्होंने क्यों कहीं, सब को पता है। सोशियल वैलफेयर बोर्ड की कमेटी की गत मीटिंग में यह तय हुआ, जिसके हमारे दा साहब चेयरमैन हैं कि जब पर्मिट हमारी कमेटी देती है, तो जैसे उसने १०० पर्मिट दिये, तो उनमें से १० पर्मिट्स पिछड़ी जाति के लोगों को मिलें। तो माननीय सदस्यों ने अपने बयानों में ज़ाहिर किया कि यह कर क्यों लगाया जाये, तो मैं आपको बताऊं कि कर तो जनता ही देती है और यह जो ५८ लाख रुपये के कर का प्रावधान सरकार ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(हंसी)

हमारी राजस्थान की जनता और उसका किसान जब कर देने के लिए राजी है, फिर क्या बात है ? मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि जो राजस्थान के कई पूंजीपति हैं, जिन्होंने किसानों और मजदूरों को परेशान कर रखा है, तो जो कर वाला मामला था एक तरफ हम साहित्यिक ढंग से लोक कलाओं के जरिये शिक्षा देते हैं, पर जब हाई स्कूल बने हुए हैं, एक तरफ हम साहित्यिक ढंग से मनोरंजन की संस्था बनाकर हमारे देश की पंचवर्षीय योजना के पैसे का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि माननीय सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़। मैंने माननीय सदस्य को कई बार कहा कि निरर्थक वे बार बार एक ही माननीय सदस्य पर संकेत न करें। इसमें आप सावधानी रखते हुए अपना वक्तव्य दें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तुरन्त में ही भाषण दिया है, उसकी सफाई में कह रहा हूं। वह बजट के सम्बन्ध में था। तो हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अपने भाव

(श्री हरिप्रसाद यादव)

प्रकट करना चाहता हूं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दबा देते हैं।

(हंसी)

तो मेरे जैसे आदमी घबरा जाते हैं। मुझे वहां की जनता ने चुनकर भेजा है मैं जब वहां पर जाता हूँ तो वह कहते हैं कि आप तो बोलते ही नहीं हैं, तो मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता है।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या, जिन्होंने रामगढ़ बंधे का जिक्र किया, उसके बारे में बताऊंगा। तो माननीय सदस्या (बहन) ने यह कहा था कि जयपुर को रामगढ़ के बंधे का पानी चाहिये। हम गवर्नमेंट होस्टल में रहते हैं, तो सौभाग्य से मैं भी बहिन चन्द्रकला के पास ही रहता हूं। उनका मकान मेरे ही पड़ोस में है। इस प्रकार उन्होंने जो अपने भाषण में बतलाया कि रामगढ़ के बन्धे का पानी जयपुर की जनता को चाहिये। आज मैं आपको गरीब मेड़ता सिटी, मेड़ता जहां मीराबाई का मंदिर है, वहां पानी नहीं हैं, मैं वहां खुद गया हूं। एक तरफ हमारे यहां रामगढ़ का बन्धा, जैसे हम मथुरा जाते हैं, वृन्दावन जाते हैं, लंका की छटा को देख लीजिए

(हंसी)

रामगढ़ बन्धे और गलते में नहाने वाले लोग कहते हैं कि हम तो मथुरा, वृन्दावन भी गये,

(हंसी)

तो भी कुछ नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, तो उनका उत्तर देना भी लाज़िमी हो जाता है।

(हंसी)

हमारे जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने सदन का काफी समय लिया, तो मेरे ध्यान में यह नहीं जंचा कि वह बेचारी जल्दी जल्दी में क्या क्या कह गई, श्रीमान ? मेरी समझ में नहीं आया। तो कोई बात तो पल्ले ही नहीं पड़ती है।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने ८४ लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग और पिछड़े वर्ग के लिए बताये, यह रुपया माननीय उपाध्यक्ष महोदय बहुत कम है। एक तरफ हमारी सरकार यह कहती है कि हम हरिजन, भील, चमार, भंगियों का उद्धार करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ८४ लाख रुपये रखे गये हैं। जिसमें मनोरंजन की आइटम्स अलग हैं, उसमें पब्लिसिटी वान अलग हैं, वह सिनेमा दिखाने चला जाता हैं, तो फिर उनके मकान सुधारने के लिए. एक तरफ खेती क्यारी के औजार दिलाना पिछड़ी हुई और दबी हुई जाति के लोगों को आगे लाने के लिये हमारी सरकार ने संकल्प किया है, तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के सुधार के लिए यह रुपया कम है। यह ऐसी योजना है कि जिसमें करोड़ों रुपया लगेगा (हंसी)

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जो रुपया दूसरी जगह योजनाओं में लगाते हैं उससे जनता परेशान होगी

(हंसी)

वह रुपया हरिजनों के सुधार में लगाये जायें, दूसरी ओर खारी का बंध और बड़ गांव के बन्ध का सवाल है, हमारी सरकार के करोड़ों रुपये बर्बाद होंगे और गांव उजड़ जायेंगे, इसलिये क्यों नहीं खारी योजना को बन्द किया जाय ....

३ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : किस खारी से मतलब है आपका ?

श्री हरिप्रसाद यादव : श्रीमान् यह आपके पड़ोस में ही है ।

(हंसी)

इसके बजाय तीसरी पंच वर्षीय योजना में पैसे लगाये जांय और उदयपुर जिले को शिड्यूल एरिया घोषित किया जाय ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने खत्म नहीं किया है ।

श्री हरिप्रसाद यादव : एक बात और बताऊंगा । एक तरफ हम पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिये वित्त मन्त्री महोदय व समाज कल्याण मंत्री····

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया, स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद अर्पित करना है कि उन्होंने इस सदन में तीसरी बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त किया । उपाध्यक्ष महोदय, बजट भी प्रस्तुत किया और वह भी सरप्लस बजट, इसलिये यदि उनको दोहरा धन्यवाद दिया जाय तो कोई ऐतराज नहीं होगा । लेकिन जब मैंने उनके पूरे अभिभाषण को सुना और सुनने के बाद उस भाषण के साथ साथ जो बजट का मेमोरेन्डम या बजट एस्टिमेट्स हमें दिये गये, उनको देखने के बाद कुछ ऐसा लगा कि यह किसी न किसी जादूगर का प्रभाव है जिसके कारण से इस बजट को सरप्लस बनाया गया है । यदि वास्तविक तथ्य की ओर देखा जाय, इस बजट के आंकड़ों की ओर देखा जाय, तो किस प्रकार से इस बजट को सरप्लस बनाया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न वाचक तथ्य है, जिसका उत्तर स्वयं वित्त मंत्री महोदय ही दे सकेंगे । इन कागजों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार के ऊपर कुछ कर्जा है और कर्जा किस प्रकार का है, इसके कुछ डिटेल्स सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा । पब्लिक डैट के मद में हमारी सरकार के ऊपर सन् ५८–५९ में पर्मानेन्ट डेट के नाते ५९३·८९ लाख रुपये का कर्जा था, ५९–६० में ३५० लाख रुपयों का उसमें और एडिशन हुआ और सन् ६० के आखिर तक यह कर्जा ९४३·८९ लाख रुपये हो जायगा । फ्लोटिंग डेट का यह हाल है कि ५८–५९ में ९७९·०८ लाख का कर्जा था, उसमें से ५७५ लाख का एडिशन हुआ और उसमें से ५० लाख का डिसबर्समेन्ट होगा, इस कारण से १०४४·०८, इस प्रकार १९६० में यह फ्लोटिंग डैट होगा । लोन्स फ्रॉम दी

(श्री भैरोंसिंह)

सेन्ट्रल गवर्नमेंट : इस हैड में यह है ७८४३.४३, यह ५८—५६ में था, उसमें २५२१.८१ एडिशन होगा और उसमें से २१७ लाख का डिस्बर्समेन्ट होगा। इसके आधार पर इसमें जो बचत होगी, वह १०१४८.२२ होगी, इस प्रकार से इसका टोटल होगा। अदर लोन्स की भी यही हालत है; ४१.८३ लाख ५८—५६ में और ८.६० : ५६—६० में, कुल मिलाकर ५०.३३ इस प्रकार कर्जा हुआ है। अब और टोटल देखा जाय तो पता लगता है कि ५८—५६ में ६४४८.२१ इस प्रकार सब मिलाकर पब्लिक डेट था। उसमें ७६५५.३८ का एडिशन होगा, इसके अन्दर ५२१७ का डिस्बर्समेंट होगा। इस डिस्बर्समेंट को निकालने के बाद यदि ५८—५६ और ५६—६० दोनों मदों को मिलाया जाय तो राज्य सरकार पर १ अरब २१ करोड़ ८६ लाख ५२ हजार का कर्जा है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस कर्जे को देखा जाय तो यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी राज्य सरकार का लोगों पर कितना कर्जा है। यदि दोनों कर्जे समानान्तर चलते हैं, इस प्रकार कहा जाय कि जो कर्जा हमने लोगों को दे रखा है, उसकी भुगतान जल्दी हो जायगा, तो जो कर्जा हमने ले रखा है, उसका भुगतान भी जल्दी हम कर सकेंगे, तो बात समझ में आ सकती है। जो लोन्स सरकार की तरफ से एडवान्स किये हैं म्युनिसिपेलिटीज़ को, अदर लैंड होल्डर्स को, कल्टिवेटर्स को, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को और कम्युनिटी डवेलपमेंट प्रोग्राम के लिये और मिस्सेलेनियस एण्ड लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स एण्ड न्यू आइटम्स को देखा जाय तो २६ करोड़ ७० लाख ६३ हजार की टोटल आती है। जहां १ अरब २६ करोड़ ८६ लाख की देनदारी है, वहां सरकार को कुल २६ लाख की भुगतान लोगों से लेनी है, तो यह नेग्लिजेबल पर्सेन्टेज़ है। जो लोन की जबर्दस्त समस्या है, लोगों का काफी देना है, जिस सरकार पर १ अरब २१ करोड़ का कर्जा है, वह सरप्लस बजट पेश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी जिस घर में रहता है वह टूटा हुआ है और उसके पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, लेकिन वह यह बतावे कि यह घर केपिटेलिस्ट का है। इसी प्रकार की दशा हमारी भी है। हमारी राज्य सरकार दिवालिया सरकार नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक भाषा है उसका प्रयोग किया जाय तो कहा जा सकता है कि आपकी सरकार दिवालिया सरकार है। मैं समझता हूं, सरकार को चाहिये था कि राज्य की जिस प्रकार की आमदनी है, जिस प्रकार की स्थिति है और लोन्स देने या लेने की जो स्थिति है, सारी चीज़ों के बारे में एक प्रकार से स्पष्टीकरण करती। लेकिन अफ़सोस है वित्त मन्त्रीजी ने भाषण में कहा है कि ऋण की भुगतान करने की व्यवस्था करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने कोई देने के बारे में विचार नहीं किया है। आगे शब्द लिखकर यह कहा कि सारे धन का उपयोग कर रहे हैं जिसका इतना रिटर्न होगा कि उससे कर्जा ही नहीं चुका सकेंगे बल्कि इतना बना देंगे जिससे राज्य सरकार को फायदा होगा लेकिन बजट पेश करते हैं उस समय सारी बातें देखनी पड़ती हैं, जो कर्जा लिया है, उसे किस प्रकार चुकायेंगे, किस प्रकार से उसका युटिलाइजेशन हुआ है और किस प्रकार का रिटर्न आने वाला है और किस तरह से वास्तव में अमली रूप दे सकते हैं, लेकिन इन चीजों का कोई संकेत नहीं है। यह कहना चाहिये कि राज्य

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार कर्ज़ा चुकाने की स्थिति में नहीं है।

अब प्रश्न एक आता है कि राज्य सरकार कर्ज को चुकाने की स्थिति में क्यों नहीं है ? सरकार जरूर कहेगी कि डवेलपमेन्ट प्लान्स पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। हमें पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि डवेलपमेन्ट प्लान्स में जितना पैसा खर्च होता है, उसका रिटर्न मिलने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट को अच्छी तरह से देख कर सदन में यह कहूँ कि जिस प्रकार का बजट पेश किया है, जो घाटा दिखाने की चेष्टा है, जो ५८ लाख के टैक्सेज़ इम्पोज करने की व्यवस्था की है वह तीन प्रमुख बातों को लेकर की है। एक खर्चा जो दिखाई दिया, वह है कि अल्प वैतनिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि की है, दूसरा खर्चा यह है कि जयपुर की बाईजीलाल की शादी के अन्दर सन् १९५७ में खर्च हुआ, उसको एडजस्ट किया है और तीसरे जागीरदारों को मुआवज़ा देना है। यानी राज्य सरकार के पास कोई और खर्च नहीं है, इन तीन बातों पर खर्च हुआ है। मुझे अफसोस है कि राज्य के अल्प वैतनिक कर्मचारी इस प्रतीक्षा में बैठे थे कि उन्हें सिटी अलाउन्स मिलेगा, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई तनख्वाह से अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सकेंगे। उस आशा को इस प्रकार भ्रष्ट करने की दृष्टि से कि कहीं सरकारी कर्मचारी ज्यादा तनख्वाह की डिमान्ड न कर सकें, इस बजट में यह बताया है कि इस बजट में छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है और उसका एक हजार लोगों को फायदा हुआ है और उस पर ८५ लाख खर्च होगा। इस चीज का ज़िक्र केवल एक स्थान पर नहीं किया गया है, बल्कि इस चीज का जिक्र तीन स्थानों में किया गया है, बजट मेमोरेन्डम में चार जगह जिक्र किया गया है और बजट एस्टिमेट्स में एक जगह उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री महोदय ने कोशिश की है कि जितने अल्प वैतनिक कर्मचारी हैं, वे आगे किसी रूप से डिमांड नहीं कर सकें। मुझे अफसोस है, अगर वे स्वयं अपने भाषण को पढ़ते और पढ़ने के बाद में इस स्थिति के ऊपर आते कि वास्तव में कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं उनके भाषण के पेज नम्बर तीन के अन्दर लिखा है कि :

'गत वर्ष के पूर्वार्द्ध में कुछ समय के लिए अलबत्ता कीमतें नीचे गिरी थीं, परन्तु मार्च, १९५८ में सब वस्तुओं के भावों में निरन्तर वृद्धि होती गई है। वर्ष के मध्य में खाद्यान्नों के भाव एकदम ऊंचे बढ़ गये थे।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से जो 'राजस्थान बजट स्टडी' पेश किया गया है, उसमें उल्लेख आया है :

"The upward trend i[illegible] rising prices during the last year, particularly of food articles, has dominated the economic scene. While towards the beginning of the year, the downward trend in prices set in motion towards the close of the year 1957 continued, since March, 1958, there has been a steady rise in the general price level. The overall price level during the year 1958 was higher by 2.1 percent as compared with the year 1957. With the base yea[r] 1952, the general index

(श्री भैरोंसिंह)

of whole sale prices went up from 105.4 in March, 1958 to 111.4 in December, 1958, with peak at 116.5 in September, 1958. The Food Group varied from 100.8 at the lowest level in February, 1958 to 121.2 at the peak, during September-October, 1958." मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने जहां एक तरफ इस केस को इस ढंग से रखने की कोशिश की है कि ८५ लाख रुपये का खर्चा इन छोटे कर्मचारियों को तनख्वाह में, अलाउन्स में पांच रुपये की वृद्धि करने में किया है, वहां दूसरी तरफ इस चीज को स्वीकार किया है कि हमारा प्राइस इन्डेक्स कितना ऊंचा हो गया है, उस प्राइस इन्डेक्स के ऊंचे जाने के कारण लोगों के सामने किस किस तरह की मुसीबतें आई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन मुसीबतों के कारण अल्प वैतनिक कर्मचारी इस बात की डिमान्ड करें तो वह स्वीकार नहीं की जा सकती। कहा जाता है चिल्लाओ नहीं, डवेलपमेन्ट प्लान के कारण राज्य सरकार के सामने खर्चा है, प्लान पीरियड है। इस पीरियड में लोगों को अपनी सम्पत्ति, सम्पत्ति दान में देनी चाहिए! इस बजट मेमोरेन्डम को अच्छी तरह से देखें तो एक जगह इस बात का संकेत मिलता है कि पिछले दो सालों के अन्दर प्रान्त के मंत्रियों ने १० पर्सेन्ट वॉलियन्टरिली काट कर रखा है, वह इस वर्ष नहीं रहा। मैं समझता हूं कि उनकी तनख्वाह ६००-१००० रुपये से कम नहीं मिलती है और इसमें उनका काम नहीं चलता है अगर १० पर्सेन्ट की कटौती होती है, क्योंकि भावों में वृद्धि हो गई है। इसलिए वे १० पर्सेन्ट की कटौती राज्य सरकार के खज़ाने में जमा कराने में गुरेज़ करते हैं। यह हालत है कि १ हजार और १५०० रुपये तनख्वाह के मिलते हैं और प्राइस इन्डेक्स के कारण वे अपनी परेशानी को दूर नहीं कर सकते। उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के गरीब कर्मचारियों के सामने, जिनको १०० रुपये, ५० रुपये तनख्वाह मिलती है, प्राइस इन्डेक्स उसी प्रकार भूत के रूप में खड़ा है, जिस प्रकार आपके सामने है। (तालियां) आपके हाथ में बजट था, आपके हाथ में वॉलियन्टरिली कट करने की व्यवस्था थी। जब तक वालियन्टरिली कट कराया, तब तक अखबारों में प्रकाशित हुआ कि मंत्रियों ने इतना रुपया वॉलियन्टरिली कट कराया, लेकिन जब बन्द हो गया तो इस बात की जानकारी देने में शर्म महसूस होती है। मैं नहीं कहता कि उनको शर्म महसूस होती है। लेकिन आपको महसूस करना चाहिए कि जो तकलीफें आपके सामने है, उसी प्रकार की तकलीफें गरीब समाज की हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह नहीं कह कर कि पिछले दिनों पांच रुपये महंगाई भत्ते में बढ़ाये हैं, वे इस दृष्टि से विचार करें कि जो तनख्वाह बढ़ी है, उससे गरीब कर्मचारियों की जो रोजाना की जरूरियात होती हैं, डेली नेसेसिटीज होती हैं, उनके आधार पर जो खर्चा होता है, उनको पूरा करने के लिए यह तनख्वाह पर्याप्त है या नहीं, इस आधार पर एनेलिसिस करेंगे तो स्थिति स्पष्ट रूप से उनके सामने आ जायेगी और निश्चित रूप से छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में कुछ न कुछ एडिशन उनको करना पड़ेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति के अन्दर आज मैं ज़िक्र करूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने इन बातों के ऊपर विशेष ध्यान न देकर केवल यह कह दिया कि अब अन्न के भाव सस्ते हो

(श्री भैरोंसिंह)

जायेंगे, अनाज सस्ता हो जायगा, हर आदमी को सस्ता अनाज मिलेगा । मैं अनाज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया है, उसमें रबी अभियान का ज़िक्र किया है । जहां रबी अभियान में पैदावार बढ़ने की बात वे कहते हैं, वहां उन्होंने जिक्र किया है कि रबी अभियान के अन्दर जो, गेहूं और तीसरी फसल, जो मैं समझता हूँ सदन को उसकी जानकारी नहीं मिली होगी, इस रबी अभियान के अन्दर बाजरे को भी चुना है । रबी के अन्दर बाजरा कभी नहीं होता । अब यह नई चीज़ हदूंडी में ईजाद हुई है, जिसको राजस्थान सरकार सारे राजस्थान में लागू करना चाहती है, तो मुझे आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं कह सकता हूं कि बाजरा रबी में नहीं होता और बाजरा रबी में बोया नहीं गया है । इस बाजरे की पैदावार के आधार पर मैं राजस्थान की जनता से अपील कर सकता हूं कि चैत बैशाख में बाजरा नहीं मिल सकेगा और बाजरे के इन्तज़ार में बैठ कर दिन भूखे रह करनिकालने पड़ेंगे ।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, वह व्यवस्था कहां तक सही हो सकती है । हमारी राज्य सरकार को १३०.५० रुपये सालाना ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे । इस भाषण के पेज ७ पर है कि राज्य सरकार पर सेन्ट्रल लोन है ७७ करोड़ रुपये का, इसके पेमेन्ट की एक इमीजियेट जिम्मेदारी आई सरकार के ऊपर, उसके बारे में ज़िक्र नहीं है । लोन्स के ओवर ड्राफ्टिंग के रूप के अन्दर काफी रुपया ले रखा है, जो राज्य की सिक्योरिटी थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं । राजस्थान सरकार के ऊपर अरबों रुपये का कर्जा है । ऐसी स्थिति के अन्दर राज्य सरकार किस प्रकार व्यवस्था कर सकेगी, किस प्रकार पैसा चुका सकेगी, यह बात समझ में नहीं आती है । सरकार को इस बात को समझ कर पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी । लेकिन जो व्यवस्था की है, ५८ लाख के नये टैक्स लगाये हैं, ये टैक्स किन के ऊपर लगाये हैं ? मैं समझता हूं कि सदन इससे परिचित होगा कि टैक्स लगाया है शराब पर । एक तरफ सरकार कहती है कि हम प्रॉहिबिशन की पॉलिसी में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ बजट में आंकड़े देते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि हमें ज्यादा शराब खरीदनी है और तीसरी तरफ बजट भाषण में संकेत करते हैं कि २५ हजार रुपये, शराब बन्दी की जाय, इसके प्रचार में खर्च करते हैं । ऐसी स्थिति में तीन चीजें इतनी कॉन्ट्रेडिक्टरी चलती आ रही हैं कि यह नहीं कह सकते कि सरकार की प्रॉहिबिशन की निश्चित पॉलिसी है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार गांजा और अफीम की खरीद को सरकार ने रोका है, सरकार उसी प्रकार यह घोषणा कर देती कि भविष्य में शराब नहीं खरीदी जायगी, राजस्थान राज्य में प्रॉहिबिशन लागू कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि २५ हजार रुपये से प्रॉहिबिशन नहीं हो सकता । सरकार को स्ट्रिक्ट कानून बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए । अगर आपको प्रॉहिबिशन करना है तो सबसे पहले एक बात की सदन में घोषणा कर दें कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उन तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों में से कोई शराब नहीं पी सकता और जो पीयेगा तो उसे बर्खास्त कर दिया जायगा । (तालियां) इससे जो आप

(श्री भैरोंसिंह)

शराब बन्दी करना चाहते हैं, वह होगी, साथ ही ऑफिसर्स में करप्शन फैल रहा है, वह शराब बन्द करने से रुकेगा। जो ऑफिसर्स बम्बई स्टेट में शराब का प्रॉहिबिशन करने के लिए सक्रिय साबित नहीं हुए, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, तो राजस्थान में शराब बन्दी निश्चित रूप से हो जायगी। जो ढिल मिल नीति सरकार की है, वह एक अन्याय है और इस अन्याय को रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरा टैक्स आपने लगाया है यातायात पर, यात्रा करने वालों के ऊपर, माल ढोने वाले साधनों के ऊपर। यह बात सही है कि हमारी रेल्वे इतनी इनएफीशियेन्ट हो गई है कि लोग रेल्वे के मुकाबले में ट्रान्सपोर्ट सर्विस पर विश्वास करते हैं। उससे जाने के लिए वे व्यवस्था करते हैं, उससे माल भेजने के लिए व्यवस्था करते हैं। मैं समझता हूं कि यह ट्रान्सपोर्टेशन इस प्रकार की इन्डस्ट्री है, जिसको अगर पनपाना है और इन इन्डस्ट्री को चलाना है तो इसे भार स्वरूप नहीं बनाना पड़ेगा। यह इन्डस्ट्री इस प्रकार की है कि अगर इसका विकास हुआ तो राजस्थान में जितनी यातायात की असुविधा है, वह रुकेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक तरफ सरकार १५ लाख का प्रॉविजन रख कर ट्रान्सपोर्ट सर्विस को नेशनेलाइज़ करने की व्यवस्था करती है। मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो टोंक बस सर्विस है, उसमें घाटा नहीं था, लेकिन एक कृत्रिम घाटा बताया गया और नेशनेलाइज के आधार पर दूसरे आदमी को परमिट दिया गया। आज सरकार इस बात को सामने रखे कि जो टैक्स बढ़ा रही है, वह टैक्स किसको देना पड़ेगा। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना टैक्स सरकार को मिलने वाला है, वह गरीब लोग देंगे, मोटर के अन्दर सफर करने वाले लोग देंगे। उनसे पैसा इकट्ठा करके अपने बजट को संतुलित बजट नहीं, सरप्लस बजट बनाते हैं, तो यह न्याय नहीं होगा और गरीब यात्रियों के साथ जबर्दस्त अन्याय होगा। रेल्वे में एफीशियेन्सी नहीं है, इसके लिए राजस्थान के गरीब लोग कसूरवार नहीं है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार का कसूर नहीं है, भारत सरकार रेल्वे को एफीशियेन्ट नहीं बना सकी, जिसका दंड राजस्थान के गरीब लोगों को दिया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था आज हो सकती है, लेकिन भूतपूर्व समय के अन्दर इस प्रकार की चीज़ देखने में नहीं आई थी। काम कोई और करे और दण्ड और किसी को दिया जाय, मैं समझता हूं यह तो एक उसी प्रकार का राज्य हुआ कि 'अन्धेर नगरी चौपट राजा', वाली बात की जाती है। पर हमारी सरकार ने इरादा कर लिया है जनता पर टैक्स लगाने का, गरीबों पर टैक्स लगाने का और जनता के इकोनोमिक स्ट्रक्चर को धीरे धीरे सरकार इस तरह डेटिरियोरेट कर रही है कि निकट भविष्य में जनता खड़ी तक नहीं रह सकेगी।

सिंचाई में वृद्धि की है, ८ लाख का सरकार को मुनाफा हुआ। भारत सरकार ने जितने आंकड़े सिंचाई के सम्बन्ध में दिये हैं, इर्रिगेशन सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर देखें तो पता चलेगा कि ५६ पर्सेन्ट इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटीज़ थीं, उनको काश्तकार इस्तेमाल नहीं करते। कारण इसका यह है कि इर्रिगेशन चार्जेज़ बहुत भारी हैं, इस तरह के भारी चार्ज दे कर, इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

के इर्रिगेशन से प्रॉडक्शन करके काश्तकार बचा नहीं सकता। इस कारण इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी का काश्तकार उपयोग नहीं करते हैं। राजस्थान सरकार भी यदि इसकी जांच कराये तो तथ्य नज़र आयेगा कि जितनी इर्रिगेशन पोटेन्शियेलिटी प्रोवाइड की है, उतनी उनको लोग इस्तेमाल में नहीं लेते हैं।

भूमि सुधार शुल्क के आधार पर हमारी सरकार ने १२ लाख रुपये बनाये हैं, यह गलत ढंग से है। यदि इसको वर्क आउट करने का प्रोसीज़र देखा जाय तो पता चलेगा कि जिस पर्सेन्ट से अर्बन इम्प्रूवमेंट हुआ है, शहरों में भी खम्भे लगे हैं, इसका शहरों को पहुंचाई गई सुविधा से भी सम्बन्ध है, पर हमारी सरकार ने यह सब रूरल एरिया के खाते ही रखा है।

काश्तकार अब महसूस करने जा रहे हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, हमें क्या लाभ होगा, कोआॅपरेटिवाइजेशन आॅफ लैंड इम्प्लीमेंट होगा, तब किसानों को पता चलेगा कि उन्हें क्या लाभ हुआ ?

सरकार ने ५८ लाख के टैक्स लगाये हैं, वह टैक्स लगाना सरकार के लिये लाजिमी था, इसे मैं आवश्यक नहीं समझता। यदि सरकार खर्चा कम करती तो ऐसी स्थिति आ सकती थी कि ५८ लाख का नया कर नहीं लगाया जाय। जिस तरह फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी और साफ साफ कहा है कि सन् १९५१ से ले कर अब तक सरकारी अफसरों की संख्या बढ़ी है, सेक्रेटेरियेट में कमी की जाय, कुछ डिपार्टमेंट्स को हटाया जाय, कुछ हैड्स आॅफ दी डिपार्टमेंट्स को कम किया जाय, उस रिपोर्ट में कुछ सरकारी उच्च अधिकारियों को हटाने, कुछ डिपार्टमेंट्स को एमल्गोमेंट करने की सिफारिश की थी। उनको कम करना, हटाना, मिटाना तो दूर, बल्कि वे चीजें और एक्सपेन्ड हुई हैं।

तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यह बजट कोई डेमोक्रेटिक माइन्ड के लोगों के दिमाग की रचना हो, ऐसी बात नहीं, बल्कि कहा जा सकता है कि यह बजट ब्यूरोक्रेटिक माइन्ड वाले लोगों के हाथों से बनाया हुआ बजट है और हमारी प्रजातान्त्रिक विधान सभा के समक्ष पेश किया गया है। मैं नहीं कह सकता कि वित्त मंत्रीजी ने यह बजट बनाया हो, वे बजट बनाने में कितने माहिर हैं, वे हट्टूंडी का भी बजट ठीक तरह से नहीं बना सके हैं, हट्टूंडी का आॅडिट नहीं करवा सके, ५५–५६ में भारत सरकार से जो सहायता मिली, उसका गलत हिसाब चला गया, उसको वापिस लाया गया और फिर उसको दुरुस्त कर के भेजा गया। ५५–५६ में जो ग्रान्ट मिली थी, वे मकान अब जाकर बने हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिनका उद्घाटन अभी किया है। तो इससे हम अन्दाज़ लगा सकते हैं कि बजट बनाने में किसका हाथ है, हम समझ सकते हैं कि हमारी सरकार बजट बनाने में काम कर रही है या ब्यूरोक्रेटिक्स के हाथों में यह काम दिया हुआ है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी इसे स्वीकार करें या न करें, पर वे भी जानते हैं कि आज चुने हुए लोगों की, मन्त्रियों की भी हालत ऐसी है कि ये लोग जो काम करवाना चाहें वह नहीं होता। आॅफिसर्स की इच्छा के अनुसार बजट बनता है और गवर्नर की स्पीच तैयार होती है कि लोग चकाचौंध

(श्री भैरोंसिंह)

हो जायं। केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुनियां के बजट उठा कर देख लें, किसी में यह नहीं मिलेगा कि हमने इतने बकरे तैयार कर लिये, इतने कुक्कुट अजमेर और दूसरी जगह तैयार किये, पर हमारे बजट में यह बताया जाता है, लोग हंसेंगे हमारे बजट की तरफ कि राजस्थान की गरीब जनता से टैक्स ले कर १३०५ बकरे, इतने भैंसे और इतने कुक्कुट तैयार किये, यह क्या बजट है ? यह बजट नहीं, बकरे, भैंसे, कुक्कुट, इनकी चकाचौंध में वास्तविक चीजों को लोग भूल जायं और राजस्थान की असली परिस्थिति क्या है, महसूस न कर सकें, इसलिये इस तरह की चीजें बजट में पेश की जाती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं कुछ खर्चों की ओर भी संकेत करूंगा, यदि राजस्थान सरकार अपने खर्चों पर कन्ट्रोल करना चाहे तो कर सकती है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा सरकार लाखों रुपये का खर्चा करती आ रही है। भारत सेवक समाज, खादी बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड, जिनमें लाखों रुपये का सरकार खर्चा करती है, उन सबके हिसाब को देखा जाय, सुपरवाइज़ किया जाय, कन्ट्रोल रखा जाय तो कभी आवश्यकता महसूस नहीं होगी कि जो खर्चा हम कर रहे हैं, वह उपयोगी है कि नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण जिसको मुख्य मन्त्रीजी जानते होंगे, वह सदन में रखूं, तो सदन को पता चलेगा कि किस तरह धोखा दे कर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कुछ लोगों के हाथों में जाता है।

कुचामन में एमरी स्टोन से बनने वाली चक्की का कारखाना है। हर जगह एडवर्टीइजमेंट लगा हुआ है कि 'एमरी चक्कियां'। यह क्या है, किसके पैसे से बनती हैं और राजस्थान सरकार का इसमें क्या हाथ है, यह भी अपने आप में एक इतिहास है। हमारे खादी कमीशन ने १० रुपये की सब्सिडी देने का मंजूर किया है, हमारी राजस्थान सरकार, भारत सरकार और खादी कमीशन ने कभी इस बात को जानने की चेष्टा नहीं की होगी कि एमरी क्या है ? जियोलोजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि राजस्थान में ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में एमरी स्टोन उपलब्ध नहीं है, पर कुचामन में एमरी स्टोन की चक्कियां बनती हैं और इस बात पर सब्सिडी ली जाती है और वह सब्सिडी चार लाख रुपये की हो गई है।

चार लाख रुपया उस एमरी चक्की के नाम पर, झूठे दूसरे दूसरे पत्थरों का कंपोजीशन करके ये चक्कियां बना कर दी गई और उनको इसके लिए सब्सिडी के रूप में धन दे दिया गया। कोई देखे कि खादी कमीशन ने दिया होगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कहूंगा कि यह सूचना है कि इस प्रकार की शिकायतें उन्होंने राजस्थान के मन्त्री महोदय से की, राजस्थान सरकार ने कर्जा दिया और कर्जा देने से पहले यह उन्होंने जांच नहीं की कि जिसके नाम पर कर्जा दिया जा रहा है, वह तो दूसरी मिनरल को कम्पोज़ के पत्थर हैं, एमरी नहीं है। रुपया लिया गया, वह सही है या गलत है, तो मैं राजस्थान सरकार को जिम्मेवार ठहराता हूं। राजस्थान सरकार इसके लिए तुरन्त पुलिस एक्शन ले और यह कहूंगा कि जिस मन्त्री ने बिना

(श्री भैरोंसिंह)

जांच किये ही कर्जा दे दिया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें ।

(विरोध पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

जिस एमरी स्टोन के नाम पर कर्जा दिया गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? यदि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जांच करेंगे तो मैं साबित करूंगा कि सामान्य नियमों को भंग करके उनको कर्जा दिया गया । एक तरफ खादी कमीशन से जांच होती है और माना जाता है कि यह एमरी स्टोन नहीं है और मिनरल का कम्पोज़िशन है । इतना ही नहीं, रेलवे की चोरी हुई नावां की म्युनिसिपेलिटी को धोखा देकर, वह इसकी जांच करे, चूंकि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, इस दृष्टि से उससे बचने की कोशिश की । आपका दोष है । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में माननीय मन्त्रीजी अध्यक्ष होते हैं, एक्ट के अनुसार, ३१-३२, ३३-३४ के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के फंक्शन्स रखे गये हैं, डाइरेक्शन्स देने के फंक्शन्स हैं, मन्त्रीजी इस बात को बतायें कि खादी ग्रामोद्योग ऐक्ट के अन्तर्गत कब कार्यवाही प्रारम्भ हुई, कितनी बार ऑडिट रिपोर्ट आयी, कितनी बार सुपरवाइज़ किया, कितनी बार इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये ? मैं कहता हूँ कि ये चीजें एक्ट में प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन उनकी अवहेलना की गई । समय कम होने के कारण मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । आप अवश्य बतायें और फिर समझा जा सकता है कि किस प्रकार खर्चा करते हैं, मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे कि कोई प्रबन्ध नहीं है ।

अभी अभी, अभी अभी नहीं कहना चाहिये, आज से दो वर्ष, तीन वर्ष पूर्व राजस्थान विधान सभा में एक प्रश्न उठा था और यह कहा गया कि राजस्थान में एक डेन्टिस्ट हैं, वे झूंठी डिग्रियां रखते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को यह याद है। शायद मैं समझता हूं, उस समय हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने यह जबाब दिया था कि वे झूंठी डिग्री नहीं लगाते । उनको जो डिग्रियां मिली हुई हैं, वे ही लगाते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करूंगा और बताऊंगा कि वे डाक्टर वी. रतन हैं, उनके लैटर पैड हैं छपे हुए । चार लैटर पैड में चारों अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से डिग्रियां लिखी हुई हैं, एक में लिखा है जर्मनी,. दूसरे में लिखा है वियेना, तीसरे में लिखा है एडिनबर्ग और चौथे में लिखा है बर्लिन । यदि एक लैटर में एल० डी० सी०, की डिग्री लिखी हुई है, तो दूसरे में वह नहीं है, इसी प्रकार तीसरे में जो लिखी है, वह चौथे में नहीं है । चारों में अलग अलग तरीके से अलग अलग डिग्रियां लिखी हुई हैं । मैं यह कहूं कि मेरे पास ऑल इन्डिया डेन्टल एसोशियेशन का लैटर है, जिसमें यह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये डिग्रियां नहीं हैं । उसको डिग्री ही मान ली जाय तो राजस्थान में मानी जा सकती है, लेकिन भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त नहीं की जा सकती । लेकिन हमारे डॉक्टर ने ये डिग्रियां लगाई । मैंने आपत्ति की थी लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया था । उस वक्त मैं मजबूर था । लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके लिए एक कॉन्फिडेन्शियल लैटर हमारे डाइरेक्टर ने लिखा था ।

एक माननीय सदस्य : २० मिनिट

(एक माननीय सदस्य)

का ही समय दिया गया था, लेकिन इनको बोलते हुए काफी अधिक समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा लिस्ट मेरे पास है, आपके पास नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ ने लिखा था :

Superintendent,
Sawai Man Singh Hospital,
Jaipur.

It is found that Shri V. Rattan is writing the following diplomas etc. after his name:—

1. D. Dent. (Berlin)
2. D. R. D. (Germany).
3. P. G. R. S. (Edinburg)
4. L. D. Sc. (Karachi)
5. Z. D. S. (Vienna)

On enquiry from All India Dental Association and scrutiny of Shri Rattan's papers, it appears that :—

1. He holds only one registerable qualification, L. D. Sc.

2. He attended only a Refresher course in Dentistry in Vienna from 25-11-37 to 15-12-37. For this he should not write Z. D. S. after his name.

3. He sat for First Paper examination in Dental Diploma in Edinburg and for this he should not write P. G. R. S.

4. The Public Relations Officer, All India Dental Association writes that they have no records of such qualifications as D. Dent (Germany). Hence, Shri Rattan should be asked not to write this too.

In toher words, Shri Rattan Can write only L. D. Sc. after his name.

Could you please issue notification to Shri Rattan that in future he should not write any other diploma after his name except L. D. Sc.

His acknowledgement and instructions be sent to this office.

Sd./ B. N. Sharma.
Director of Medical & H. S.

यह डॉक्टर बी. एन. शर्मा, जो इस विभाग के डाइरेक्टर हैं, उनकी तरफ से लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिखने के बाद भी जो दुर्घटना हुई है, उसको देख कर राजस्थान का प्रत्येक नागरिक ही नहीं अपितु भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक शर्मिन्दा होगा। कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत कुछ डॉक्टर्स को क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इंगलैंड भेजा गया। इन डॉक्टर साहब ने डॉ० रतन ने भी अपनी क्वालिफिकेशन्स के आधार पर एप्लिकेशन पेश की और उसको इन्हीं डॉक्टर बी. एन. शर्मा ने रिकमन्ड करके, चार जो डिग्रियां लिखी हुई थी, उनको मान्यता देकर, भारत सरकार को सिफारिश कर दी कि इनकी चार क्वालि-

(श्री भैरोंसिंह)

फिकेन्स हैं और इनको ट्रेनिंग के लिए इंगलैंड भेजा जा सकता है। (शेम शेम की आवाज़) माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि वे इंगलैंड चले गये ट्रेनिंग हासिल करने के लिए और डॉक्टर बी. एन. शर्मा का लिखा हुआ वेरिफाइड लैटर बता दिया कि मेरे पास ये डिग्रीज़ हैं। वहां राजस्थान की सरकार नहीं है, वहां तो इंगलैंड की सरकार है, क्वालिफिकेशन्स में जो डिग्रियां दी हुई थी, उसने उनकी डिग्रिशां मांगीं और डिटेल्स मांगने के पश्चात् वहां की सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि इस प्रकार की डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं हो सकती। उन्होंने इन्डियन हाई कमीशन को एक लैटर लिखा और उसमें यह खेद प्रकट किया कि इस प्रकार से भारत सरकार का एक रिप्रेजेन्टिटिव जाता है, जिसके पास गलत डिग्रियां हैं, इंगलैंड में ट्रेनिंग पाने के लायक नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : Where is that letter ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य मंत्री) : यह सूचना दी गई है, वह गलत है। इंगलैंड की सरकार ने फैसला दे दिया, यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : वह मैं पेश कर दूँगा। गलत आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास रिकॉर्ड है, लैटर आया है।

श्री भैरोंसिंह : वह लैटर आपके पास है। इन्कवायरी के लिए दें तो पता चलेगा। इन्डियन हाइ कमीशन ने भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार के मार्फत आपको लिखा गया। यदि मंत्री महोदय दावा करते हैं, तो बतायें कि वह वापिस क्यों आये, क्यों राजस्थान की जनता का इतना पैसा इस तरह से खर्च किया गया। मैं आपको बताऊं कि इन्डियन हाई कमीशन ने भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को लिखा गया और राजस्थान सरकार ने वापस बुलाया। कहते तो रहे कि जर्मनी जाऊंगा, जर्मनी में जगह नहीं मिली, कहीं जाकर भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन उनको एडमिशन कहीं नहीं मिली, वापिस लौट कर आये। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिये बनिस्बत इसके कि उसको शील्ड किया जाय, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये, जिसने भारत सरकार का नाम नीचा किया और उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने यह जानते हुए कि ये झूठी डिग्रियां हैं, लैटर पहले जिसके बारे में मैंने जिक्र किया उन्होंने लिखा था, फिर भी उसको रिकमन्ड किया और उसको पब्लिक के पैसे से इंगलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाय। मैं समझता हूँ कि यदि इसी प्रकार की सरकार की कार्यवाही रही तो इसका सरकारी सर्विसेज़ पर बुरा असर पड़ने वाला है, सरकार चाहे जिसका पक्ष ले ले, नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचा दे। इसी डॉक्टर को मोटर के लिए पैसा दिया गया उसको मोटर में खर्च न करके दूसरे में खर्च कर दिया, उसकी पेनल्टी के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। समय की कमी है, इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार सारे खर्चे की व्यवस्था करे, अपनी आमदनी के जो सोर्सेज़ हैं उनको देखे। अभी मुझे पता चला है कि भारत सेवक समाज को सारे राजस्थान के माइनर

(श्री भैरोंसिंह)

इर्रिगेशन के लिये पांच करोड़ रुपया दिया जाने वाला है। मैं समझता हूँ भारत सेवक समाज की मार्फत यह जो काम होगा, तो मैं यह कह दूँ वह दिन भी दूर नहीं जब कि इस बारे में हर रोज़ शिकायतें न मिलती रहे। यह मैं नहीं कहता कि भारत सेवक समाज में अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं हैं। अच्छे कार्यकर्त्ता भी हैं, किन्तु मंडन मिश्र की तरह के कार्यकर्त्ता भी हैं, जिन्होंने गलत किताब लिखकर असेम्बली के सम्बन्ध में झूठी बातें लिखकर उसको शिक्षण संस्थाओं के लिए मन्जूर करवाली। यह बताया है कि भारत सेवक समाज के कार्यकर्त्ता भी इस पैसे के लोभ से बचे हुए नहीं हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के हाथ में अगर इर्रिगेशन का पैसा चला जाता हैं तो मुझे सन्देह है कि उसका समुचित उपयोग नहीं होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो खर्चा हो, उस खर्चे पर पूरा कन्ट्रोल रक्खें। हमारे आमदनी के जो जरिये हैं, उनको हम बढ़ावें। इन्डस्ट्रीज को डवेलप करें। इन्डस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन कम हुआ है उसकी जांच करें और इन्डस्ट्रीज के प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी हो, इस बात की व्यवस्था करें। ११२१ प्राइमरी स्कूलें खोलने, ५०० ब्लॉक खोलने और १६० एस० डी० आई० के खोलने से राजस्थान की समस्या का हल होने वाला नहीं है। राजस्थान में हजारों की संख्या में बेकार हैं और बेकार होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का रोजगार होना चाहिये जिससे उनको भी किसी प्रकार का सेटिसफेक्शन मिल सके।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस सदन का ध्यान 'सो कॉल्ड बजट,' जो कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसकी ओर दिलाऊं, उससे पहले मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह इसलिये कि जिस साहित्यिक भाषा में उन्होंने इस बजट भाषण को सदन के सामने रखा, वह उनकी तीन दफा में पहली बार था। जिस समाजवाद की थ्योरी को सदन भूल गया था, उस थ्योरी को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने फिर से याद दिलाई कि क्योंकि समाजवाद की थ्योरी होनी चाहिये ? इक्वल इन्कम, इक्वल अपोर्चुनिटी की ओर जो ध्यान दिलाया है, उसके लिये भी मैं फिर से दुबारा माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

मगर जहां तक बजट का सवाल है, यह एक अजीब तमाशा है। वह यह है कि, जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया माननीय वित्त मंत्री को कि सब जानवरों के नाम लिख दिये, सब पशुओं के नाम लिख दिये, सब पेड़ों के नाम लिख दिये, मगर बजट के अन्दर जो पॉलिसी डिसीजन होना चाहिये, उस पॉलिसी डिसीजन को बिल्कुल इगनोर कर दिया। बीच में बोलते हुए इर्रिगेशन मिनिस्टर महोदय ने यह बताया कि हम ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइजेशन करने जा रहे हैं। जब आप करने जा रहे हैं, तो वैसी अवस्था में सदन को एक पिक्चर देनी चाहिये थी। बजट के द्वारा जो भी आगे करने जा रहे हैं, उसकी ट्रू पिक्चर हाउस के सामने होनी चाहिये, लेकिन वह नहीं रखी गई। हालां कि this is an apology of nationalisation of transport. जिस ट्रान्सपोर्ट की स्कीम एक करोड़ तक गई है, उस ट्रान्सपोर्ट के लिये आप १५ लाख

(श्री श्रीभानसिंह)

रखते हैं, इससे क्या होने वाला है ? बजट के अन्दर अगर यह बात रखी जाती तो कम से कम सदन को यह तो पता चलता कि एक पॉलिसी की बात तो बजट स्पीच में है। इस बात के लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्य-वाद देता हूं कि उन्होंने इस साल के बजट को सरप्लस बजट पेश करने की कोशिश की है। अब तक हमारे जो बजट की पिक्चर्स थीं, जिस जिस तरह से आमदनी बढ़ती गई, हमारा खर्चा भी बढ़ता गया और साथ में हमारा डेट भी बढ़ता गया। मगर जो सन् ५६ से डेट हमारे साथ चल रहा है, उस डेफिसिट को हमने ५६-६० में सरप्लस बताया है। यह बजट जो आज आप सरप्लस बताते हैं, उसके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि या तो वित्त मंत्री महोदय को धोखा दिया गया है या इन आंकड़ों को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है कि यह बजट सरप्लस बजट हो नहीं सकता और न वे ही रख सकते हैं। इसके लिये अगर फाइनेन्स मिनिस्टर का एग्ज़ामिनेशन हो और वह कम्पी-टिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, तो मैं यह कह सकता हूं कि जितने मार्क्स मेरे आ सकते हैं, उतने शायद वित्त मंत्री महोदय के आ सकेंगे। चीफ मिनिस्टर महोदय नहीं है, इस लिये मेरा यह कहना फिजूल है कि इसके लिये कम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो। मैं उदा-हरण की तौर पर आपको बताऊं, आप फोरेस्ट की डिमान्ड को ही ले लीजिये। उसके लिये सन् ५६-५७ में एक अलॉटमेंट कर दिया है ७४ लाख का और एक्चुअल रिय-लाइजेशन होता है ७१ लाख का और पिछली साल में होता है ७० लाख का और ५६-६० में आपने ७४ लाख रुपया रखा है, इसका कोई रीजन नहीं कि जब पहले की सालों में ७० से ७१ लाख तक हुआ है, तो इस साल में यह ७४ लाख बढ़ जायगा। बजट जो भी हो, वह साइन्टिफिक होना चाहिये, उसकी फ्रेम प्रोग्रेस भी साइन्टिफिक होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने तीसरे साल में यह कदम लिया है, जिसे हम बेसलैस कह सकते हैं। उदाहरण की तौर पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को ही ले लीजिये, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लागू हुआ तब से लेकर आज तक पांच लाख से ज्यादा रिसलाइजेशन नहीं हो पाया है। वे आंकड़े सदन में पेश होते रहे हैं, वे आंकड़े ८-१० और १२ लाख तक के हैं और एक्चुअल जो रिएलाइजेशन होता है, वह पांच लाख का होता है और वह भी जब कि हमने इसको अजमेर स्टेट तक लागू किया है। जब कि माननीय वित्त मंत्री को इतने साल का अनुभव है, फिर भी उन्होंने जो एक्चुअल इन्कम होती है, उसको बताने की चेष्टा नहीं की। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का उदाहरण मैंने इसलिये दिया कि मुझे आपको समाजवाद की याद दिलानी थी। उस समाजवाद की जिस समाजवाद का ढांचा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में नहीं बताया। मैं कह सकता हूं और रेफरेन्स देना चाहता हूं लैंड रिफोर्म्स जो करने जा रहे हैं, सीलिंग की जो बातें की जाती हैं, कोऑपरेटिव फॉर्मिंग की बातें की जाती है। लेकिन जब बजट में उनका उल्लेख नहीं देखते हैं तो हम जनता को कह सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट सीलिंग लागू नहीं कर सकती और न कोऑपरेटिव फॉर्मिंग ही कर सकती है। अगर आप सीलिंग लगाना चाहते हैं और कोऑपरेटिव फॉर्मिंग करना चाहते, हैं, तो आपका एग्रीकल्चर इन्कम

(श्री श्रीभानसिंह)

टैक्स है, वह बिल्कुल रिडन्डेन्ट हो जाता है। जो अर्थ व्यवस्था आप भविष्य में करने जा रहे हैं, उसके लिये निवेदन है कि यह हमारी भविष्य की अर्थ व्यवस्था नीति के विपरीत बजट है।

जो गवर्नर के एड्रेस या बजट भाषण होते हैं,उसके लिये लोग कहा करते हैं कि यह तो कैंची और लेई की करामात है। मैं तो इसको आज तक नहीं समझता था। लेकिन एक साहब ने रिमाइन्ड करवाया स्क्रेप बुक का due apology to the Hon'ble. Finance Minister. मैंने स्कूल-बॉय की स्क्रेप बुक नहीं देखी थी। कॉलेज़ के जमाने में जरूर रखता था। उन्होंने मुझे कहा कि वित्त मंत्री महोदय का भाषण आपने देखा, वह एक स्क्रेप बुक की तरह है, कैंची और लेई का चमत्कार उसमें हैं। मैंने देखा शायद भाषण के पढ़ने में गलती हो गई होगी। फिर मैंने दुबारा उस भाषण को देखने की कोशिश की, तो मैं इस नतीजे पर पहूँचा कि वास्तव में जो वित्त मंत्री महोदय के विचार हैं, उनकी पर्सनलिटी है, उसका कुछ भी असर इस बजट भाषण में दिखाई नहीं दिया। वे जो कुछ उन्हें लिख कर दे दिया गया या जो छपवा दिया जाता है, उसी तरह से बदस्तूर वह रहता है। आप Page 3 of the Budget speech. देखिये—

"9. The agricultural production potential targets for the year 1958-59 are-food grains 2.21 lakh tons, sugarcane 1.36 lakh tons and cotton 0.17 lakh bales. It is expected that all these targets would be fulfilled."

Now the Hon'ble. Members please refer to page 34 of the book 'Budget Study' :—

"The agricultural production potential targets for the year 1958-59 are—foodgrains 2.21 lakh tons, sugar cane 1.36 lakh tons and cotton 0.17 lakh bales. It is expected that all these targets would be fulfilled..." यह और तो ओमिट कर दिया। यहां से काटा और यहां चिपेक दिया।

This is the standard of budget speech. जब आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में फिगर्स दी। यह कर दिया कि यह है। जो इन्टैक्ट होना चाहिये, ओरिजिनेलिटी इस बजट में होनी चाहिये, वह नहीं है। बिलकुल वहां से लेकर यहां रख दी।

३.५१ म० प०

(श्री अनोपसिंह सभापति, पदासीन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि एवं यातायात मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, ये टार्गेट तो फिक्स्ड हैं एव्री ईयर के।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आपकी लैंग्वेज बता रहा हूँ। आप समझे नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : टार्गेट को लिखने की लैंग्वेज चार थोड़े ही होगीं,एक ही तो होगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The point is, that these figures are wrong. And when an incorrect thing in quoted exactly as it is, it means that it has been copied from there.

श्री नाथूराम मिर्धा : I think there should be no confusion at all. Poten-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

tial targets for each year have been defined in the beginning of the Plan. They will remain as they are and we cannot change them. So if these things are given at one place and again in the budget speech also, what is wrong ?

श्री सभापति : वित्त मन्त्रीजी के लिये यह छोड़ दीजिये ।

श्री श्रीमानसिंह : I only say that if some ingenuity were used, the language could have been made different so as to look original.

अब पता नहीं । मैं यह कह रहा था कि हम समाजवादी समाज की तैयारी रखें । जब यह देखा जावे कि इन्कम की तरफ से जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है उनसे कम्पेयर किया जावे । तो मैं यह कह देना चाहता हूं, कि इस बजट के आब्जेक्ट को, जैसे कि हम 'इक्वलिटि ऑफ इन्कम रेस्टोर' करने जा रहे हैं, शायद एचीव नहीं करेंगे । अगर यह एचीव नहीं करते हैं तो यह साधारण आदमी के लिये बजट नहीं है । यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं है । जो आज योजना के चौथे साल में जा रहे हैं, उस पर से जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वह उसमें नहीं है । पहली योजना से आज तक ग्रेन प्राइसेज़ बढ़ते गये । दुबारा इसको दोहराने की जरूरत नहीं कि इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ता गया । नतीजा क्या हुआ ? आपने इन्फ्लेशन की कॉमोडिटीज़ को टैक्सेशन किया । सेन्टर ने इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन किया यानी ज्यादा पैसा और कम गुड्स की बात हुई । Too much taxation and less goods इसका नतीजा यह हुआ कि सेलर्स मार्केट रहा । जितना कॉमोडिटीज टैक्सेशन बढ़ा उतना ही सेलर्स ने उस पर इन्क्लड कर दिया । उन कॉमोडिटीज़ में से बहुत सी नेसेसिटीज़ ऑफ लिविंग में आती है । इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ को बढ़ाया गया तो इसका बर्डन फिक्स्ड लो इन्कम ग्रुप पर आया । तो इस तरह से इस बजट को यह कहना कि कॉमन मैन को राहत पहुंचाता है, यह गलत है ।

प्राइसेज़ अब तक बढ़ रही है, हरएक गुड्स की । यह वित्त मन्त्री ने खुद ने माना है । फूड ग्रेन और दूसरी इसेन्शियल गुड्स पर प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं । प्रॉडक्शन बढ़ नहीं रहा है तो समाजवादी समाज कहां से आएगा ।

लैण्ड रेवेन्यु इन्क्रीज़ की । पर राहत भी तो आपको कुछ देनी चाहिये । राजस्थान में जो रेट्स ऑफ असेसमेन्ट है, वह सबसे ज्यादा है और डेस्पेरिटी सबसे ज्यादा है । यह फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने कहा है । पास के पंजाब और मध्यभारत राज्यों से हमारी रेट्स ज्यादा हैं । सैटलमेन्ट को भी कराया गया, १।३ पर कभी कराया गया, १।४ पर और १।६ पर भी कराया गया । नतीजा हुआ 'डेस्पेरिटी' । अनइक्वल बर्डन हुआ और यह अभी तक, इस तारीख तक आपका काश्तकार बीयर करता आ रहा है ।

मन्त्री महोदय यह कहें कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स इन्ट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि लैंड रेवेन्यु टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लागू करने से हायर इन्कम ग्रुप को टैक्स कर सकें । पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स

(श्री श्रीमानसिंह)

से पांच लाख रुपया कुल रिएलाइज़ हुआ और वह भी अजमेर के मिलने पर। तो जो पर्पज़ इक्वेलिटी इन्कम टैक्स का था, वह एचीव नहीं कर सके। इक्वेलिटी रेस्टोर करते, तो जैसे उन्होंने सजेस्ट किया लैंड रेवेन्यु पर सरचार्ज लगाते और प्रोग्रेसिव रेट्स पर लगाते तो प्रोग्रेसिवनैस लैंड रेवेन्यु में आ सकती थी। सर चार्ज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया ? क्योंकि रेट्स बेसिस ऑफ असेसमेन्ट जो था, अनइक्विटेन्स और हैवी बर्डन एग्रीकल्चरिस्ट पर था। तो यहां पर तो यह हमारा लैंड रेवेन्यु डाइरेक्ट टैक्स माना जावे। उस पर भी बर्डन पूअर मैन पर आता है।

दूसरा सवाल इर्रिगेशन रेट्स का है। उसका भी यही हाल है। आप आखिर ऑकुपायर से वसूल करते हैं। इर्रिगेशन रेट्स डिफरेन्ट टाइप ऑफ वर्क्स पर है। एक सप्लाई फिक्स कर दी। कोई स्केयर्सिटी वर्क है, कोई पैरिनियल है, कोई नॉन–पैरिनियल है। कहीं सोइल एक है, पर फिर भी रेट्स में डिफर करते हैं। कोई सोइल सैपरेट है, पर रेट्स एक हैं। तो इस तरह जो रेट्स कायम की उनमें न सोइल को, न पानी की क्वान्टिटी को सामने रक्खा, न आदमी को जो बेनिफिट फील्ड का मिलना चाहिये उसका क्राइटेरिया भी नहीं रक्खा। तो यह इर्रिगेशन रेट्स का बोझा भी गरीब काश्तकार पर पड़ता है। और बेटरमेन्ट लेवी का भी ठीक है, लीजिये। पर यह २००) रु० या समथिंग पर एकड़, यह बहुत ज्यादा लेवी है। इससे आप एक आन्दोलन खड़ा करना चाहते हैं। अगर यह आपने लगायी तो आप फॉर्मर्स को इन्वाइट करना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है रेजिस्टेन्स के लिये। आपको यह सिचुएशन फेस आउट करनी पड़ेगी। चाहे इसका कम ही फायदा हो, पर नुकसान हमें अधिक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि काश्तकार २००) रु० या समथिंग २६४) रुपया पर एकड़ बीयर नहीं कर सकता और इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी किस की है ? हम कह सकते हैं कि अनअर्न्ड के प्रिन्सिपल के लोग करते हैं, पर रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेन्ट की है। ये इन्फलेटेड रेट्स किस तरह आती हैं, जितने भी मेन्टीनेन्स वर्क हैं, इर्रिगेशन बान्धों के, कैनाल वगैरह के, मेन्टीनेन्स रेट्स बढ़ती जाती हैं। हम वर्क्स कम्पलीट कहना चाहते हैं, इस साल में उन टार्गेट्स को हम फुलफिल नहीं कर सकते, नैक्सट ईयर उनको हम एक्चुएली कम्पलीट करते हैं और उन पर इन्क्रीज्ड कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो इन्क्रीज्ड कॉस्ट लगाने का नतीजा यह होता है कि किसी काम को जिस कॉस्ट मे कम्पलीट करना चाहिए, वह उससे ज्यादा कॉस्ट ले लेता है और जो लेवी को कोन्साइड करे

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उनके पेमेन्ट को तो हमको करना पड़ेगा कि हमारी रिकवरी की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा।

४ म० प०

दूसरा टैक्स है ट्रान्सपोर्ट का और ट्रान्सपोर्ट के टैक्स के लिए सदन के काफी सदस्यों ने विरोध किया है। ट्रान्सपोर्ट में पैसेंजर पर और गुड्स पर टैक्स लगा है, उसको पे तो कॉमन मैन को ही करना पड़ेगा, उस कॉमन मैन को जो कि ट्रान्सपोर्ट को काम मे लेता है उनको करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि

(श्री श्रीभानसिंह)

रेलवे की इनएफिशियेन्सी है, उसको हम प्रीमियम देते हैं। यह करके आप ट्रान्स्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि ट्रान्सपोर्ट अभी हमारे राजस्थान में अच्छी तरह से डवेलप नहीं हुई है, अभी हमारा टान्सपोर्ट राजस्थान में नॉर्मल प्लेस पर भी नहीं आया है कि आपने उसमें इतने टैक्स लगा दिये। जो सही टैक्सेज़ लगाने के थे, उन तरीकों को आपने नहीं अपनाया। आप इन्कम लेना चाहते हैं किसी पोर्शन में, तो आप इन्कम को लीजिये लेकिन इसके साथ ही साथ आपको समय समय पर राहत पहुंचानी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सपेन्डिचर हमारा बढ़ता जाता है, एक्सपेन्डिचर को घटाने का कोई सुझाव हमारे सामने सरकार ने नहीं रखा है। जैसा कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ साथ साथ में बढ़ते जाते हैं। इसका कारण एक बड़ा जबर्दस्त है। हम ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइन्ट करते जाते हैं, कल्चरल ऑफ़िसर्स भी अपॉइन्ट करते जा रहे हैं, डाइरेक्टर ऑफ टैक्नोलोजी और डाइरेक्टर ऑफ संस्कृत अपॉइन्ट करते जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी ऑफिसर्स अपॉइन्ट करते जाते हैं, आखिर यह सब क्या है? हमारी स्कीम्स शुरू भी नहीं होती कि पहले अपॉइन्टमेन्ट्स हो जाते हैं, कम्पलीट वर्क लोड हमने देखा नहीं। हम कोई माइनर स्कीम एडॉप्ट करते हैं, तो दस ऑफिसरों की डिमाण्ड हमें मिल जाती है, लेकिन यह मल्टिप्लिकेशन ऑफ स्टाफ है, उसको हम चैक नहीं कर पाये हैं। अगर हम डवेलपमेंट एक्सपेन्डिचर और नॉन-डवेलपमेंट एक्सपेन्डिचर को देखें, तो मालूम होगा कि हमारा जो नॉन-डवेलपमेंट एक्सपेन्डिचर है वह ५१ आता है और ४६ जो है वह डवेलपमेंट एक्सपेन्डिचर आता है। इसमें अगर हम देखें तो मालूम होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो कि नॉन-डवेलपमेंट साइड है, उसको हम बढ़ाते जाते हैं। तो आज जब आप एक तरफ जनता को यह कहते हैं कि हमने डेकोयेट्स पर काबू पा लिया और लॉ एण्ड ऑर्डर को अच्छी तरह से मेन्टेन किया है, तो इस पोज़िशन में आप रिफलेक्ट करेंगे अपने बजट के अन्दर इकॉनोमी कट के द्वारा, तब ही यह प्रूव हो सकेगा कि यह प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो चुकी हैं जैसे वर्ल्ड टेन्शन को इम्प्रूव करने के लिए हर एक कन्ट्री को अपने डिफेन्स साइड में कट करना होता है और तभी मालूम होता है कि टेन्शन पोज़िशन इम्प्रूव हुई तो....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

My time is up, Sir.

श्री सभापति : You can continue for two minutes more if you like.

श्री श्रीभानसिंह : Then I will sit down.

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस बहस में तो नहीं पड़ना चाहता कि यह बजट घाटे का है या नफे का, लेकिन मैं इस बात की तरफ माननीय चेयरमैन महोदय, आपकी मार्फत सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे इस बजट में सामाजिक सेवाओं के लिए जो धन-

(श्री भीमसेन)

राशि निर्धारित की गई है, वह बहुत आकर्षक है और हम अगर १९५१-५२ के बजट के आंकड़े देखें और जो सन् १९५९-६० के आंकड़े हैं उनको देखें, तो इस क्षेत्र में जो खर्च किया जा रहा है वह मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साहवर्धक चित्र हमारे सामने आता है। सन् १९५१-५२ के बजट में हमने सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में ४ करोड़ ५४ लाख रुपया खर्च किया और इस १९५९-६० के बजट में १७ करोड़ ४० लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था हम सामाजिक सेवाओं के लिये कर रहे हैं। माननीय चेयरमैन महोदय, इस तरह से जो खर्च करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उत्साहवर्धक है और जो हमने समाजवाद का नारा लगाया उसके लिए हमारे सामने उत्साहवर्धक चित्र आता है। हमारी सरकार इस प्रकार सामाजिक सेवाओं के लिए और और कार्यों के लिए खर्च धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है और किस प्रकार हमारे यहां विकास के काम (हमारे राजस्थान में) हो रहे हैं, इनका भी एक रूप हमारे सामने आता है। माननीय चेयरमैन महोदय, हमने जो सन् १९५१-५२ में केपिटल एक्सपेन्डिचर खर्च किया था वह २ करोड़ के लगभग था और आज सन् १९५९-६० में जो कैपिटल एक्सपेन्डिचर खर्च करने जा रहे हैं वह करीब २५ करोड़ के बैठता है। तो इन खर्चों को देखने से मालूम होता है कि हमारा राजस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हमारे यहां राजस्थान नहर हैं, भाखरा की योजना और चम्बल की योजना कार्यान्वित होने जा रही हैं इस साल के बजट में, जो १० करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्थान नहर के लिए रखा गया है यह बहुत ही उत्साहवर्धक बात है और हमारे रेगिस्तान के किसान इस बात से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार कितनी शीघ्रता से और कितनी तेज गति से इस राजस्थान नहर का निर्माण करने जा रही है। यह उस इलाके के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। माननीय चेयरमेन महोदय, किसी भी काम पर, किसी भी योजना पर खर्च करना एक बात है, लेकिन जनता यह चाहती है कि जो भी खर्चा हो और जो भी काम हो, उसमें किफायत से खर्च किया जाये और जो कुछ भी खर्च किया जाये वह जनता के आवश्यक कार्यों पर खर्च किया जाये। आज हमारे राजस्थान सरकार की क्या मनोवृत्ति हो रही है, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। आज बड़ी बड़ी राजस्थान व्यापी कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं पुलिस कॉन्फ्रेंसेज, एज्युकेशनल कॉन्फ्रेंसेज या इसी तरह की दूसरी डवेलपमेंट कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं, उनमें हमारे ऑफिसर्स भाग लेते हैं और वे ऑफिसर बजाय रेल के आने जाने के अपनी अपनी जीपों में आते हैं। इस तरह से डवेलपमेंट कॉन्फ्रेंसेज़ में और इसी तरह जो खर्चा होता है, वह खर्चा हम बचा सकते हैं। क्या ऑफिसर्स अपनी जीपों में आने के बजाय रेलों से यात्रा नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो खर्चा होता है, मैं समझता हूँ कि सरकार उनको अच्छी तरह से बचा सकती है और वह पैसा दूसरे गांवों के डवेलपमेंट के काम में आ सकता है। माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान कॉलोनाइजेशन की तरफ दिलाता हूँ। आज राजस्थान नहर योजना के लिए वहां की भूमि अलॉटमेंट के लिए और मंडी डवेलपमेंट के लिए वहां

Page No 97

(श्री भीमसेन)

एक कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट में जो करप्शन और पक्षपात चल रहा है, उसकी तरफ मैं माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस विभाग में भूमि अलॉटमेंट के सम्बन्ध में गड़-बड़ी और भ्रष्टाचार हो रहा है, वह मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय के सामने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा पेश किया जा चुका है, लेकिन आज भी वहां जो ऑफिसर्स हैं, वह सारे ऑफिसर्स एक ही जाति के हैं और वह ऑफिसर्स पुरानी सामंती परम्परा के लोग हैं और वही लोग आज बजाय इसके कि उन लोगों में सेवा की भावना हो, वह हुकूमत की बू उनमें है और इस तरह से किसानों को यह ऑफिसर्स परेशान करते हैं, वह वर्णन के बाहर है...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वह कौनसी जाति के हैं ?

श्री भीमसेन : माननीय चेयरमेंन महोदय, वहां के किसानों के साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है, वहां के जो ऑफिसर्स हैं वह कोलोनाइजेशन के काम से अन भिज्ञ हैं। आज मौके पर कागज तैयार हो रहे हैं। किसान का कब्ज़ा किस खेत पर है और चक-बन्दी जो की जा रही है, कागज में उसका नाम दूसरे रकबे के लिये दर्ज है और मौके पर कब्जा दूसरी जगह पर है। इस तरह की किसानों के सामने जो समस्या आती है, उसको किसान ही समझ सकते हैं। इस ओर राजस्व मंत्रीजी का जब ध्यान दिलाया गया, तो उन्होंने चकबन्दी के लिये दूसरा स्टाफ मुकर्रर किया। चकबंदी के लिये भादरा तहसील में एक तहसीलदार एक नायब तहसीलदार और दूसरा स्टाफ एडिशनल एक साल के लिये और रखना पड़ा। माननीय चेयरमैन, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा था कि किस तरह हमारे विभागों पर फिजूल खर्चा होता है और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सालाना हर डिपार्टमेंट की जाती हैं, फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने भी कहा है और जो काम इस डिपार्टमेंट ने किया है, उसकी जांच के लिये कोई प्राव-धान नहीं है और जिस तरह से खर्चा होता है, उसके चेकिंग के लिये कोई रास्ता नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कर दाता या जनता यह चाहती है कि सारे राज्य का समुचित एकसा विकास हो। हम यह नहीं चाहते कि एक क्षेत्र में तो ज्यादा खर्चा हो और दूसरे क्षेत्र में बिलकुल नहीं हो, तो इस तरह की व्यवस्था जो चल रही है वह भी किसी हद तक स्वस्थ नहीं कही जा सकती। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह कई मदों में जो खर्चा किया जा रहा है, वह राजस्थान राज्य के कुछ जिलों तथा डिविज़न तक ही सीमित है। माननीय चेयरमैन यह हैड है, ५० सिविल वर्क्स की तहत सारे राजस्थान में कुल इस साल में ३९,६७००० रु० खर्च करने का प्रावधान है। दूसरा हैड है '५० कैपिटल ऑउट ले ऑन सिविल वर्क्स फाइनेन्स प्रेस रेवेन्यु'। इससे इस साल १३ लाख ६३ हजार रुपये रखे गये हैं और इसके साथ ही दूसरा हैड है, जिसमें '८१ कैपिटल अकॉउन्ट सिविल वर्क्स आउट साइड रेवेन्यु अकॉ-उन्ट्स'। इस में इस साल कुल २ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। लेकिन

[श्री भीमसेन]

मैंने यह जानने की कोशिश की कि जिस इलाके से मैं आता हूं, उस इलाके के लिये कोई प्रावधान है क्या, तो मुझे निराश ही होना पड़ा। हमारे इलाके में कई सड़कों की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। गत पंचवर्षीय योजना में बीकानेर चेचो रोड सैंक्शन की गई थी, लेकिन आज दूसरी पंच-वर्षीय योजना भी समाप्त होने आ रही है, परन्तु एक पैसा भी उस पर खर्च नहीं हो रहा है। हालांकि प्रथम पंच वर्षीय योजना में भी दिखाया गया था और दूसरी में भी है, लेकिन खर्चा एक पैसे का भी नहीं हो रहा है। बीकानेर डूंगरगढ़ रोड बड़ी कोशिश के बाद दूसरी योजना में शामिल की गई, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रोग्राम बनाया है उसके अनुसार आखिरी साल में २०,००० रु० खर्च किये जा रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट सड़क हैं, एक जिले को दूसरे जिले से कनेक्ट करती है और डिफेन्स पोइन्ट ऑफ व्यू से भी यह इम्पोर्टेन्ट है, बीकानेर को देहली से कनेक्ट करती है, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी कई एप्रोच रोड्स हैं, सींथल नापसर एक मील का टुकड़ा है और उसके लिये एक साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीकानेर से करनीसर की सड़क की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाजन स्टेशन से महाजन गांव तक ३ मील का टुकड़ा है, लेकिन इस पर भी कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी पंच वर्षीय योजना के निर्माण के समय डिस्ट्रिक्ट डवेलप्मेंट कमेटी ने जो योजना बनाई थी, उसमें यह बतलाया था कि कितने पर्सेन्ट इमारतों पर खर्च होना चाहिये। लूणकरणसर में तहसील भवन और पुलिस स्टेशन की मांग की गई थी, लेकिन आज तक बिल्डिंग बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है........

श्री सभापति : मेरे ख्याल से ये तो आपने कट मोशन की बातें शुरू कर दीं।

श्री भीमसेन : मैं समझता हूं कट मोशन पर बोलने का मुझे शायद मौका नहीं मिले, इसलिये बता रहा हूं।

श्री सभापति : फिर भी ये बातें आप कट मोशन के समय ही करें तो अच्छा हो।

श्री भीमसेन : जिस इलाके से मैं आ रहा हूं, उस इलाके के बारे में कहना अनुचित नहीं होगा। कट मोशन के समय कहने का शायद मौका नहीं मिले, इसलिये कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह तो इसके लिये समय नहीं है।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। हमारे यहां देहाती क्षेत्र और शहर में पानी की व्यवस्था का प्रावधान रखा है सभापति महोदय, यह मानी हुई बात है कि राजस्थान में देहाती जनता अधिक है और शहरों में लोग कम रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रावधान रखा है वह इस प्रकार का है ५७-५८ में देहाती क्षेत्र के लिये ७ लाख और शहरी क्षेत्र के लिये ७० लाख का खर्चा किया गया था। ५८-५९ में देहातों के लिये ३० लाख रुपये रखे गये थे, जब कि शहरी एरिया के लिये १ करोड़ १२ लाख रुपये रखे गये थे। इसी

(श्री भीमसेन)

प्रकार इस साल ६० लाख रुपये देहाती एरिया के लिये रखे गये हैं और शहरों के लिये ८० लाख रुपये रखे गये हैं। इसी तरह से देहात में जहां खास तौर से रेगिस्तान का एरिया है, वहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है और मैं समझता हूँ सरकार के लिये, जो वेलफेयर स्टेट कहलाने का दावा करती है, पानी जैसी जीवन की आवश्यकता की मुख्य चीज का प्रबन्ध करना जरूरी है। लेकिन आज योजना के ८ साल समाप्त होने आये हैं फिर भी पानी जैसी इस मुख्य समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं। लेकिन हमारे लिये, वैलफेयर स्टेट के लियें आवश्यक है, पीने के लिये अच्छे और शुद्ध और शुद्ध पानी का इन्तजाम करना। वेलफेयर स्टेट जिसे हम कहते हैं, वह यदि काम पूरा कर सके तो अच्छा होगा। उत्तर मिल सकता है सरकार की तरफ से कि तीसरी योजना के आखिर तक हरेक गांव में एक एक कूए का प्रावधान रख रहे हैं। लेकिन सरकार के पास आज फैक्ट्स एन्ड फिगर्स नहीं हैं कि इस काम के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी, कितने कूओं की आवश्यकता होगी। महज जबाब देने के लिये कहा जा सकता है कि ऐसा करने जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले यह कहा गया था कि द्वितीय योजना के आखिर तक हर पंचायत एरिया में कम से कम एक आयुर्वेदिक औषधालय बन सके ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज चौथा वर्ष द्वितीय पंच वर्षीय योजना का चल रहा है, लेकिन जो टार्गेट फिक्स किया था उसके नजदीक हम नहीं आ रहे हैं। कहने को तो बात कही जा सकती है, लेकिन वास्तविकता के लिये इम्पलीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन कर नहीं पाते।

मुझे पंचायत के वर्किंग के बारे में भी कुछ बातें कहनी थीं, लेकिन कट मोशन के समय बताऊंगा कि किस प्रकार पंचायत विभाग में पुनर्गठन के नाम पर पक्षपात किया जा रहा है और किस किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है, यह मैं कट मोशन के समय कहूंगा।

अंत में मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षकों का कम से कम वेतन ५०) रू० मासिक निर्धारित किया है। यह शिक्षा के लिये अच्छी बात है। अच्छा होता यदि इसी प्रकार दूसरे कर्मचारियों के लिये भी वेतन शृंखला निर्धारित की जाती, तो मंहगाई के जमाने में अच्छा रहता। अब सभापति महोदय, दो बातें और कहना चाहता हूं, वे खास तौर से मेरे इलाके से सम्बन्ध रखने वाली हैं। आज अनाज के बारे में इतनी मंहगाई हो रही है और हमारे इलाके में, जो ऐसा इलाका है जहां इस साल फेमिन की कन्डिशन हो रही है, लेकिन कुछ गांवों में अनाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। कहा यह जाता है कि हम विदेशों से गेहूं मंगा कर गांवों के लोगों को नहीं दे सकते। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास चूरू का इलाका है, वहा बाजरे की फसल होती है। वहां से सरकार लाने की कोशिश कर सके, तो वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है और वहां की शिकायत दूर हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में भाखरा की योजना में १९५६ का टारगेट फिक्स किया था कि १९५६ में भाखरा

(श्री भीमसेन)

की बिजली मिल जायेगी, लेकिन १६५६ से १६५७ आया, १६५७ से १६५८ आया और १६५८ से १६५६ आया। अब यह कहा जाता है कि १६५६ के आखिर तक बिजली मिल सकेगी। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री के भाषण में भाखरा से बिजली देने के बारे में चूरू, गंगानगर, सीकर का हवाला दिया है, लेकिन बीकानेर का नाम नहीं है। बीकानेर पॉवर हाउस की कन्डिशन इतनी बुरी हो रही है कि मैं समझता हूं कि यह पॉवर हाउस किसी समय भी कोलेप्स हो सकता है, लेकिन कोई सुधार का काम हाथ में नहीं लिया जा रहा है। आने वाली गर्मियों में क्या हालत होगी, वह वहां की जनता जानती है? पिछले साल अगर मुख्य मंत्री जी समय पर नहीं पहुँचते, तो लाखों आदमियों का जीवन खतरे में पड़ सकता था। मुख्य मंत्री जी खास मौके पर गये और उन्होंने इन्तजाम किया। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के पॉवर हाउस की हालत बहुत खतरे में है और जल्दी ही कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो वहां के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तम लाल।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज जो हमारे सामने बजट भाषण पेश हुआ है, उसको देखने से प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री महोदय जिस प्रकार हर साल अपने बजट में खर्च और आमद के आंकड़े बढ़ाते है उसी प्रकार अपने भाषण के पेज भी बढ़ाते चले जाते है। मैंने देखा कि १६५७–५८ में आपके भाषण के २४ पेज थे, १६५८–५६ में भाषण के २८ पेज थे और अब १६५६–६० में ३५ पेज हुए। जिस तरह से बजट बढ़ता गया, उसी तरह से कागज भी बढ़ते गये, यह प्रतीत हुआ। ठीक है, हम इस बात को देखें....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : राज्य भी आगे बढ़ा है।

श्री पुरुषोतम लाल शर्मा : कि बजट बनाते समय हमें यह सोचना है कि राज्य के कल्याणकारी कार्यों के लिए हमें कितने रुपये की आवश्यकता है और उन खर्चों को हम किस प्रकार मीट ऑउट कर सकेंगे। यह कोई किसी व्यापारी का, दुकानदार का या कम्पनी का बजट नहीं है कि जिसमें देखें कि घाटे का बजट है या नफे का बजट है या आमद कितनी है और खर्चा कितना है? यह विचार नहीं किया जाता, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि कल्याणकारी कार्यों के लिए क्या आवश्यकता है, उसमें क्या खर्चा होगा और उसे किस प्रकार मीट कर सकते है? हमें यह बात देखनी है सबसे पहले कि हमने प्रशासनिक खर्च में कमी की है या नहीं और प्रशासनिक खर्च में से कट करके कल्याणकारी कार्यों में हम कितना खर्च करते है, यह देखना पड़ेगा। हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि इस खर्च को किस प्रकार रखें, हम जो बजट बनाते हैं, उसमें जो हम खर्च करते हैं, तो अगर आमद कम हो और खर्च ज्यादा हो...

एक माननीय सदस्य : मेरे ख्याल से कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : अब कोरम हो गया है।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : हमारे लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि जो खर्चा हम करने जा रहे हैं और जो हमारी आमदनी है, उससे अगर खर्च ज्यादा होगा, तब उसकी हम किस कर्जे के द्वारा पूर्ति करते हैं। हमने यह तय किया है कि हम अपने देश में समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं, यह मूल सिद्धान्त है, लेकिन साथ ही जैसा कि हम देखते हैं कि इस बजट में जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं, वे टैक्सेज़ समाजवादी समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हम यह सोचें कि हम जो नशीले पदार्थों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि हम एक मनुष्य की मानसिक कमजोरी को लक्ष्य में रख कर उस पर टैक्स बढ़ाते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यह हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे हमारे देश का नैतिक पतन होता है और नैतिक पतन करके हम टैक्स लेकर कल्याणकारी कार्यों में रुपया लगाते हैं, तो एक तरफ अच्छाई करते हैं और दूसरी तरफ बुराई करते हैं। हमें ऐसे टैक्सेशन के ऊपर पूरी तरह से गौर करना चाहिए और देश की जो पॉलिसी है कि हम शराब बन्दी की ओर अग्रसर हों और जैसा दूसरे राज्यों ने किया है, हम उस ओर न जाकर टैक्सेज़ बढ़ाते रहते हैं और इसके साथ ही साथ इसे ज्यादा आमदनी का साधन बनाते हैं राज्य के खर्च को मीट करने के लिए, तो यह उपयुक्त नहीं हो सकता क्योंकि हम देश का करेक्टर बनाना चाहते हैं और ऐसी चीजों का प्रॉहिबिशन करना चाहते हैं ताकि देश कुछ उन्नतिशील हो।

इसके साथ ही मैं देखता हूं कि जो टैक्स मोटर में सफर करने वालों पर, या मोटर में माल ले जाने वालों पर लगाया गया है, वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह टैक्स इस प्रकार का है कि जो बस में बैठने वाले हैं, वे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं। आज हम देखते हैं कि या तो गरीब पैदल जाता है, या मध्यम वर्ग के लोग मोटर में, बस में बैठते हैं। मध्यम वर्ग आज बहुत दबा हुआ है, ऐसी स्थिति में नये टैक्स लागू करना उपयुक्त नहीं जंचता।

इसके साथ ही साथ हमने यह देखा कि शिक्षा के हैड के अन्दर स्कूल खोले जाने के लिए और बेसिक स्कूल खोले जाने के लिए प्रॉविजन रखा है, उसके लिए वित्त मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि हम आज स्कूल खोलते हैं, हमने कई नई नई पाठशालाएं खोली हैं, लेकिन वहां पर पूरी तरह से इन्तजाम नहीं करते। मैं यह देखता हूँ कि कई स्कूलें कई कई महीने तक बन्द रहते हैं और वहां कोई मास्टर या टीचर नहीं जाता है। कहीं कहीं ऐसा है कई कॉलेजेज़ में साइन्स और कॉमर्स की क्लास खोली जाती हैं लेकिन वहां आठ आठ महीने तक टीचर नहीं जाता। इससे विद्यार्थियों का नुकसान होता है। यह स्थिति हमारे सामने है। मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रोविजन शिक्षा के बारे में रखा है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य करें, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करें अन्यथा हमारा प्लान उपयुक्त तरह से काम नहीं देगा।

इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि फिक्सेशन किया जाता है, एक बी० ए० टीचर को ५० रुपये मिलते हैं और नये

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

बी० ए० पास मास्टर आते हैं उनको १५०) रु० पर रख लिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों इस प्रकार का भेदभाव यहां पर रखा जाता है ? आप सीनियोरिटी के लिहाज से प्रमोशन क्यों नहीं देते उन लोगों को, जो पहले से सर्विस में है ? इस ग्रेड में नहीं लेते। आप यह जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके अन्दर असन्तोष बढ़ता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि नये व्यक्तियों के बजाय, जो पुराने अध्यापक हैं, उनमें से जो भी योग्य हों, उनको पहले लिया जाना चाहिए। इसी तरह से फिक्सेशन का सवाल है, अभी तक भी कई सब डिविजन्स में, जिलों में मास्टरों का फिक्सेशन नहीं हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि फिक्सेशन जल्दी से जल्दी किया जाय। इसके साथ ही पांच, छः साल हो गये हैं, लेकिन उनको पर्मानेन्ट नहीं किया गया है, वे टेम्प्रेरी चले आ रहे हैं। यह उपयुक्त नहीं है। उन लोगों को शीघ्र पर्मानेन्ट किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार हम कॉलेजेज़ में देखते हैं कि कहीं एक कॉलेज़ में २००० विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पास ही के कॉलेज़ में केवल २०० विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हमारे यहां एक पॉलिसी होनी चाहिये कि एक कॉलेज़ में इतने विद्यार्थी पढ़ेंगे ताकि लेक्चरार्स विद्यार्थियों का आपस में सहयोग हो और विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें।

शान्ति और सुरक्षा के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी यह कहा गया कि शान्ति और सुरक्षा के बजट को बढ़ाया गया है, यह गलत है और इसके लिये दलील यह दी गई कि शान्ति और सुरक्षा तभी अच्छी मानी जाती है जब कि शान्ति और सुरक्षा का बजट कम हो। मेरा यह निवेदन है कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस और डिफेन्स फोर्स को एक मान लेना उपयुक्त नहीं। डिफेन्स तो हम दूसरे राज्यों की शक्ति और उनके बर्ताव पर देखते हुए रखते हैं, पर लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था देश की परिस्थिति को देख कर करते हैं। देश में अपराधों की संख्या में कमी हुई, इसलिये लॉ एण्ड ऑर्डर पर खर्चा कम कर देना चाहिये। इसके माने तो यह हुए कि लॉ एण्ड ऑर्डर पर खर्च किये जाने वाले खर्च को कम करके अपराधों को और बढ़ा दें। इसलिये यह क्राइटेरिया बना लेना कि एक थाने में अपराध कम हुए हैं, तो अपराधों की संख्या कम हो गई है, तो उस थाने को तोड़ दिया जाय एक चौकी में अपराधों की संख्या कम हुई है, तो उस चौकी को तोड़ दिया जाय, यह ठीक नहीं···

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वहां पर और चौकी बढ़ाई जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बिलकुल आपके घर के पहरेदार की वजह से आपके मकान में चोरी नहीं हो तो पहरेदार को हटा दीजिये, चोरियें फिर होंगी तो फिर आप पहरेदार रखेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : पर बैठे बैठे लायेंगे न सब।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब मैं यह निवेदन करूंगा कि कृषि भूमि–सुधार के मामले में हमारे प्रदेश ने उन्नति की है।

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

जमींदारी, जागीरदारी और खातेदारी आदि के कानून पास किये हैं, भूमि सुधार सम्बन्धी ये कानून पास किये हैं और सीलिंग का कानून भी हमारे सामने आया है। लेकिन कृषि के सम्बन्ध में एड्वाइजर वगैरह रखे जाते हैं, ऐसे रखे जाने चाहिये कि ऐसे नहीं जैसे अभी कुछ दिनों पेश्तर....

श्री श्रीभानसिंह : रामजी काक जैसे।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री): रामजी काक ने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया।

श्री श्रीभानसिंह : आपको ऐसे एड्वाइज़र ही रखने चाहियें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे तो अब शीघ्र ही जा रहे हैं....

श्री श्रीभानसिंह : Good riddance to bad rubbish.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : रूस से प्रतिनिधि हमारे देश में आये थे, तो उनको हमारे देश के अफसरों ने गन्ना था, उसको तो कपास बता दिया और जो कपास था उसको गन्ना बता दिया...

(हंसी)

हमारे यहां ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया में भी ऐसा हो जाता है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां कृषि एड्वाइज़र वगैरह जो एक्स्पर्ट लोग हैं, उनको रखना चाहिये।

अब मैं थोड़ा इन्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में इन्डस्ट्रीज की कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं की गई है। बजट में कहीं नहीं बताया कि इन्डस्ट्रीज़ के बारे में हमारी प्रदेश की क्या नीति है ? कुछ व्यापारों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, तो भी कई व्यापारों को खुली छूट दे रखी है। पर हमें यह तो नीति निर्धारित करनी चाहिये कि किन किन पर टैक्स लगाना चाहिये, किन किन पर नहीं। एक तरफ मोटरों पर बसेज़ पर अंकुश लगाते हैं, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम बसेज को नेशनेलाइज़ करेंगे।

इसी तरह इन्डस्ट्रीज़ के बारे में भी होना चाहिये कि कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज़ को नेशनेलाइज़ करना है और कौन कौनसी को नहीं करना है। एक तरफ नई नई मिलें खोली जा रही हैं, उदयपुर में कपड़े का मिल खोला, कोटा में नाइलोन का मिल खोला, पर जो मिल बन्द हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। किशनगढ़ का मिल कई साल से बन्द है, पर सरकार उसको चालू करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। मिनिस्टर महोदय जितना अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी का फिक्र रखते हैं, उसी तरह उनको विधान सभा के हर सदस्य की कॉन्स्टिट्युएन्सी की भी फिक्र रखनी चाहिये, क्योंकि विधान सभा ही उनको मिनिस्टर बनाती है।

किशनगढ़ की मिल के लिये कहते हैं कि कानूनी अड़चनें हैं, पर जहां सरकार चाहती है वहां कानूनी अड़चनों को ताक में रख देती है, पर जहां नहीं चाहती वहां कानूनी अड़चनों की बात सामने रखती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

अन्त में निवेदन करूं कि हम जो अनाज उत्पादन के टार्गेट मुकर्रर करते हैं, उनको पूरा नहीं करते और इस कारण महंगाई बढ़ती जाती है, हमारा कोई प्लान पूरा नहीं हो पाता है, यह कहा गया है। यह बात तो सत्य है कि हम हमारी योजना को लागू करते हैं और योजना के अनुसार काम भी होता है, पर प्राकृतिक प्रकोप भी ऐसे होते हैं जिनके कारण हमारे टार्गेट पूरे नहीं हो पाते, जैसे गत वर्ष हमारे यहां ही नहीं सारे देश में, प्राकृतिक प्रकोप से अन्न की कमी हुई। हमारे यहां मनुष्यों की सन्तान उत्पादन शक्ति है वह दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या ६० लाख प्रति वर्ष भारत में बढ़ती जा रही है। यह स्थिति हमारे सामने है, तो ऐसी स्थिति में यह कह देना कि योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है, तो यह ठीक नहीं है। योजनाएं तो कार्यान्वित हो रही हैं।

मैं यही कहूंगा कि अच्छे योग्यतम व्यक्ति योजना को चलाने के लिये रखने चाहिये, ताकि हमारी योजनाएं पूरी हों।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सार्वजनिक बजट में आय नहीं व्यय निर्णायक तत्व होता है। कई साल पहले मैं भाषण सुनता था कि राजस्थान बनेगा, जब छोटी छोटी रियासतें एक जगह इकट्ठी हो जायेंगी, उस स्थिति में राजस्थान का बहुत विकास होगा और राजस्थान भी देश के बड़े और उन्नत प्रान्तों में गिना जायेगा। माफ कीजिये, डॉ० राममनोहर लोहिया और दूसरे आते थे, कांग्रेस के उच्च कोटि के नेता आते थे और कहते थे कि राजस्थान बनने के बाद एक बड़ा खर्चा कम हो जायेगा, बड़ी बड़ी विकास योजनाएं बन सकेंगी, हमारे मन्त्रियों की संख्या कम हो जायगी, हमारा खर्चा कम होगा। सबने सोचा था कि राजस्थान बनने के बाद हमारा विकास होगा और हम दूसरी बड़ी स्टेट्स की तुलना में खड़े हो सकेंगे। लेकिन एक बात है, चाहे अच्छी भाषा हो, हम अपनी भाषा में किसी आदमी को उतारने की कोशिश करें, वित्त मंत्रीजी की सुन्दर शब्दावली है, आपकी भाषा अच्छी हो हिन्दी की, लेकिन उस भाषा से आदमी का काम नहीं बनता। आपने जो दलील दी है, बातें रखी है, उनसे आंखें मूंदी नहीं जाती। कोई आंख मूंद कर बातें कहे, बन्द करके कहे, तो अलग है। लेकिन एक बात है। जिस गवर्नमेंट पर अरबों रुपयों का कर्जा हो, बजट में कहा गया है कि ७७ करोड़ रुपया भारत सरकार को देना है। एक बात आपने मानी और यह भी माना कि इसको चुकाना है, देना है, लेकिन उसके बाबत में कोई उपाय आपकी तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने इस बजट को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि समाजवादी ढंग का समाजवाद इसी तरह से आ सकता है कि ११ हज़ार में लखलख के टाटे ठीक कराये जावेंगे, उन्हीं टाटों पर लास्ट ईयर ४८ हज़ार रुपया लगा और अब उनकी ११ हजार रुपयों से मरम्मत की जावेगी। यही है समाजवादी समाज का बजट और उस बजट को पढ़ने से मालूम हुआ, सवाल तो यह भी है कि सोमवार को बजट पेश किया, मंगलवार को बहस करो और इतना लम्बा

(श्री मूलचन्द डागा)

चौड़ा बहस करने के लिए समय दिया गया, टाईम दिया गया कि कोई साधारण आदमी सारी रात जग जाय, न जाने कितने स्टेटिस्टिक्स दिये हैं, बड़ा भारी क्रान्तिकारी बजट पेश किया गया है क्या बापू ने, गांधीजी ने दुहाई दी थी कि जब देश में स्वराज्य हो जायगा, तो मानव मानव में कोई अन्तर नहीं रहेगा, मनुष्य मनुष्य में कोई अन्तर नहीं रहेगा, अन्तर उनमें कम हो जायगा, उनकी आवाज़ खत्म हो गयी? तो क्या दर्द नहीं होता आज हिन्दुस्तान को? दर्द हो भले ही। पेज नं० ६३, उसमें बताया है कि खर्चा कहां करना चाहते हैं आप। खशखश के टाटे के लिए, मैंने कहा वह पेज ६६ पर है, उसमें बताया है कि लास्ट टाइम में खशखश के टाटों को छिड़कने के लिए Permanent pipe fitting for sprinking water on khastattas ४८ हजार २४० रुपये खर्च हुए और इस साल बताया है आपने Preparation and repairs of khastattas... १० हज़ार रुपया। यह समाजवादी समाज के निर्माण करने वालों का बजट है कि हम खशखश के टट्टों के बिना काम नहीं करना चाहते। फिर मिनिस्टर्स की पे पर देखिये। पेज ६३,-उस पर है Maintenance and running of cars placed at the dispcsal of Ministers and the Staff car of the office of the Chief Minister. १ लाख ४० हजार रुपया। यह होगा कि मिनिस्टर्स की साल भर में कारें बन्द होगई, खराब हो गई, कारखाने में रखना है, इसलिए उसके लिए १ लाख ४० हजार रुपया खर्च होगा। कुल मिनिस्टर्स पर खर्चा कितना है यह बताया है इसमें कि ६ लाख १० हजार ४०० रुपया और किस बात में खर्चा है? पढ़ने वाले कोई इस बजट को पढ़ें, हट्टून्डी पर कोई वित्त मंत्री काम करता है, जहां कोई शाला चलती हो....

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : शाला क्या है?

श्री मूलचन्द डागा : विद्याशाला लेकिन आपकी जो नीति है, उसकी घोषणा करने से पहले आप जिस रूप में भाषा को रखना चाहते हैं, तो ये शब्द अच्छे नहीं मालूम होते। कभी कभी वे सुहावने गीत नहीं गाने चाहिये जिसमें जहर भरा हो, उनसे नशा आता है जो असली नशे से भी अधिक खतरनाक होता है। आपने क्या नशा किया है? हमारे देश की अधिकांश आबादी गावों में बसती है, और परम्पराबद्ध मनोवृत्ति, आदिकालीन अवस्थाओं व सीमित साधनों वाले हमारे इन देशवासियों को केवल इस बात की अपेक्षा है कि उनके अन्तःकरण की ज्योति जगा दी जाय और वह ज्योति जगा दी जाय कि १ लाख ४० हजार रुपया आपकी कारों की मरम्मत के लिए एक साल में खर्च होने चाहिये, वह ज्योति जगा दी जाय कि ११ हजार रुपयों में खशखश के टट्टे रिपेयर होने चाहिये और गावों में क्या किया? करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति शहरों में देना चाहिये और गांवों का क्या? वे ही लोग पानी के लिए वहां तरसते रहें। मैं आपके सामने अपना सवाल नहीं रखना चाहता, अपनी तहसील का सवाल आपके सामने नहीं रखना चाहता। आप चाहते हैं ग्राम राज्य कायम करना। सन्त विनोबा को अजमेर की पवित्र भूमि पर बुला कर स्वागत किया, राजस्थान में बड़े बड़े गांव भेंट किये और बताया कि ग्राम-राज्य कायम करना चाहते हैं और उनमें

(श्री मूलचन्द डागा)

जिनमें कि पैसा नहीं देना चाहते और देना चाहते हैं उनको जो बोलते हैं। इसके उदाहरण बताऊं कि आपने क्या किया है ? पानी की विलेजेज़ में समस्या है, लेकिन आपने पानी के लिए २६ लाख रुपया दिया है और उससे तिगुना और चौगुना शहरों को देते हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ अंशों में समाजवादी व्यवस्था कायम कर चुके हैं और कहते हैं कि गांवों में ८० प्रतिशत जनता रहती है। जो जनता मूक है, कुछ कह नहीं सकती, विद्रोह नहीं कर सकती, प्रदर्शन नहीं कर सकती उसकी वकालत करने के लिए हम कहें कि किस रूप में रखा है आपने, शहरों के लिए जो जरूरी चीजें थी उनके लिए करोड़ों रुपयों की दौलत रखी है, मिसाल जिनकी आपके सामने रखी है। जब इसके अन्दर मैंने देखा कि आपका यह बजट, बजट बनाने की काफी अच्छी टैक्निक हासिल हुई। मंत्री और सेक्रेटेरियेट के लोगों को खशखश के टट्टों में बैठ कर उनको मालूम नहीं कि गर्म लू चलती है गावों में। वे तो पुरानी नौकरशाही को बदलना चाहते है। टेलीफोन का खर्चा मिनिस्टर्स का क्यों ? सेक्रेटरी ८५ हजार और ३ लाख आपने मेन्टीनेन्स ऑफ कारस के आगे लिखा है, १ लाख रुपया उनके बैंगलोज़ के लिए। जितना खर्चा है जो शाही खर्चा होना चाहिये, वह है और इसीलिए कई बार अखबारों में और समाचार पत्रों और प्लेटफॉर्मों पर सुनते हैं कि आजादी के बाद आराम मिला तो किनको ? कि राजनैतिक पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी है, उनको कौनसे लोगों को सुख प्राप्त हुआ ? तो मिनिस्टर्स को सुख प्राप्त हुआ, राजनैतिक गुट को सुख प्राप्त हुआ, इस प्रकार के लांछन लगाये जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें होती है जिनको कि कान खोल कर सुनना पड़ता है यह क्या तरीका है ? हम क्या चाहते हैं ? आप अपनी समाजवादी नीति का समाज बनाना चाहते हैं, आपकी रीति नीति, यह कहना चाहिये कि अन्धेरवादी है और यथार्थ और है। इसमें जमीन और आसमान का अन्तर है। दुनिया तेज़ी से चल रही है। अभी अभी कांग्रेस की प्रधान श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अजमेर की पवित्र भूमि पर भाषण दिया और बताया कि दुनियां इतनी तेजी से चल रही है कि उसके साथ ताल मेल रख कर नहीं चले तो दुनिया उस नीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। गांवों की जनता आपको बैठे २ आराम से देखती है, उसकी आंखों में डर है, भय है कि मेरी अपनी ताकत न होने के कारण आपका मुकाबला नहीं; लेकिन जो वोट लेने वाले भिखारी हैं, कल उनका मुकाबला करेगी इस प्रकार के बजट को देख कर इसलिए मैंने प्रार्थना की कि जिस प्रकार व्यवहार करते है, वाणी बोलते हैं, वाणी और आचरण में अन्तर हैं, तो बजट अभिभाषण में ऐसी वाणी नहीं कहनी चाहिये जिसमेंजमीन और आसमान का अन्तर हो। एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी। आपके यहां पर हजारों रुपया खर्च करने की बात है। राजस्थान फाइनेन्स इन्वायरी कमेटी ने बड़ी जांच की जांच की जायतो जो हालत है वह हमारे सामने आ जायेगी। आप देखेंगे बराबर सरकारी पदाधिकारियों की कितनी वृद्धि हुई है। आपके सामने मैं उन आंकड़ों को रखूंगा, जिस समय राजस्थान बना था उस समय यह कहा गया था कि राजस्थान के प्रशासन में खर्चा कम होगा।

(कुछ सदस्यों के बातें करने पर)

(श्री मूलचन्द डागा)

सभापति महोदय, माननीय सदस्य बातें करें, किन्तु इतनी जोर से न करें कि दूसरे की बोली सुनाई न दे। अगर उनको रुचि नहीं है, तो वे बाहर चले जायं। खैर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान बना उससे पहले बड़े बड़े भाषण हुए, हमने सोचा राजस्थान बनने के बाद प्रशासन में जो खर्चा हो रहा है, वह कम होगा। हमारे यहां सन् १९५१–५२ में २ हजार और ३५ व्यक्ति उच्चत्तम वेतन पाने वाले थे, सन् १९५७–५८ में वह बढ़ कर ४,९५४ हो गये। हमें क्या मालूम था कि हमारा जो स्टेट के समय कन्सोलिडेटेड फंड है, उसका भी खात्मा हो जायगा, हमारी जोधपुर स्टेट ने जो जमा पूंजी दी थी, वह भी खत्म हो जायगी और करोड़ों रुपया हमारे पर कर्जा हो चुका होगा और उसके लिये कोई प्रावधान नहीं होगा और हमें यह क्या पता था कि राजस्थान की स्टेट्स का एकीकरण के बाद इतना अधिक खर्चा बढ़ जायगा या उच्च अधिकारियों की संख्या दुगुने से बढ़ कर तिगुना तक पहुँच जायगी। मिनिस्टिरियल एस्टेब्लिशमेंट को ले लीजिये, पहले ६९,४३० की संख्या थी और अब १ लाख १३ हजार १६ है। आपने चपरासियों की संख्या बढ़ायी २८ हजार से ३६ हजार की। आपने, जो प्रशासन का व्यय कम होगा, यह बात उस समय कही थी, वे सब बातें मिथ्या निकलीं। आज हम किसी भी जिले में जाकर देखें, वहां एक छोटा मोटा सेक्रेटेरिएट बन चुका है। इन्डस्ट्रीज ऑफिसर वहां बैठा है, सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी वहां रहता है। वहां जाकर आप देखें, उनके पास कोई काम नहीं है। जन सम्पर्क अधिकारी के पास कोई काम नहीं, सैटलमेंट डिपार्टमेंट के ए० एस० ओ० बैठे हुए रहते हैं, वे इस बात की इन्तजारी में रहते हैं कि कब दो बजें और वे चाय पीने जायं। आप जगह जगह इस प्रकार के महकमें खोलते जा रहे हैं। जन सम्पर्क अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने पाली में देखा, जन सम्पर्क कार्यालय में अखबार आते है—टाइम्स ऑफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स। वहां के जन सम्पर्क अधिकारी का क्या काम होता है, कलेक्टर साहब ने किसी जगह का दौरा किया, उनका फोटो अखबार में छपवा देते हैं। इस प्रकार जो बड़ा भारी खर्च हम प्रशासन पर करने जा रहे है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप इतना बड़ा स्टाफ रखते हैं और स्टाफ रखने के बावजूद भी आपकी कार्य कुशलता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया है। इतना स्टाफ रखने पर भी यदि लाल फीताशाही में या एफिशियेन्सी में किसी प्रकार की चेन्जेज़ होती तो हम समझते कि यह ठीक हुआ है, इसकी तारीफ करते। आप इस बारे में अपनी यहां की जन लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट देख लीजिये। उसमें लिखा होने पर भी आप पर कोई असर नहीं है। बजट बनाते समय आपने उनकी सिफारिशों पर कभी ध्यान देने की चेष्टा नहीं की, जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी के बहुत अनमोल दिन कमेटी की रिपोर्ट बनाने में दिये, उनका इस्तेमाल, उनकी रिपोर्ट का असर आप पर होता नहीं। उन्होंने प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर जो ध्यान दिलाया, जिन जिन लोगों पर दोषारोपण किया, उन पर आपने ध्यान देने की चेष्टा नहीं की। प्राक्कलन समिति के कुछ उद्धरण मैं आपको बताऊंगा। दुनियां कुछ कहे,

(श्री मूलचन्द डागा)

आपकी प्राक्कलन समिति या जन-लेखा समिति कुछ कहे, आपतो यह सोचे बैठे हैं कि चलो अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी में चार कुएं खुदवा दिये, वहां के दस कार्य कर दिये, चलो वोट आ गये। इस प्रकार से वोट की जो भिक्षा आप ले रहे हैं यह कहां तक ठीक है, आप ही सोच सकते हैं। तो मैं उन रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताने जा रहा था कि कितनी रकम का गबन हुआ है, कितनी रकम का पता नहीं, कितना देवस्थान विभाग में घोटाला है, लोगों में जो बकाया है उसका पता नहीं। मैं इस बारे में मोटे मोटे आंकड़े देना चाहता हूं हम प्रशासन के मामले में जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा आता है, उसके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं, यह विदित हो जायेगा। प्राक्कलन समिति ने बड़ी बड़ी रिपोर्ट लिखी है, इस प्रकार का खर्चा कम किया जा सकता है, किन्तु उसकी रिपोर्ट की परवाह नहीं। आपने जब बजट बनाया, उस समय भी ये रिपोर्ट आपके सामने थी, आपने कभी गौर किया। सर्किट हाउस का एक जगह उल्लेख है। सर्किट हाउसेज़ जो होते हैं, वे उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों के ठहरने के लिये होते हैं, उन सर्किट हाउसेज़ में ४१ हजार के करीब रुपया बाकी है, कितने साल से है, कई साल से है। लेकिन उसको रिकवर करने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, बावजूद कई बार याद दिलाने के यह बड़े आश्चर्य की बात है। सन् ५७ के अन्दर जनलेखा समिति ने कहा यातायात के बारे में जो खर्च हुआ है, उसको वसूल करना है, लेकिन सम्बन्धित सचिव महोदय ने उस समय कह दिया कि इस सम्बन्धी कागज़ात गायब हैं। छः लाख रुपये वसूल करना था, लेकिन उसके कागजात गायब कर दिये गये, लेकिन कुछ अर्से बाद वे कागज़ात किसी आलमारी में बन्द हुए पड़े मिलते हैं, लेकिन एक दफा तो उनको गायब कर दिया गया। लेकिन कागज़ात के मिल जाने पर भी वह रुपया अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है।

देवस्थान के बारे में लिखने वाले बड़े ढंग से लिखते हैं। समिति की चर्चा के दौरान में कहा गया उक्त राशि में से कुछ रकम ४ लाख ५३ हज़ार जागीरदारों को ऋण के रूप में दी हुई है, उनको मुआवज़ा देने के वक्त में वसूल कर ली जावेगी। उस समय विभाग में ११ लाख ५६ हजार ९८१ रुपया था, लेकिन जन-लेखा समिति ने विभाग को लिया, उस समय केवल तीन ऋण थे। पिछली समिति को १५ लाख का बताया गया था। इससे पहले ३ लाख १५ हजार का रह गया था। समिति को जानकर आश्चर्य हुआ कि ३ लाख १५ हजार की राशि बढ़ कर ११.५६ लाख हो गई। यह है जन-लेखा समिति की रिपोर्ट, इसके रिकवर का कोई सवाल है नहीं। रिकवर किस लिये किया जाय? मैंने जन-लेखा समिति की जितनी भी रिपोर्ट देखी है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि जो खर्चा होता है, उस खर्चे के बाबत में जितना खर्च एक साल में होता है, दूसरी साल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। एक तरफ आपकी ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन डिपार्टमेंट्स को नहीं रखना चाहिये, लेकिन सवाल यह नहीं कि हमको कहां और कैसे खर्च करना चाहिये?

मैं एक बात आपसे यह पूछना चाहता था......

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is 5 O'clock. Hon'ble member may continue tomorrow.

श्री सभापति : आप कितनी देर में खत्म कर देंगे ?

श्री पी० के० चौधरी It is already 5 O'clock.

श्री सभापति : आप एक दो मिनिट में खतम कर सकते हैं तो कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : It is already 5 O'clock, Sir. We are all tired.

श्री मूलचन्द डागा : नहीं कर सकूंगा, साहब।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल सुबह ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.१ बजे कल दिनांक ५ मार्च, १९५९ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ४ मार्च, ५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

लोसल के वैद्य श्री मोतीलाल के विरुद्ध शिकायत।

सुमेरपुर में पॉवर हाउस।

राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं।

रूपवास तहसील में सिंचाई प्रचार में बकाया की वसूली।

किशनगढ़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के तबादले।

सरूपगंज-सिल्दर सड़क।

ज़िलों में जन-सम्पर्क कार्यालय।

डॉक्टर बगैर चलित औषधालय।

सहकारी संस्थान विभाग में नियुक्तियां।

जिला बोर्ड टोंक का कार्य-क्षेत्र तथा उसका कार्यालय।

ग्राम नगर, तहसील देवली के चमारों के कुएं के लिये धनराशि।

जयपुर से सांगानेर के बीच चलने वाली बसें।

तहसील लाडपुरा में तालाब और बांध से सिंचित भूमि की लगान की दरें।

२१४८ चलते फिरते मानव दवाखाने।

ग्राम पंचायत देही के सरपंच द्वारा बीज वितरण न किया जाना।

सिकराय तहसील में दवाओं का बजट।

उदयपुर जिले की सिंचाई योजनाएं।

धौलपुर नगरपालिका द्वारा नल व बिजली के माल की खरीद।

नापासर रेलवे स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था।

कस्बा राजगढ़ ।जिला चूरू में जल-कष्ट

कोटा में पानी की दर।

बयाना में प्रसूतिगृह केन्द्र का निर्माण।

सांचौर तहसील के गांव हुठवा में गड़े हुए धन की प्राप्ति।

कोटा में सस्ते गल्ले की दुकानें।

बीकानेर-डूंगरगढ़ एवं कालू-डूंगरगढ़ सड़क।

पाली मिल मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच हुआ इकरारनामा।

ग्राम कुचामन, तहसील नांवा में मदनचन्द की बेवा का कत्ल।

जसवन्तपुरा तहसील के काश्तकारों की रबी प्रोक्योरमेंट १९४७ की बकाया रकम।

स्कम्भ

जोबनेर में बंध की मरम्मत।

टोडारायसिंह अस्पताल के लिये एम. बी. बी. एस. डाक्टर।

सांचौर—भाव बस सर्विस।

बालोतरा में बाढ़ पीड़ित परिवारों के मकान बनाने हेतु जमीन।

डूंगरपुर नगरपालिका की सार्वजनिक टट्टियां।

लालसोट तहसील में चलता फिरता पशु चिकित्सालय।

स्थगन प्रस्ताव २२१३

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई:—

(१) सैपऊ तहसील धौलपुर में अनेक डाके पड़ने तथा हाल ही में ग्राम अजीतपुर में हुई दुर्घटना से सम्बन्धित डॉ० बहादुरसिंह का प्रस्ताव तथा

(२) नेशनल प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर के कर्मचारियों को गत चार माह का वेतन न मिलने तथा इनके परिणामस्वरूप कतिपय कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने आदि से सम्बन्धित भैरोंसिंह (१४) का प्रस्ताव।

स्कम्भ

आयव्ययक, १९५९–६०

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद २२१४

आयव्ययक, १९५९–६०, पर आज भी सामान्य वाद-विवाद जारी रहा। निम्नांकित सदस्यों ने बहस में भाग लिया:—

(१) श्री भोलानाथ।
(२) श्री रघुवीरसिंह।
(३) डॉ० चन्द्रकला।
(४) श्री मदनसिंह।
(५) श्री शिवनाथसिंह।
(६) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।
(७) श्री जनार्दनराय नागर।
(८) श्री हरिप्रसाद यादव।
(९) श्री भैरोंसिंह (१४)।
(१०) श्री श्रीभानसिंह।
(११) श्री भीमसेन।
(१२) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

गुरूवार दिनांक ५ मार्च, ५९ की

कार्य सूची

आय-व्ययक, १९५९–६०

पर (सामान्य वाद-विवाद)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

(जिला कार्यालय में प्राप्त होने वाले समाचार पत्र)

१ अजमेर	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली। राष्ट्रदूत, जयपुर। और नवज्योति, अजमेर।
	साप्ताहिक	मीरा, दरबार, न्याय, आज़ाद और जागरण, अजमेर।
	मासिक	लहर, अजमेर।
२ अलवर	दैनिक	राजस्थान टाइम्स
	साप्ताहिक	अलवर पत्रिका और इन्साफ
	मासिक	मत्स्य समाचार
३ बांसवाड़ा	दैनिक	नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली। नवयुग, जयपुर।
	साप्ताहिक	धर्मयुग
	मासिक	नवनीत
४ बाड़मेर	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नव भारत टाइम्स, दिल्ली। और राष्ट्रदूत, जयपुर।
	साप्ताहिक	इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान
	मासिक	बाल भारती, आजकल, समाज कल्याण और नवनीत
	द्विमासिक	मैट्रिक माप, तौल
५ भरतपुर	दैनिक	हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली। नवयुग, जयपुर। और नवज्योति, अजमेर।
	साप्ताहिक	आवाज, नवयुग संदेश, नवनिर्माण, वीर सैनिक और नवभारत
	द्विमासिक	माप तोल प्रणाली
६ भीलवाड़ा	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दिल्ली। राष्ट्रदूत, नवयुग, जयपुर।
	साप्ताहिक	लोकजीवन
	द्विमासिक	मैट्रिक प्रणाली।

७ बीकानेर	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। नवयुग, लोकवाणी, राष्ट्रदूत और राजस्थान पत्रिका, जयपुर। नवज्योति, अजमेर।
	साप्ताहिक	विशाल राजस्थान, ललकार, अरावली, ग्राम संदेश, सेनानी, लोकमत, वर्तमान, जाग्रत जनमत और टाइम्स आफ राजस्थान, बीकानेर। सीमा संदेश, आहूती और सुमति
	पाक्षिक	संघर्ष रतनगढ़।
	मासिक	माहेश्वरी सेवक, बीकानेर।
८ बूंदी	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। नवयुग और राष्ट्रदूत, जयपुर।
	साप्ताहिक	साप्ताहिक हिन्दुस्तान
	द्विमासिक	मैटरिक पत्रिका
९ चित्तौड़गढ़	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। और नवयुग, जयपुर।
	साप्ताहिक	ललकार, चित्तौड़गढ़।
१० चूरू	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। और नवयुग, जयपुर।
	साप्ताहिक	निर्याभ, रतनगढ़। तूफान, चूरू।
	पाक्षिक	पीपुल्स फार्म, सुमति और सेवक, चूरू। जनपथ, संघर्ष ओलमो, रतनगढ़।
११ डूंगरपुर		अभी कोई पत्र नहीं आता।
१२ गंगानगर	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। नवयुग और लोकवाणी, जयपुर।
	साप्ताहिक	सेवाग्राम और साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिल्ली। सेनानी बीकानेर। और सीमा सन्देश, ग्राम सन्देश, आहुति और जनक्रान्ति, श्री गंगानगर।
	पाक्षिक	योजना, दिल्ली।
	मासिक	कुरुक्षेत्र, दिल्ली।

१३ जयपुर	दैनिक	राष्ट्रदूत, नवयुग, लोकवाणी, राजस्थान पत्रिका और प्रदेश, जयपुर। नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स और इन्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली।
१४ जैसलमेर	दैनिक	हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इन्डिया और हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड, दिल्ली। राष्ट्रदूत और नव-युग, जयपुर।
१५ जालौर	दैनिक	टाइम्स ऑफ इन्डिया और हिन्दुस्तान, दिल्ली। नवयुग और राष्ट्रदूत, जयपुर।
	साप्ताहिक	हिन्दुस्तान साप्ताहिक दिल्ली। ललकार, जोधपुर। करसनी, जालौर।
	मासिक	लहर, अजमेर
१६ झालावाड़	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इन्डिया, दिल्ली। नवयुग और राष्ट्रदूत, जयपुर।
१७ झुंझुनू	दैनिक	टाइम्स ऑफ इन्डिया, हिन्दुस्तान, दिल्ली। राष्ट्रदूत, नवयुग और लोकवाणी, जयपुर।
	द्विमासिक	मैट्रिक मापतोल
१८ जोधपुर	दैनिक	हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इन्डिया, दिल्ली। राष्ट्रदूत, नवयुग, लोकवाणी, जयपुर।
	साप्ताहिक	प्रजा सेवक, ललकार, ज्वाला, बलिदान और नया राज्य, जोधपुर। और ज्वाला, जयपुर।
१९ कोटा	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। नवयुग, जयपुर। और धरती के लाल, कोटा।
	साप्ताहिक	किसान संदेश, जनवाणी, स्वदेश, सोशलिस्ट समा-चार, जाग्रति, विशाल राजस्थान, सेनानी, चौखम्भा, राजस्थान, अरावली, ललकार, जनता की आवाज, और ब्लिट्ज़।
	मासिक	मेनकाइन्ड
२० नागौर	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। नवयुग और राष्ट्रदूत, जयपुर।
	साप्ताहिक	नया राज्य, ललकार, अमर ज्योति, प्रजाबन्धु, इल-स्ट्रेटेड वीकली और साप्ताहिक हिन्दुस्तान।

	पाक्षिक	इन्डियन इन्फोर्मेशन, भारतीय समाचार और योजना
	मासिक	मरुवाणी, प्रेरणा, मार्च ऑफ इन्डिया, आजकल, कुरुक्षेत्र, भागीरथ और ग्राम सेवक।
	द्विमासिक	मैट्रिक मापतोल
२१ पाली	दैनिक	टाइम्स ऑफ इन्डिया, हिन्दुस्तान, दिल्ली। नवयुग और राष्ट्रदूत, जयपुर।
२२ सवाई माधोपुर	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स, दिल्ली। नवयुग, राष्ट्रदूत और लोकवाणी, जयपुर।
२३ सीकर	दैनिक	टाइम्स ऑफ इन्डिया और हिन्दुस्तान, दिल्ली। लोकवाणी और राष्ट्रदूत, जयपुर।
२४ सिरोही	दैनिक	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली और नवयुग, राष्ट्रदूत और राजस्थान पत्रिका, जयपुर।
	साप्ताहिक	मारवाड़ सन्देश
	मासिक	कुरुक्षेत्र और आजकल
२५ टोंक	दैनिक	टाइम्स ऑफ इन्डिया और हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली। नवयुग, लोकवाणी और राष्ट्रदूत, जयपुर।
२६ उदयपुर	दैनिक	नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और हिन्दुस्तान, दिल्ली। नवज्योति, अजमेर। और नवयुग, जयपुर।
	साप्ताहिक	नवजीवन, प्रताप, १५ अगस्त, सेनानी, कोलाहल, ललकार, नवज्योति, प्रगति, हमारा राजस्थान, राजस्थान, प्रकाश, रिफॉर्मर्स विशाल, राजस्थान जन सहयोग, टी पीपुल राज्य।

(तारांकित प्रश्न संख्या १३५ एच. एम. का उतर)

प्रश्न कर्ता श्री मूलचन्द डागा

प्रश्न	उत्तर
(क) राजस्थान के किन २ जिलों में जन सम्पर्क कार्यालय हैं।	राजस्थान के सभी जिलों में जन संम्पर्क कार्यालय हैं।
(ख) उस कार्यालयों में कितने २ कर्मचारी हैं और उनका मासिक खर्चा कितना है। है। अलग सूची दीजियेगा।	उन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या व उनका मासिक खर्चा निम्नलिखित है :

नाम जिला	कर्मचारी	खर्चा
बाड़मेर, जैसलमेर, झुझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक, चूरू	४ प्रत्येक ज़िला	४३५ प्रत्येक जिला।
बांसवाड़ा	४	४४४
बूंदी	४	४३७
नागौर	४	४४३
पाली	४	४४१
जयपुर	६	६७४·३० न.पै.
भरतपुर	५	६१२
भीलवाड़ा	५	५८५
बीकानेर	५	५३७
चित्तौड़गढ़	५	५२४
झालावाड़	५	५४६
जालौर	५	५३०
सिरोही	५	५४४
सीकर	३	३६४
डूंगरपुर	१	२४०

जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या ६ है।

प्रश्न	उत्तर
(ग) उन कार्यालयों में कितने २ तथा कौन २ से दैनिक, मासिक साप्ताहिक पत्र आते हैं।	सूची संलग्न है

Page No 117

(घ) उन कार्यालयों का वार्षिक खर्चा क्या है ।	जयपुर जिला कार्यालय	१५,००० रु० अनुमानि
	अजमेर, भरतपुर, गंगानगर जोधपुर, कोटा, उदयपुर	१२,००० रु० ”
	बाकी सब जिलों का	१०,००० रु० अनुमानित

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६२ का उत्तर देखिए)

LIST OF DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS

AJMER DISTRICT

1. Narwar
2. Ramsar
3. Todgarh

ALWAR DISTRICT

4. Mandawar
5. Kathumai
6. Kishangarhbas PNC (1957)

DHOLPUR DISTRICT

7. Basori
8. Rajakhera

SIKAR DISTRICT

9. Khachariawas (1958)
10. Malsisar (1958)
11. Islampur (1958)

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

12. Mandrail
13. Naroli
14. Sapotra

BIKANER DISTRICT

15. Palana

GANGANAGAR DISTRICT

16. Kalana

JODHPUR DISTRICT

17. Chopasni
18. P. H. C. Mathania (1958)

JALORE DISTRICT

19. Narji (1958)
20. P. H C. Chitalwara (1958)
21. P. H. C. Gunga (1958)

NAGAUR DISTRICT

22. Chhoti Khatu (1958)

PALI DISTRICT

23. Sardarsamand
24. Anwa (1958)
25. Jetaran
26. P. H. C. (Bloxck) Bara

SIROHI DISTRICT

27. Bohera
28. Naoia (1958)

JHALAWAR DISTRICT

29. Dag

KOTAH DISTRICT

30. Bhanwargarh
31. Shahbad

BANSWARA DISTRICT

32. Barodia
33. Chantol
34. Khandu
35. Palauda (1958)
36. P. N. C. Chinch (1958)

BHILWARA DISTRICT

37. Bigod
38. Karera
39. Saharan

40. Bijelian
41. P. H. C. Bagora (1958)

CHITTORGARH DISTRICT

4 . Bhainsrorgarh
43. Bansi
44. Deogarh
45. Dhariyawad
46. Dalod
47. Nandbai
48. Gosunda (1958)
49. Bari Sadri

DUNGARPUR DISTRICT

50. Galiakot
51. Bankeda

UDIAPUR DISTRICT

52. Deogarh
53 Lasadia
54. Khwabhalgarh

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१० का उत्तर देखिये)

Dated 14-2-58

Copy of D. O. letter No. E & I-40 (7)/58/from the Assistant Economic Advisor, Ministry of Labour & Employment, New Delhi to the Assistant Labour Commissioner, Rajasthan, Jaipur.

I enclose a note giving the gist of our discussion regarding the case of Maharaja Shri Umaid Mills, Pali.

परिशिष्ट

Shri N. K. Joshi, Assistant Labour Commissioner, Jaipur discussed on 11-2-59 the dispute between the Maharaja Shri Umaid Mills, Pali and the Suti Mill Mazdoor Sabha led by Shri Daga, with the Joint Secretary, Shri R. L. Mehta. The following views were expressed by the Joint Secretary :

(1) The Settlement of 26-2-58 being not in thecourse of conciliation proceedings, is binding on those parties alone who were signatories to it.

(2) Those workers who were not members of the Unions which were parties to the settlement of 9158, are entitled to raise a dispute with regard to any of the matters covered by the Settlement.

(3) It is not certain whether the Suti mill mazdoor Sabha, which came into existance after the Settlement of 1958 was arrived at, can, as a Union, raise a dispute about the Settlement itself particularly because some of its members were earlier members of one of the two Unions which were parties to it. This is a legal issue and the State Government may take the opinion of its Law Department on it

(4) In case Shri Daga raises a dispute on behalf of the independent workers, i.e. those who were not members of any of the two Unions when the Settlement was arrived at, the State Government may conciliate into the matter and in the event of a failure report of the Conciliation Officer, they may decide the question of referring the matter to adjudication on its merits.

(5) The Settlement of 1958 which came into force on 5-3-58, has only one year's life and unless extended, it will cease to be in force from 5-3-58. If its life is not extended, the question of raising a dispute about the Settlement itself after 5-3-59 will obviously not arise. The parties will, however, be free to raise a fresh dispute which may be settled either mutually or with the help of the State Conciliation Machinery.

Sd/- S. B. L. Nigam
Assistant Economic Advisor.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ४ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२१५१	६	कम्पाउन्डर	कम्पाउन्डर
२१५५	अन्तिम से २	श्री तेजोराम गहलोत	श्री तेजाराम गहलोत
२१६३	९	श्री तेजराम	श्री तेजाराम
,,	१६	hindly	kindly
२१६७	९	डिस्ट्रक्ट	डिस्ट्रिक्ट
२१७४	१२	bul	but
,,	अन्तिम से १०	ropored	reported
२२०३	१	तह ील	तहसील
२२२१	अन्तिम से ६	lapsalle fund	lapsable fund
२२४८	१९	dissalsifaetion	dissatisfaction
२२७६	१	T	The
२३०८	९	महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
२३०९	अन्तिम से १३	isiong	in rising
,,	अन्तिम से ४	over al	Over all
२३४९	१८	इन्तजा	इन्तजाम
२३७०	१४	धर्मयुय	धर्मयुग